राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का १४वां दिवस [संख्या ७

सोमवार, दिनांक २६ मार्च, १९६२

(प्रातःकालीन बैठक)

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ६ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, खनिज, राजस्व एवं सिचाई विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

प्रश्न संख्या १७

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।
(अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): क्या शिक्षा मंत्री ....

श्री अध्यक्ष : आप केवल प्रश्न संख्या ही बोल दें ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : प्रश्न संख्या १८

हाई स्कूल, देवगढ़

१८.श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :-

क्या देवगढ़ हाई स्कूल में विज्ञान भवन बनाने का कार्य रुका हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री शिक्षा, (श्री परसराम मदेरणा) : कार्य चालू है ।

Page No 2

श्री अध्यक्ष : आप सदन को बतायें।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने रिप्लाई दे दिया है कि कार्य चालू है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : किस तरह का काम चालू है, कन्सट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का या बाकी का ?

श्री परसराम मदेरणा : बिल्डिंग के कन्सट्रक्शन वर्क का कार्य चालू है। साइन्स ब्लॉक बन रहा है और उसका काम चालू है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : २ साल से काम चल रहा है और अभी तक नहीं हुआ ?

श्री परसराम मदेरणा : अभी काम शुरू हो गया है। यह वर्क पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी को लैट-आउट किया था लेकिन एन्टिसिपेशन गवर्नमेन्ट सेंक्शन के आधार पर किया गया था। गवर्नमेन्ट सेंक्शन लेट पहुंची इसलिए काम लेट कर दिया गया था और अब फिर रिज्यूम हो गया है और ऐसी आशा है कि जून के अन्त तक हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेन्ट सेंक्शन के बिना काम कैसे चालू कर दिया गया था ?

श्री परसराम मदेरणा : यह सोच कर कि यह एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन का काम है और साइन्स ब्लॉक बनना जरूरी था इसलिए काम चालू कर दिया गया था; यह सोच कर कि गवर्नमेंट सेक्शन जल्दी आ जायगी। लेकिन उसमें देरी हुई और बीच में काम बन्द कर दिया गया था। गवर्नमेंट सेक्शन आने के बाद फिर काम चालू कर दिया है और जून के अन्त तक हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह : बिना सेंक्शन के काम चालू करना, यह तो सीरियस फाइनेन्शियल इर्रेग्युलेरिटीज है। क्या गवर्नमेंट के ऐसे एक्सेप्शन्स हैं कि ऐसे इमर्जेन्सी के केसेज़ हों तो उनमें फाइनेन्शियल रूल्स को ताक में रख कर काम चालू कर दिया जाये ?

श्री परसराम मदेरणा : फाइनेन्शियल रूल्स को ताक में रखने का प्रश्न ही नहीं था। गवर्नमेंट की सेंक्शन लेट पहुंची है और जो डिले हुई है उसके लिए मैं मानता हूं कि थोड़ी सी डिले हुई इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को काम करने से रोक दिया गया था। वे कागज़ ट्रान्ज़िट में रह गये थे इसलिए देरी हुई।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस सेंक्शन के पहुँचने के पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कन्सट्रक्शन का वर्क चालू कर दिया था ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां, यह सही है कि गवर्नमेन्ट की सेंक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉम्यूनिकेट होने से पहले उन्होंने शुरू कर दिया था।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस प्रकार से चालू कराने के लिए यह सीरियस फाइनेन्शियल इर्रेग्युलेरिटी कमिट हुई है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो प्रश्न आपके विचारने का है, आपकी ओपीनियन का है।

Page No 3

श्री भैरोंसिंह : ओपीनियन नहीं, रूल्स का है।

श्री अध्यक्ष : फैक्टस् आपको बता दिये। फैक्ट्स को देखते हुए इर्रेग्युलेरिटीज़ हुई हैं तो आप समझ लें।

श्री भैरोंसिंह : हमारे समझने से क्या होता है ?

देवगढ़ व भीम तहसील में खनिज सर्वेक्षण

१६. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या मन्त्री, खनिज विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :–

(अ) क्या सरकार के ध्यान में है कि देवगढ़ और भीम तहसीलों में अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ उपलब्ध होने का अनुमान किया जाता है ?

(ब) क्या सरकार ने इस क्षेत्र की इस सम्बन्ध में खनिज सर्वे कराई है ?

(स) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

उप-मन्त्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (अ) जी, नहीं।

(ब) जी हां।

(स) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया फिर से उत्तर दे दें।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : (अ) जी नहीं

(ब) जी हां।

(स) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या २०

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

भीम तहसील में चरणोट के लिए निर्धारित भूमि

२१. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(अ) क्या सरकार के ध्यान में है कि भीम तहसील में जो चरणोट के लिए जमीन तय की गई है उस जमीन के बड़े भाग में केवल चट्टानें हैं ?

(ब) क्या सरकार आधा बीघा प्रति मवेशी के हिसाब से चरणोट तय करते समय चट्टानों वाला भाग निकाल कर बाकी के रकबे को ही गिनती में लेने का विचार रखती है ?

(स) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार चट्टानों वाले भाग में चरणोट की जमीन की सीमा आधा बीघा फी मवेशी के हिसाब से बढ़ाने का है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (अ) तहसील भीम के बहुत से गांवों

Page No 4

(श्री लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

में चरागाहों के लिए जो जमीनें तय की गई हैं उसमें कहीं कहीं चटानें भी हैं।

(ब) जी हां, यथासंभव ऐसा ही किया जाता है।

(स) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मेरा सवाल यह है कि चरणोट की जमीन कम पड़ती है तो जब कि आधा बीघा जमीन कम होती है तो १ बीघा के करीब का ख्याल रखें। उसमें चट्टानें भी देखी गईं या केवल रकबा ही देखा गया या उससे जानवरों का पेट भी भर जाता है, यह भी मुलाहिजा किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चट्टानों का एरिया निकाल देने के बाद जो एरिया बचता है वह आधा बीघा फी जानवर से कहीं अधिक है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : माफ कीजिए, ऐसा नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यदि आप चाहे तो जिन गांवों में चरणोट कायम की गई है। उनका चरागाह का एरिया बताया जा सकता है जिससे आपको मालूम हो जायगा कि आधा बीघा फी मवेशी से कहीं अधिक जमीन चरागाहों के लिए छोड़ी गई है जिसमें चट्टानों का ऐरिया निकाल देने के बाद जो एरिया बचता है वह आधा बीघा फी मवेशी के हिसाब से जितना एरिया चाहिये उससे कहीं अधिक है।

तालाबों की सिंचाई

२२. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या यह सही है कि भीम तहसील में ग्राम बार के तालाब का पानी बार गांव के खेतों में ही दिया जाता रहा है ?

(ब) क्या यह भी सत्य है कि इस बार आसींद तहसील के चतरपुरा गांव को भी पानी दिया गया है ?

(स) यदि हां, तो पानी पहले बार गांव को न देकर चतरपुरा को दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) :— (अ) जी हां।

(ब) जी हां।

(स) जी नहीं। दोनों गांवों में पानी साथ ही दिया गया था।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : पहले बार गांव को छोड़ कर ओवरसियर ने नाला खोल कर चतरपुरा गांव को पानी दिया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: जी नहीं, दोनों गांवों को पानी साथ ही दिया गया था।

Page No 5

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : बार गांव में जब शुरू से ही पानी दिया जाता रहा है तो बाद में उसको छोड़ कर चतरपुरा को क्यों दिया गया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पानी ज्यादा था इसलिये नहरें बढ़ाई गई हैं। पानी ज्यादा होता है तो पानी दूसरे गांवों को दिया जाता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जिस गांव में शुरू से बराबर पानी दिया जाता था उसको छोड़ कर दूसरे गांव को देना कहां तक ठीक था ? दोनों ही गांवों को बराबर पानी नहीं मिला यह इन्फोर्मेशन के लिए अर्ज है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : दोनों ही गांवों में पानी एक एक बार मिल चुका है; अगर नहीं मिला हो तो बताएं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इस बार गांव में कितनी बार पानी दिया जाता था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पिलाई के समय जितने की आवश्यकता होती थी उतना दिया जाता था।

श्री भैरोंसिंह : कितना पानी पर्याप्त समझा जाता है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग है।

श्री भैरोंसिंह : रबी की फसल के लिए कितना पानी चाहिए था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : २,३ बार जैसा भी हो वह दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : ३-४ बार पानी दिया जाता है तो क्या इस तालाब में चतरपुरा गांव को पानी देने के लिए पर्याप्त रहता है ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : चीफ मिनिस्टर साहब ने आज्ञा क्यों दी थी कि इस बार पानी को रोक दिया जाय और चतरपुरा गांव को पानी नहीं दिया जाय ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पानी की कमी होगी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : तो दोनों गांवों में पानी बराबर कैसे दिया गया था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पानी इसलिए दिया गया था कि दोनों की मांग थी। पहली बार चतरपुरा को पानी दिया गया था क्योंकि पानी ज्यादा महसूस हो तो दूसरे गांवों को दिया जा सकता है। इसीलिए नहरों को एक्सटेन्ड किया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि इस प्रकार पानी देने के बारे में प्रायोरिटी लिस्ट तैयार की गई है और क्या स्थानीय अधिकारी उस प्रायोरिटी लिस्ट में मनमाने ढंग से परिवर्तन कर सकते हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह गलत प्रश्न है। मनमानी का सवाल ही नहीं उठता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस तरीके से आपने कहा कि ऐसा हो गया हो, वैसा हो गया हो और चतरपुरा में पानी नहीं दिया गया तो जो प्रायोरिटी लिस्ट सरकार पानी देने के बारे में बनाती है कि पहले इस गांव को मिलेगा फिर इस गांव को मिलेगा इसमें परिवर्तन कर दिया जाता है तो क्या सरकार द्वारा इस प्रकार के अधिकार स्थानीय अधिकारियों को दिये हुए हैं कि वह प्रायोरिटी लिस्ट में परिवर्तन हर साल कर दे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : परिवर्तन का सवाल ही नहीं है। मैंने निवेदन किया था कि दोनों ही गांवों को पानी दिया गया था।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : प्रश्न संख्या २२।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : (अ) यह तालाब सिंचाई विभाग के अधीन नहीं है, इसका उत्तर दिया जा चुका है।

प्रश्नसंख्या २३।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह राठौड़।

(अनुपस्थित)

तालाबों से सिंचाई

२४. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या सरकार के ध्यान में है कि देवगढ़ तहसील में सकरगढ़ के रणजीत सागर तालाब की पाल में सुर पड़ गया है और उससे सारा पानी निकल जाता है और सिंचाई न होने से खेत सूखे पड़े रह जाते हैं ?

(ब) यदि हां, तो इसकी मरम्मत कब तक की जायेगी ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (अ) यह तालाब सिंचाई विभाग के अधीन नहीं है।

(ब) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : तालाब पंचायत में भी नहीं है और सिंचाई विभाग में भी नहीं है तो क्या वह राम भरोसे ही पड़ा रहेगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह तालाब जागीर में था और जागीर रिज्यूम हो गई है इसलिए शायद तहसील में हो; सिंचाई विभाग में नहीं है। इसकी जानकारी की जा रही है कि इससे कितनी पिलाई होती है और जानकारी करने बाद प्रश्न उठता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जागीरों को सौंपे हुए एक लम्बा अर्सा बीत गया और अब तक यह पता नहीं कि वह किसके अधिकार में है।

Page No 7

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह पता नहीं है लेकिन सिंचाई विभाग के अन्दर नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह तालाब किसके अधिकार में है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : तहसील के ही आधीन होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार की जानकारी में नहीं है कि वह तालाब किसके अधिकार में है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सरकार के कब्जे में है लेकिन सिंचाई विभाग के कब्जे में नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किस विभाग के कब्जे में है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : हो सकता है कि रेवेन्यू विभाग के कब्जे में हो।

श्री भैरोंसिंह : यह तालाब किस विभाग के कब्जे में है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जिस तालाब से ५० एकड़ से ज्यादा की सिंचाई हो वह सिंचाई विभाग के आधीन होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह हुआ कि इस तालाब से ५० एकड़ से ज्यादा सिंचाई नहीं होती है इसलिए आपके विभाग में नहीं है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पहले यह जागीर में था। अब यह मालूम किया जा रहा है कि इससे कितनी सिंचाई होती है। सिंचाई अगर ५० एकड़ से ज्यादा होती है तो सिंचाई विभाग के अधीन होता है।

श्री भैरोंसिंह : वह किससे मालूम होगा ? जागीर रिज़म्पशन हुए १० वर्ष हो गये उस समय से लेकर अब तक सरकार जांच नहीं कर सकी है कि इससे सिंचाई ५० एकड़ से ज्यादा होती है !

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : तहसील वालों का काम था सिंचाई विभाग के सुपुर्द करना।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या इससे यह मालूम नहीं होता कि तहसील वालों ने पूरा काम अन्जाम नहीं दिया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह तो मालूम करके ही कहा जा सकता है।

प्रश्न संख्या २५

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २३

श्री मोहरसिंह राठौड़।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

(११.२० म० पू०)

राज्यपाल महोदय द्वारा उनके अभिभाषण पर दिये गये धन्यवाद सन्देश

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि राज्यपाल महोदय से धन्यवाद प्रस्ताव पर जो संदेश प्राप्त हुआ है वह इस प्रकार है:—

"दिनांक १४ मार्च, १९६२ को विधान सभा में दिये गये मेरे अभिभाषण पर सदन के सदस्यों ने जो आभार प्रदर्शित किया उसको प्राप्त करके मैं अत्यन्त संतुष्ट हुआ हूं।"

सदन की मेज पर रखे गये प्रतिवेदन

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, न्यू देहली के संचालकों का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन तथा १ अप्रेल, १९५९ से ३१ मार्च, १९६० तक के लेखों का विवरण सदन की मेज पर रख रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए मैंने रावत कमेटी की रिपोर्ट का उल्लेख किया था और यह कहा था उसके बारे में कि वह सदन की मेज पर रखी जावेगी। मैं रावत कमेटी की रिपोर्ट एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ।

जन-लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति, १९६२-६३ के सदस्यों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव इत्यादि

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २३० (१) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से जन-लेखा समिति, १९६२-६३ के लिए १० सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम २३२ (१) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति, १९६२–६३ के लिए १५ सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

(विराम)

जनलेखा समिति, १९६२-६३ तथा प्राक्कलन समिति, १९६२–६३ के सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में निम्न कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :—

Page No 9

(श्री अध्यक्ष)

१. नामजदगी के पर्चों का पेश करना : २७ मार्च, १९६२ को ३ बजे मध्यान्होत्तर तक

२. नामजदगी के पर्चों की जांच उन सदस्यों के समक्ष जो उस समय उपस्थित रहना चाहें :

२७ मार्च, १९६२ को ३.१५ बजे न्होत्तर

३, नामजदगी के पर्चों को वापिस लेना :

२८ मार्च, १९६२ को नामजद किए गए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के पश्चात्

४. चुनाव, यदि आवश्यक हो :

३० मार्च, १९६२ को १० बजे प्रात: से २बजे मध्यान्होत्तर तक।

५. मतों की गणना :

३० मार्च, १९६२ को २ बजे मध्यान्होत्तर से।

(विराम)

Voting on Demands for Supplementary grants.

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५८ भू राजस्व

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २ लाख १४ हजार रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(श्री रामानन्द अग्रवाल के खड़े होने पर)

लेकिन आपका कटौती प्रस्ताव मांग संख्या ७६ पर है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक ७–भू–राजस्व के संबंध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २ लाख १४ हजार तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५८ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ६०–स्टाम्प्स

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक मांग संख्या ६०, मुख्य शीर्षक ९–स्टाम्पस के संबंध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३५,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ६०, मुख्य शीर्षक ९–स्टाम्पस के

Page No 10

(श्री अध्यक्ष)

संबंध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने-वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३५,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६० स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ६१-वन

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक मांग संख्या ६१, मुख्य शीर्षक १०-वन के संबंध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,७३,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ६१, मुख्य शीर्षक १०-वन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने-वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,७३,००० रु०) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६१ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ५६ राज्य आबकारी कर

श्री बालकृष्ण कौल (आबकारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक मांग संख्या ५६, मुख्य शीर्षक ८-राज्य आबकारी कर के संबंध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १ लाख रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ५६, मुख्य शीर्षक ८-राज्य आबकारी कर के संबंध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १ लाख रुपए तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५६ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ६२-बिक्रीकर

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक मांग संख्या ६२, मुख्य शीर्षक १२ (क)-बिक्री-कर के संबंध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,३५,००० रु०) तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ६२, मुख्य शीर्षक १२ (क)-बिक्री कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,३५,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६२ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ६३–अन्य कर तथा महसूल

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक मांग संख्या ६३, मुख्य शीर्षक १३–अन्य कर तथा महसूल के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १ लाख रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ६३ मुख्य शीर्षक १३–अन्य कर तथा महसूल के संबंध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष को किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को १ लाख रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६३ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ६४ सामान्य प्रशासन

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक मांग संख्या ६४, मुख्य शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के संबंध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ९०,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ६४, मुख्य शीर्षक २५–सामान्य प्रशासन के संबंध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित ९०,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६४ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ६५–कारागार

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक मांग संख्या ६५, मुख्य शीर्षक २८–कारागार के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १ लाख ६९ हजार रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ६५, मुख्य शीर्षक २८–कारागार के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,६९,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६५ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ६६–पुलिस

श्री मथुरादास माथुर (गृहमन्त्री) :

Page No 12

(श्री मथुरादास माथुर)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक मांग संख्या ६६, मुख्य शीर्षक २९–पुलिस के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४४,२२,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ६६, मुख्य शीर्षक २९–पुलिस के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४४,२२,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६६ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ६७–वैज्ञानिक विभाग

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक मांग संख्या ६७, मुख्य शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३.०८,०००) रु. तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ६७, मुख्य शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपालम होदय को ३,०८, ०००) रु० तक राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६७ स्वीकार की गई

मांग संख्या ६८–जन–स्वास्थ्य

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक मांग संख्या ६८, मुख्य शीर्षक ३९–जन–स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८०, ७७,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ६८, मुख्य शीर्षक ३९–जनस्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८०, ७७,००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६८ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ६९–कृषि

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक मांग संख्या ६९, मुख्य शीर्षक ४०–कृषि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने

(श्री नाथूराम मिर्धा)

वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को १,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ६६, मुख्य शीर्षक ४०–कृषि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को १,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६६ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ७०–उद्योग तथा रसद

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक मांग संख्या ७०, मुख्य शीर्षक ४३-उद्योग तथा रसद के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ७०, मुख्य शीर्षक ४३–उद्योग तथा रसद के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७० स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ७१–सामुदायिक विकास परियोजना इत्यादि

श्री नाथूराम मिर्धा (सामुदायिक विकास मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक मांग संख्या ७१, मुख्य शीर्षक ४७–का सामुदायिक विकास परियोजना, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३३,६६,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ७१, मुख्य शीर्षक ४७ का–सामुदायिक विकास परियोजना, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६२ को समाप्त होने वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३३,६६,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७१ स्वीकार की गई

अनुपूरक मांग संख्या ७२–नागरिक निर्माण कार्य–भवन और सड़क इत्यादि

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक मांग संख्या ७२, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य–भवन और सड़क

(श्री हरिश्चन्द्र)

(संयुक्त) स्थापना औजार और स्थिर संयंत्र पर व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १२,७५,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे :

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ७२, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य-भवन और सड़क (संयुक्त) स्थापना औजार और स्थिर संयंत्र पर व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १२,७५,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७२ स्वीकार की गई

अनुपूरक मांग संख्या ७३-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक मांग संख्या ७३, मुख्य शीर्षक ५४—खा-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २०,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस मांग का विरोध करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, इस मांग के अन्तर्गत उदयपुर महाराणा के स्टाफ के लिए २०,०००) रुपये की रकम और मांगी गई है । एक तरफ जब कि हम अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए बहुत आर्थिक कठिनाई महसूस कर रहे हैं और आम जनता पर नये नये करों का बोझ हर साल बजट में डाला जाता है और जैसा कि हम सभी अनुभव करते हैं इन नये करों के कारण सामान्य जनता बहुत ही अधिक दिक्कत महसूस कर रही है ऐसी स्थिति में राजाओं को अपने निजी कार्य के लिए मुलाजिम रखने और उनकी तनख्वाह के लिए सरकारी खजाने से रुपया दिया जाना बिल्कुल अनुचित है और इस मांग में जो उस खर्च को और भी बढ़ाये जाने की मांग की गई है, मैं उसका विरोध करता हूं । पहले ही प्रिवीपर्स के रूप में काफी रूपया इन नरेशों को दिया जा रहा है और महाराणा उदयपुर को भी उसी के मुताबिक दिया जाता है; तो फिर मैं कारण नहीं समझता कि हमारे प्रांत में जहां आम जनता पहले ही बहुत गरीब है हम इस प्रकार नरेशों के लिए उनके भत्ते भी दें, उनको प्रिवीपर्स भी दें, उनके लिए अलग जायदाद भी छोड़ दें और अब उनके प्राइवेट नोकरों का इन्तजाम भी हम ही करें । अगर यह मांग महराणा उदयपुर के मुलाजिमों की मौजूदा तनख्वाह में और एडीशनल अलाउन्स करने की भी हो तो मेरा निवेदन है कि इसके लिए महाराणा को कहा जाय कि इससे ज्यादा खर्च वे खुद अपनी जेब से करें और राज्य कोष पर इसका भार नहीं डाला जाय । इसलिए इस आधार पर मैं इस मांग का विरोध करता हूं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य

Page No 15

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसके बारे में कुछ मुगालता हो रहा है। दरअसल जो महाराणा उदयपुर के हाउस-होल्ड के अन्दर उनके निजी काम करने वाले लोग हैं उनके लिए यह राशि नहीं है, लेकिन जिस वक्त इन्टींग्रेशन हुआ था उस मौके पर पांच लाख रुपया विशेष तौर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देकर महाराणा उदयपुर के यहां जो पहले विडोज और दूसरे इस प्रकार के लोग-बाग थे जो मर्जर के बाद अलग हो गये और जिन्हें पहले कुछ दान के रूप में मिला करता था वह बन्द हो गया था उसको देने की व्यवस्था की थी। उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है और उस कम करने के अन्दर जो आवश्यक रुपया देना है वह है। उनके घर पर काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको रुपया देने के लिए रुपया सरकार नहीं देती है। मैं आशा करता हूं कि स्पष्टीकरण के बाद इस मांग को स्वीकार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ७३, मुख्य शीर्षक ५४–ख–भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के संबंध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २०,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७३ स्वीकार की गई

अनुपूरक मांग संख्या ७४–साधारण राजस्व में से निवृत्ति वेतनों को एक मुश्त दान

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक मांग संख्या ७४, मुख्य शीर्षक ५५ का–साधारण राजस्व में से निवृत्ति वेतनों को एक मुश्त दान के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,८८,०००) रु. तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ७४,मुख्य शीर्षक ५५ का–साधारण राजस्व में से निवृत्ति वेतनों को एक मुश्त दान के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,८८,०००) रु. तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७४ स्वीकार की गई

अनुपूरक मांग संख्या ७५–लेखन सामग्री तथा मुद्रण

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ७५, मुख्य शीर्षक ५६–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १४,९०,०००) रू० तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ७५, मुख्य शीर्षक ५६–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को

Page No 16

(श्री अध्यक्ष)

समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १४,६०,०००) रू० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७५ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक मांग संख्या ७६--विविध

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ७६, मुख्य शीर्षक ५७–विविध के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १२,८७,०००) रू० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, इस पर मेरा कटौती का प्रस्ताव है ।

श्री अध्यक्ष : मैं कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले माननीय सदस्य का ध्यान हमारे प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम १४५ की तरफ दिलाना चाहता हूं; जिसके अन्तर्गत यह कटौती प्रस्ताव आया । यह मितव्ययता कटौती का प्रस्ताव कहा जावेगा । सूचना में संक्षेप में और मुख्यतया वह विशेष विषय दर्शाया जायेगा, जिस पर चर्चा उठानी हो और भाषण इस बात की चर्चा करने के लिये ही सीमित होंगे कि मितव्ययता कैसे की जा सकती है । तो मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि कटौती के प्रस्ताव पर भाषण देते हुए अगर कोई विशेष बात हो जो वे कहना चाहें कहें; जैसे कोई चीज कम की जाये या बढ़ाई जाने वाली हो, पर किसी सामान्य बात पर विचार न करें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : [कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है :

मांग संख्या ७६, मुख्य शीर्षक ५७–विविध अनुपूरक अनुदान में ११,००,०००) रु. रूपयों की कटौती कर दी जाय (अनुदान का यह मद बिल्कुल अनुचित है, इस पर बहस करने हेतु)

अध्यक्ष महोदय, इस मांग के अन्तर्गत ११ लाख की धनराशि को राइट ऑफ करने का सजेशन इसमें रखा गया है । इसमें २ लाख ३९ हजार रूपया ठिकाना डिग्गी की तरफ बकाया है जिसके लिये यह कहा गया है कि यह वसूल नहीं हो सकता और इसलिये इसको बट्टे खाते लिख दिया जावे । मेरा यह निवेदन करना है कि इस ठिकाने को राज्य सरकार की ओर से एबोलिशन ऑफ जागीर्स के तहत मुआवजा दिया जा रहा है और जहां तक मेरी जानकारी है इस ठिकाने को कई लाख रुपये मुआवजे के दिये जाने वाले हैं । फिर यह बात समझने योग्य नहीं है कि एक ओर राज्य सरकार इस ठिकाने को २ लाख ३९ हजार रुपयों के लिए यह कहे कि यह रुपया वसूल नहीं किया जा सकता । मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों से जिनसे रुपया वसूल किया जा सकता है वसूल नहीं किया जा रहा है और जिसकी तरफ सरकार को बकाया है वह रकम वसूल नहीं करना, यह सरकार की नीति इन तबकों के प्रति विशेष रियायत देने की नीति है; जब कि हमारे यहां गरीब लोगों

Page No 17

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

से चाहे वह सरकारी कर्मचारी हों, चाहे वे किसान हों, जिनको सरकार द्वारा तकावी दी गई हो उनसे रुपया वापिस पुलिस का सहारा लेकर जबर्दस्ती वसूल किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर और भरतपुर में लाखों शरणार्थियों को जो लुट कर आये, उन किसानों को जो वहां पर बसे हैं उनको छप्परे बनाने के लिए सरकार की तरफ से तकावी दी गई। छप्परें बनाये गये। आज सरकार उन लोगों से छप्परों के पैसे वसूल कर रही है और उनके मकान खड़े हो गये हैं उनकी कीमत भी उनसे मांग रही है जिसमें छप्पर भी मौजूद हैं। वे गरीब लोग पिछले १०, १२ वर्षों से लड़ रहे हैं मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनको सेन्ट्रल गवर्नमेंट से रुपया दिया गया है। जो रुपया दिया गया है उसमें एग्रीमेंट यह है कि अगर वह रुपया वसूल न हो सके तो ५० प्रतिशत सेन्ट्रल गवर्नमेंट और ५० प्रतिशत राजस्थान सरकार बर्दाश्त करेगी। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसके लिये प्रदर्शन किये, लाठी चार्जेज़ भी हुए मगर सरकार ने कुछ रियायत नहीं की और उनके खिलाफ कुड़कियें निकाल दी गईं। मगर आज सरकार लाखों रुपये का जागीरदारों को मुआवजा दे रही है और उनमें जो बकाया है उनको बट्टे खाते लिखना चाहती है। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं और कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : श्रीमान्, मालूम यह होता है कि माननीय सदस्य जिस विचारधारा के हैं उसी विचारधारा को अपने साथ में रखते हुए इस कटौती के प्रस्ताव को पेश किया है।

यह वाकया नहीं है जिस पर उन्होंने काफी जोर दिया है। मुझे उम्मीद है कि वे वाकया की तह में जावें तो उनको मालूम हो जावेगा कि यह सरकार कोई इस किस्म का कदम उठाने का गुरेज नहीं करती जिससे इस सरकार के पैसे वसूल हों। लेकिन यह मामला इस वाकयात का है कि जब ये रियासतें अलग अलग थीं और उस वक्त इस सरकार का इस पर कोई असर नहीं था। मैं माननीय सदस्य का ध्यान १६२२–२४ के जमाने की तरफ खींचना चाहता हूँ। वाकया यह है कि ठाकुर साहब, जिनका नाम ठाकुर संग्रामसिंह था, उनको कुछ रुपयों की जरूरत हुई। वे महाराजा बीकानेर के पास गये और वे यह चाहते थे कि उनको कुछ माली इमदाद मिले। राजा साहब ने कोशिश की कि किसी सेठ साहब से उनको रुपये मिल जावें तो बीकानेर से कोई सेठ मोहता साहब थे उनसे उन्होंने सिफारिश की कि वह उनको २ लाख ३६ हजार रुपये का कर्जा दे दे। लेकिन रिवाज यह था कि किसी को सेठ साहूकार जब मदद करते थे तो किसी को बीच में गारन्टी के तौर पर रखना चाहते थे। तो महाराजा बीकानेर उनके गारन्टी हुए। तो लेन-देन की पूर्ति आपस में ठाकुर साहब और सेठ साहब के बीच में हुई। ठाकुर साहब कुछ अर्से तक उनको किश्तें देते रहे। लेकिन उनकी हालत कुछ इस किस्म की हुई कि आगे वे रुपया अदा न कर सके। यहां एक चीज शुरू होती है कि किसी तरह से दरबार बीकानेर ने सेठ साहब को ठाकुर साहब का कर्जा उतार दिया

Page No 18

(श्री बालकृष्ण कौल)

लेकिन इस शर्त से कि वह जो सेठ साहब को उनसे रुपया लेना था वह ट्रान्सफर हो जावे स्टेट ऑफ बीकानेर के नाम पर। यह उन्होंने उस वक्त नहीं किया। बीकानेर दरबार यह चाहते थे कि ठाकुर साहब डॉक्युमेन्ट एग्ज़ीक्यूट कर दें; मगर ठाकुर साहब किसी न किसी बहाने उसको टालते रहे।

आगे चल कर उन्होंने जब यह देखा कि रियासतों में ताकत अब कम होती जा रही है तो उन्होंने देने से इन्कार कर दिया। तो उस रकम को जिस वक्त सारी रियासतें आपस में मिलीं तो उसमें राजस्थान सरकार ने एक बुक एन्ट्री पाई जिसमें इसका जिक्र था। लेकिन कुछ कागजात के पूरा न होने के कारण मामला चलता रहा और इस बात की कोशिश रही कि किस तरीके से ठाकुर डिग्गी से रुपया वसूल किया जाय। चीफ मिनिस्टर और आपके वित्त मंत्री ने भी इसमें काफी कोशिश की लेकिन चूंकि गैर कानूनी चीज थी, कानूनी तरीके से एक्ज़ीक्यूशन नहीं हुआ था। कि उस लीज़ को बेस बना कर मुकदमा चलाया जाय। आखिरकार एडमिनिस्ट्रेटिवली हर कोशिश करने के बाद देखा गया कि रुपया वसूल नहीं किया जा सकता। लॉ डिपार्टमेंट के पास यह केस भेजा गया ओपीनियन के लिये तो वहां से ओपीनियन आई कि यह सरकार कोई हक नहीं रखती ठाकुर डिग्गी से रुपया वसूल करने का।

तो सवाल यह है, आजकल दुनिया कानून की है। चूंकि हमको कम्पेन्सेशन का रुपया देना है उसमें से जबरदस्ती काट लें, फिर सरकार उलझ जाय एक गैर तरीके के लिटिगेशन में तो यह उचित नहीं। इसलिये सदन के सामने मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य ने जो यह एतराज उठाया तो यह एतराज तो अपनी जगह उनके सामने ठीक हो सकता है जब कि ये पूरे वाकयात उनके सामने नहीं। जब कि इस तरह की एन्ट्री हमारे रजिस्टर पर है तो सरकार चाहती है कि उसको बट्टे खाते में डाल दिया जाय और उसको खत्म कर दिया जाय। जो चीज वसूल नहीं होती उसकी लम्बे अर्से तक बुक एन्ट्री रखी जाय इससे अकाउन्टिंग में तकलीफ होती है।

तो सदन के सामने एक पक्ष था सरकार का वह मैंने रख दिया है। तो अब मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य जिन्होंने कटौती प्रस्ताव रखा है इन वाकायत को जानने के बाद अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस ले लेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): On a Point of Information, Sir, क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कोशिश करेंगे कि यह एन्ट्री किस तारीख की, किस साल की है?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि यह एन्ट्री बीकानेर स्टेट के जमाने की है और शायद २२, २३ सन् की है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री ने जो मेरे कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में उत्तर दिया है मैं समझता हूँ कि वह बिल्कुल असंतोष-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जनक है; बल्कि यह कहूँ कि वह सरकार की इस नीति का द्योतक है कि जिन्हें इसे रियायतें देनी हों, चाहे वह कोई वर्ग हो, चाहे वह कोई व्यक्ति हो उसको वह खुले तौर से रियायत देती है और दे सकती है, चाहे उसका राजस्थान के कोष पर, सरकार के कोष पर उसका कुछ भी असर पड़े। माननीय मन्त्री महोदय ने यह बात बताने की कोशिश की है कि यह रुपया सरकार कानूनी तौर पर वसूल नहीं कर सकती और इस प्रकार की रिपोर्ट लॉ डिपार्टमेंट से मिली है। मैं तो यह कहूंगा कि जिस प्रकार से सरकार को किन्हीं को रियायत देनी होती है उसके लिये इस प्रकार की रिपोर्ट इनीशियेट कराई जाती है और आम जनता से इस प्रकार की वसूली का सवाल हो और आम जनता से गैर कानूनी वसूली की जा रही हो तो बार बार जनता द्वारा रिप्रज़ेन्टेशन करने के बावजूद भी सरकार उन बातों को लॉ डिपार्टमेंट को रेफर तक नहीं करती।

मैं फिर माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा; अलवर, भरतपुर जिले में ३० हजार विस्थापित किसानों को काश्त करने के लिये बसाया गया, ग्रुप लीडर्स के नाम पर सरकार ने कर्जा दिया। ५० फेमिलीज़ का कर्जा एक ग्रुप लीडर ने लिया। ग्रुप लीडर ने कहीं हाथ का अंगूठा कर दिया कहीं पैर का अंगूठा कर दिया और उनके नाम से वह कर्जा ले लिया। उन फेमिलीज को वास्तव में कोई कर्जा नहीं दिया। आज राजस्थान सरकार हालांकि वे ग्रुप लीडर्स भाग गये, उन फेमिलीज़ में जो आदमी बाकी हैं, जिनको न कर्जा दिया गया, न कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया, न दस्तखत किये, न रुपया लिया, न अंगूठे किये; उनसे सरकार कुर्क करके रुपया वसूल कर रही है। उनसे रुपया जबरदस्ती वसूल किया जा रहा है। पुरुषार्थी कॉन्फ्रेन्स अलवर, भरतपुर, की तरफ से बार बार रिप्रेज़ेन्टेशन्स किये गये कि यह वसूली गैर कानूनी है। उन लोगों को बिल्कुल पता नहीं कि रुपया लिया गया, उनके हाथ के कोई दस्तखत नहीं, अंगूठे नहीं, मयाद गुजर चुकी है, इसका रेफरेन्स लॉ डिपार्टमेंट को आज तक नहीं किया गया और उन गरीब लोगों से छप्पर बनाने के लिये छप्पर बनाने की तकावी दी वह तकावी का रुपया अलग और उससे मकान बन गया उसकी कीमत अलग; आज पुलिस के बल पर और ताकत के बल पर वसूल करना चाह रही है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि दरअसल यह जो लिस्ट इस प्रकार के जागीरदारों के बट्टे खाते रखने की आज से कई वर्ष पहले निकली थी क्यों नहीं डिग्गी ठिकाने का नाम उस लिस्ट में दिया गया? पर यह सब जानते हैं कि पीछे निगोसियेसन्स होती है, बातचीत होती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा कर सकते हैं, इस तरह की निगोशियेशन्स जब फ्रूटफुल हो जाती है, किसी नतीजे पर पहुंचती है, वह चाहे चुनावों के सम्बन्ध में हो, कांग्रेस का फार्म भर देने के नाम पर हो, चाहे कांग्रेस को मदद करने के नाम पर हो तो फिर इस तरह की रिपोर्ट लॉ डिपार्टमेंट से मिल जाती है और इस तरह की छूट दे दी जाती है।

तो मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि यह पोलिटिकल भ्रष्टाचार है, राजस्थान सरकार इस प्रकार राजनैतिक भ्रष्टाचार कर रही है और आम जनता के हितों पर कुठारा-

Page No 20

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

घात कर रही है । मैं समझता हूँ राजस्थान का सामान्य आदमी राजस्थान सरकार की इस नीति को बर्दाश्त नहीं कर सकता । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार उचित समय रहते अपनी इस नीति में परिवर्तन करे और इस तरह के लोगों को जिनके पास कि सब प्रकार की सुविधाएं हैं, जो लोग सम्पन्न हैं, जिनके पास पहले से ही लाखों रुपया है उनको इस प्रकार की रियायत देना बन्द करें । यदि कोई जागीरदार ऐसा है जिसकी आर्थिक स्थिति वास्तव में खराब है, उसको इस प्रकार की रियायत दे दे उसको और अधिक रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट दे दे तो मैं उससे सहमत हो सकता हूं पर जिसको लाखों रुपया देना है उसके लिये यह कहे कि हम न्यायप्रिय हैं इसीलिये नहीं लेना चाहते तो मैं निवेदन करूंगा कि चलिये अलवर, भरतपुर के हजारों लोगों के पास वे किस तरह आपके दरवाजे खटखटाते हैं, उन्होंने १५०० की तादाद में पिछली बार यहां असेम्बली के दरवाजे खटखटाये, उनकी हालत को देखिये ।

तो इस बिना पर मैं मांग करूंगा सदन से कि इस मांग को मंजूर न किया जाय और अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि इस मांग पर मतदान लिया जाय ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : अगर इजाजत हो तो मैं इस पर........

श्री रामानन्द अग्रवाल : Is it a reply to my points ?

(१२ मध्यान्ह)

श्री बालकृष्ण कौल : Just hear me. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सारी दलीलें दी वे इस बिना पर दी कि अलवर और भरतपुर में शरणार्थियों के साथ रुपया वसूली करने में हो रही है; इस किस्म का रेफरेन्स जब बजट पर जनरल डिस्कशन होता उस समय देते तो ज्यादा मुनासिब होता । जिन केसेज़ को इन कटौती के प्रस्तावों के जरिये उन्होंने रखा है वह इस केस से मुख्तलिफ है, इससे उसकी भिन्नता है । सवाल यह है कि अगर अलवर और भरतपुर के कर्मचारी कोई गैर कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं जैसा कि वे कहते हैं तो वह अपनी जगह, है गलत । लेकिन उस गलती को देख कर मुझसे यह उम्मीद की जाय कि दूसरी गलती और करूं जब कि हमारे पास कोई भी एग्रीमेन्ट एक्ज़ीक्यूट हुआ नहीं, जिसका रेकॉर्ड हमारे पास है नहीं तो किस बुनियाद पर हम उस रुपये को मुआवजे की रकम में से काटें ? यह हो सकता है कि हम एक आर्बिट्रेरी डिसीज़न लेकर डिक्टेटरशिप के तौर पर प्रेशर टेक्टिक्स से रुपया काट लेते और कह देते कि अदालत में जाइये । लेकिन यह कोई इन्साफ का तरीका, यह जस्टिस का तरीका नहीं । इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेन्ट नहीं जिस बिना पर यह एक्ज़ीक्यूशन होता और रुपये का लेनदेन होता ! इसलिये लॉ डिपार्टमेन्ट इस किस्म की रायन हीं दे सकता था कि यह रुपया हम वसूल कर सकते । लॉ डिपार्टमेन्ट की जो ओपीनियन आई कि जब हमारे पास किसी प्रकार का डॉक्यूमेन्ट नहीं तो वैसी हालत में रुपया वसूल नहीं कर

(श्री बालकृष्ण कौल)

सकते न कानून से और न अन्य तरीके से। इसलिये मजबूर होकर उस रुपये को छोड़ना पड़ा और सदन के सामने यह मांग लेकर आना पड़ा।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : On a point of information, Sir, क्या पन्द्रह वर्ष लग गये लॉ डिपार्टमेन्ट की राय लेने में सरकार को या पन्द्रह वर्ष बाद सरकार से राय आयी या बीच बीच में ऑनरेबल मिनिस्टर बराबर इसको रेफर करते रहे या अलग अलग राय आती रही या विभाग में ओपीनियन की भिन्नता रही या क्या; यह स्पष्ट करने का कष्ट करें।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, हर मुमकिन कोशिश करने में समय लगता ही है। ठाकुर साहब से हर तरीके से कोशिश की गई कि इस रुपये को वापस कर दें, लेकिन जब उन्होंने कहा कि रुपया नहीं देना है सो यह मामला लॉ डिपार्टमेन्ट को रेफर किया गया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ७६ पर जो कटौती का प्रस्ताव श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ७६, मुख्य शीर्षक ५७-विविध के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १२,८७,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७६ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ७७-अन्य विविध अंशदान तथा अभिहस्तांकन

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक मांग संख्या ७७, मुख्य शीर्षक ६२ ख–अन्य विविध अंशदान तथा अभिहस्तांकन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १३,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ७७, मुख्य शीर्षक ६२ ख. अन्य विविध अंशदान तथा अभिहस्तांकन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १३,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७७ स्वीकार की गई

मांग संख्या ७८-भूमिधारकों इत्यादि सम्बन्धी

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री):

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक मांग संख्या ७८, मुख्य शीर्षक ६५-भूमि-धारकों इत्यादि को जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के फल स्वरूप हानि प्रति देय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २५,००,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ७८, मुख्य शीर्षक ६५–भूमि धारकों इत्यादि को जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के फल स्वरूप हानि प्रति देय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २५,००,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७८ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ७६-सिंचन, नौचालन इत्यादि

श्री भीखाभाई (आयुर्वेद मंत्री) : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ७६, मुख्य शीर्षक ६८-सिंचन, नौचालन, तटबंधन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) के संबन्ध में ३१ मार्च, १६६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,४४,००,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ७६, मुख्य शीर्षक ६८-सिंचन, नौचालन तटबंधन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) के संबन्ध में ३१ मार्च, १६६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को १,४४,००,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७६ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ८०-जन-स्वास्थ्य के सुधार पर पूंजी की लागत

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक मांग संख्या ८०, मुख्य शीर्षक ७०-जनस्वास्थ्य के सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,६६,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ८०, मुख्य शीर्षक ७०–जनस्वास्थ्य के सुधार पर पूंजी की लागत के संबन्ध में ३१ मार्च, १६६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,६६,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

Page No 23

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८० स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ८१-औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक मांग संख्या ८१, मुख्य शीर्षक ७२-औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २७,८७,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ८१ के सम्बन्ध में मैंने एक कटौती प्रस्ताव रखा है। कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है : मांग संख्या ८१, मुख्य शीर्षक ७२-औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत अनुपूरक अनुदान में ८०,०००) रुपयों की कटौती करदी जाय (अनुदान का यह मद राज्य सरकार की कोष स्थिति और जन-हित की दृष्टि से अनुचित है इस पर बहस करने हेतु) इसके अनुसार यह अस्सी हजार रुपया जो मैटल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया, कलकत्ता लिमिटेड में इन्वेस्ट किये जाने की बात कही गई है और जिसके लिये यह रुपया मांगा जाता है, उसके बारे में मेरा यह निवेदन करना है कि ऐसे कॉर्पोरेशन में राजस्थान सरकार को अपना रुपया लगाने की आवश्यकता नहीं है।

मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेन्ट के बारे में राजस्थान सरकार की जो नीति रही है वह नीति सही नहीं है, छोटे उद्योगपतियों को प्रोत्साहन न देकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देने की रही है। सरकारी रुपया जिस उद्योग में लगाया गया है उस उद्योग पर सरकार की ठीक प्रकार से देख-भाल और उचित अंकुश सरकार की ओर से रहे उस तरफ दुर्लक्ष्य बरतने की नीति रही है। सरकार जिस उद्योग में अपना पैसा लगाये उस उद्योग के संचालन में सरकार का प्रभावशील हाथ हो सके, इसको लागू करने के बजाय उसमें सरकार का प्रभावहीन हाथ रख कर और प्राइवेट लोगों को खुले तौर से उस सरकारी पैसे से खेल-कूद करने की छूट देने की नीति रही है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो यह मैटल कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट करने के लिये रुपया मांगा जा रहा है, यह भी सरकार की उसी नीति को आगे ले जाने की नीति है बावजूद इस बात के कि बार बार पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने सरकार की इस नीति को अपनी रिपोर्टों में बदलने के लिए कहा है। ५४-५५ की रिपोर्ट मैं अभी देख रहा था। ५५-५६ की रिपोर्ट मैंने देखी। बार बार उन रिपोर्टों में कहा गया है कि हमने रिकमन्डेशन की कि आपका फाइनेन्स डिपार्टमेंट ठीक ठीक तरह से इस तरह के इन्वेस्टमेंट को देख नहीं रहा है। इस प्रकार के बड़े बड़े लोगों को देते हैं कि जहां से डिविडेन्ड मामूली

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आता है, अथवा बिल्कुल नहीं आता । पर बावजूद इस बात के कि हमारी रिकमन्डेशन्स पर सरकार ध्यान ही नहीं देती; एक बार तो फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने कहा कि एक्सप्लेनेशन भेजेंगे, पर कमेटी तक को एक्सप्लेनेशन्स या रिपोर्ट देने की चिन्ता नहीं ।

अब अध्यक्ष महोदय, इस कॉर्पोरेशन से उदयपुर में एक जिन्क स्मेल्टर लगाने की बातचीत हुई है । सरकार को चाहिये था, इस प्रकार के उद्योग राजकीय क्षेत्र में खोलती । परन्तु अपने कुछ लोगों को रियायत देने की नीति इसमें कारण हो या नहीं या और कोई कारण हो सकता है, जनरली बहुत ज्यादा जानकारी मुझे अभी इसकी नहीं है परन्तु इस प्रकार उद्योग अगर राजकीय क्षेत्र में सरकार खोलती तो अच्छा होता । इस बात की तरफ सरकार ने ध्यान न देकर एक प्राइवेट पार्टी को इस तरह से प्रोत्साहन देकर अच्छा नहीं किया । यह सही है कि राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से इस सम्बन्ध में एक राजकीय क्षेत्र में उद्योग खोलने की बातचीत की थी, जिसमें भारत सरकार ने जैसी कि मुझे जानकारी मिली है, एक करोड़ रुपया लगाने का आश्वासन दिया था और उस समय राजस्थान सरकार भी एक करोड़ रुपया लगाने को तैयार हुई थी परन्तु यह बात कैसे समाप्त हो गई यह सरकार ही जाने । अगर सरकार इस तरह के इन्वेस्टमेन्ट के लिए पैसा मांगती तो हमें हार्दिक प्रसन्नता होती और हमारा पूरा समर्थन उसको मिलता । पर किन्हीं भी कारणों से हो ऐसा लगता है सरकार इसको ठीक तरह से पर्स्यू नहीं कर सकी और अपने इरादे को पूरा नहीं कर सकी । आज उस उद्योग को ऐसे हाथों में दिया जा रहा है जो निजी उद्योग की अपनी नीति है उस पर चलने वाले हैं और उससे उद्योग की असल नीति पार पड़ेगी कि नहीं; यह नहीं कहा जा सकता । जिस तरह का यह कॉर्पोरेशन है जिसमें एक ही व्यक्ति जैसा मुझे पता लगा है का आधिपत्य है कोई सरदार इन्द्रसिंह हैं पंजाब के, वे ५० पर्सेंट मैनेजिंग एजेन्सी में शेयर्स हैं इस कॉर्पोरेशन के और कोई दो बंगाली बन्धु हैं जिनका बाकी के तीस पर्सेंट शेयर्स पर कब्जा है । अब ऐसे कॉर्पोरेशन में इतनी सी रकम लगा कर सरकार अपना कौनसा नियन्त्रण या उसके संचालन में अपना प्रभावशाली हिस्सा रख सकेगी, यह बात तो इससे साफ है ।

इतने से शेयरों से कोई प्रभाव भी नहीं पड़ सकता, न कोई साहसिक कदम सरकार उठा सकती है उसके संचालन में । तो फिर इस तरह से ८० हजार रुपया ऐसे कॉर्पोरेशन में फंसाना जिसकी फाइनेन्शियल पोज़ीशन वैसी ही साउन्ड है, सरकार कॉर्पोरेशन का क्या लाभ करना चाहती है ? उसकी इतनी सी रकम से क्या सहायता करना चाहती है ? इससे मुझे यह शंका प्रतीत होती है कि इस रकम से सरकार उनको एक लाभ देना चाहती है । सरकार अपने इस छोटे से इन्वेस्टमेन्ट के नाम पर उस उद्योग को शिड्यूल उद्योग घोषित करना चाहती है और राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से एक कानून बना कर यहां मजदूरों के राहत सम्बन्धी जो कानून हैं उनको अपने हाथों में, अपने अधिकार में ले रखा है; उन अधिकारों से, उन राहतों से सरकार कॉर्पोरेशन के कुछ व्यक्तियों, थैलीशाहों की मदद के हेतु

Page No 25

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वंचित करना चाहती है, मजदूरों के मौलिक अधिकारों को कुचलने के लिये सरकार ने कॉर्पोरेशन के संचालकों से मिल कर इस इन्वेस्टमेन्ट के रूप में यह साजिश की है। सरकार मजदूरों के हितों पर अपने कानून की मार्फत कुठाराघात करके उस कॉर्पोरेशन के संचालकों को सुविधायें प्रदान करना चाहती है। ऐसा सरकार की इस नीति से प्रतीत होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन बातों को देखते हुए और यह देखते हुए कि सरकार की इतनी सी ८० हजार की मदद से कॉर्पोरेशन की कोई आर्थिक कठिनाई भी हल नहीं होने वाली है सिवाय इसके कि लेबर के हित हैं उन पर कुठाराघात करके संचालकों की मदद कर सके, इस कॉर्पोरेशन में यह रुपया लगाना अनावश्क है और इसलिये मैंने यह कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है। सदन इसकी इजाजत सरकार को न दे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कटौती प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में मैं भी दो शब्द कहना चाहता हूँ। सरकार की जो यह नीति इन्वेस्ट करने की इसमें है यह क्या सोच कर सरकार ने बनाई है यह तो सरकार ही स्वयं स्पष्ट करेगी, पर जहां तक नीति का सवाल है हमारे राजस्थान की आज जो आर्थिक स्थिति है, जो यहां के छोटे छोटे उद्योगों की स्थिति है, हम सब ऐसा महसूस करते हैं कि वह स्थिति असन्तोषजनक है और आज पूंजी के अभाव में सरकार उनकी मदद नहीं कर पा रही है। तो एक ओर से हमारी यह हालत है कि हमारे यहां के उद्योगों को पनपाने के लिये पैसा नहीं है और दूसरी तरफ हम ऐसे उद्योगों को अबाध रूप से पैसा दे रहे हैं जिनके स्वयं के पास काफी पैसा है, जिनकी हालत काफी साउन्ड है और जिनमें इन्वेस्ट करने से सरकार को कोई लाभ भी नहीं मिलता। तो नीति के दृष्टिकोण से भी मैं इस इन्वेस्टमेन्ट को ठीक नहीं समझता।

अगर हमारे पास पैसा है तो हमें उसे अपने दूसरे जो हमारे अपने उद्योग हैं उनमें लगाना चाहिए जिनमें हमारा पैसा लगा है। आज जिप्सम का जो उद्योग है जामसर में उसमें सरकार अपनी पूंजी नहीं लगा रही है।

श्री अध्यक्ष : सामान्य उद्योग की नीति पर बहस न करें, यह इसका समय नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : नीति की बात नहीं करेंगे तो करेंगे क्या?

श्री अध्यक्ष : नियमों के अनुसार कटौती के प्रस्ताव के समय नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं आखिर बात क्या कहूं फिर? आप जब यह कह देंगे तो फिर कहूं क्या? अनीति की बात तो कर नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष : आप नियमों में देख लें। कटौती के प्रस्ताव के संबन्ध में निश्चित बात ही उठाई जाती है कोई हो तो। आप जिस तरह की बहस कर रहे हैं उसके लिए अन्य अवसर आवेंगे तब उल्लेख कर सकते हैं।

Page No 26

श्री मुरलीधर व्यास : आखिर में जो यह पैसा इसमें लगा रहे हैं वह इसमें नहीं लगा कर अगर जिप्सम के उद्योग में लगाते तो जिसमें ४६ पर्सेंट पैसा सरकार का अभी लगा हुआ है उसमें एक पर्सेन्ट और लगाकर उस उद्योग पर सरकार अपना सबल नियन्त्रण कर सकती थी और हमारे हाथों में यह एक महत्वपूर्ण उद्योग आ सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि उदाहरण के लिये आज हमारी यह स्थिति है।

तो मैं यह उदाहरण इसलिए दे रहा था कि सरकार की नीति होनी चाहिए कि जितने भी ऐसे उद्योग जहां थोड़ी सी पूंजी लगा कर उसको सरकार अपने कब्जे में कर सकती है वहां प्राइवेट सेक्टर में पूंजी लगाती है जिससे राजस्थान में कई हाथ बेकार बैठे हैं जिनको काम नहीं दे सके हैं। अगर इस इन्वेस्टमेन्ट को यहां ही लगायें तो अच्छा होगा और सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि कोई भी पूंजी सरकार लगाती है तो उसको राजस्थान में यहां के उद्योगों के लिए लगानी चाहिए। तो नीति के रूप में मैं इसका विरोध करता हूं और ऐसा समझता हूं कि वहां के इस प्रकार के शेयर खरीदने से राजस्थान को कोई लाभ नहीं होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस मैटल-कॉर्पोरेशन के शेयर केपिटल में हिस्सा लेने के प्रश्न को लेकर यह कटौती का प्रस्ताव आया है उसके सम्बन्ध में मैं आपके द्वारा सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जहां तक स्मेल्टर लगाने का प्रश्न है कि स्मेल्टर को हम पब्लिक सेक्टर में लगा लेते तो ठीक होता और मैं समझता हूं कि अगर लगा सकते तो इसके बारे में कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिंक स्मेल्टर एक ऐसी चीज है कि जब तक माइन्स पर कब्जा न हो तब तक केवल स्मेल्टर लगा लिया जाये तो स्मेल्टर नहीं चलता। मेटल कॉर्पोरेशन को राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी तक लीज़ नहीं दिया और वह लीज़ चला आता है राजस्थान के फॉर्मेशन के पहले से। जिस पार्टी के पास लीज़ है उस पार्टी से जिंक लेकर और स्मेल्टर गवर्नमेन्ट चलाये तो मुश्किल होता है। प्रश्न यह उठ सकता है कि हम माइन्स को भी नेशनलाइज़ कर देते और फिर दोनों चीजों को नेशनलाइज्ड तौर पर चलाते। इस संबंध में जो चर्चा हुई वह एक लम्बा और पेचीदा सवाल था जिसके कारण कि काफी विलम्ब हो सकता था और इस इन्डस्ट्री को आगे बढ़ाने के बजाय और उलझन पैदा हो सकती थी। सारी बातों पर सोच कर उसके बाद में यह निर्णय लिया गया कि यह प्राइवेट सेक्टर के अन्दर ही रहेगी और प्राइवेट सेक्टर के अन्दर रहते हुए इसका जल्दी से जल्दी विकास कैसे हो; इसके लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार भी स्वयं काफी जागरूकता के साथ इसमें लगी हुई है कि इतनी बड़ी निधि जो आज सारे भारतवर्ष में उपलब्ध है उसका विकास कैसे हो। इस समय जो कॉर्पोरेशन के शेयर केपिटल हैं वे २ करोड़ ४० लाख के करीब हैं। तो इस शेयर केपिटल में २५ लाख रुपए का शेयर राजस्थान गवर्नमेन्ट ने लेने का फैसला किया। जहां तक इस कॉर्पोरेशन पर गर्वमेन्ट का या गवर्नमेन्ट से सम्बन्धित जो दूसरी ऐजेन्सीज़ हैं उनके कन्ट्रोल का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में

Page No 27

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

राजस्थान गवर्नमेन्ट के २ डाइरेक्टर्स होंगे, २ फाइनेन्स कॉर्पोरेशन के हैं, २ गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के हैं । इस प्रकार से शायद १२ डाइरेक्टर्स में से ६ डाइरेक्टर्स रिज़र्व बैंक ऑफ इन्डिया और राजस्थान गवर्नमेन्ट के मिला कर इस इन्डस्ट्री की सारी चीजों की देखरेख के लिए रखे गये हैं । यहां तक कि जो मनी लगाया है इस शेयर की वेल्यू १० रुपये के बजाय १२ रु० ३१ न० पै० है । तो जो इन्वेस्टमेन्ट किया गया है उसके लिए कहा जाये कि यह बैड है या दूसरी बात कही जाये वह बात नहीं है; बल्कि इतने डाइरेक्टर्स होने की वजह से मैं समझता हूं कि इस उद्योग को ज्यादा तेजी के साथ पनपाया जा सकेगा और इस पर कन्ट्रोल भी रह सकेगा, उसमें गवर्नमेन्ट का भी शेयर रहेगा । इन सारी बातों को और इन्वेस्टमेन्ट सेफ रहे इसमें कोई खतरा नहीं है और उद्योग भी आगे बढ़ें, इसको ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया है कि इसका शेयर लेना चाहिए और इसके शेयर लेना हर दृष्टि से उपयुक्त रहेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही संबंधित प्रश्न के बारे में कहना पर्याप्त समझता हूं । इस कम्पनी के फोरिन कोलोबरेशन ने २५ लाख के शेयर्स लिये हैं और राजस्थान गवर्नमेन्ट ने और गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के फाइनेन्स कॉर्पोरेशन ने इसके शेयर लिए हैं । इसलिए मैं समझता हूं कि जो इन्वेस्टमेन्ट किया गया है उसमें खतरा नहीं है या कोई बैड इनवेस्टमेंट कर दिया गया हो, ऐसी बात नहीं है । मैं उम्मीद करता हूं कि इस डिमाण्ड को सदन के सामने रख दिया जाये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो मेरे कटौती प्रस्ताव का उत्तर दिया है उस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि किसी भी सरकार के सामने अपना इन्वेस्टमेन्ट करते समय केवल इतना ही देखना काफी नहीं है कि यह इन्वेस्टमेन्ट सेफली रिटर्न हो जायेगा और इस पर कुछ मुनाफा आता है या नहीं । साथ में सरकार को सामाजिक न्याय की दृष्टि से और अपने राज्य में उद्योगों के विकास की दृष्टि से भी यह सोचना होगा कि किस केटेगरी के लोगों को आर्थिक सहायता की जरूरत है और किस केटेगरी के लोग बिना आर्थिक सहायता दिए भी अपने आर्थिक साधनों से उस उद्योग को ठीक ढंग से चला सकते हैं । माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया उसमें इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया कि क्या उस कॉर्पोरेशन को आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ी थी, क्या वह अपनी फाइनेन्शियल डिफिकल्टीज़ के कारण अपने इस काम को अमलीजामा पहिनाने में किसी प्रकार की दिक्कत महसूस कर रही थी और जिस प्रकार का उसका शेयर केपिटल है और जिस प्रकार का यह कन्सर्न है मैं समझता हूं कि इस प्रकार की दिक्कतें इस कॉर्पोरेशन को नहीं है और अगर मुकाबले के तौर से देखा जाये तो राजस्थान में राजस्थानियों के ही उद्योग इस प्रकार के होंगे जिनको आर्थिक दिक्कतें इससे अधिक हैं और जिनको इस प्रकार की सहायता की अधिक आवश्यकता है इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बात का ध्यान न रख सरकार जिस पैसे को छोटे उद्योग-पतियों को सहारा देने में और मदद देने में इस्तेमाल कर सकती है जो कि इतने ही साउन्ड हैं और जो डिविडेन्ड दे सकते हैं उनको न

Page No 28

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

देकर इस प्रकार के उद्योगों में सरकार इन्वेस्ट कर रही है कि जिनको कि नीति के तौर पर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वे अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि यह अच्छा होता कि यह उद्योग निजी क्षेत्र में न चलकर राजकीय क्षेत्र में चलता और उसके लिए यह जरूरी था कि उस खान का राष्ट्रीयकरण किया जाता और मैं समझता हूं कि जब तक यह सरकार इस कदम को नहीं उठाती तब तक राजस्थान के हित की उपेक्षा की जा रही है। राजस्थान का हित इस बात में है कि इस कार्य को राजकीय क्षेत्र में किया जाता और तब ही हमारी समस्या हल होने वाली थी वर्ना एक-दो वर्ष के बाद फिर यही सरकार विचार लेकर आयेगी कि निजी उद्योग वालों ने सही प्रयत्न किया नहीं और अभी तक वह उद्योग नहीं लगा सके और जिस प्रकार से हम अपने दूसरे राजकीय उद्योगों की हालत देख रहे हैं; चाहे डीडवाना की हो, चाहे पलाना की हो। जैसलमेर के अन्दर ऑइल के बारे में देख रहे हैं कि निजी उद्योग के लिए उनको यहां स्थान नहीं मिला; हम यह देख रहे हैं। मेरा यह निवेदन करना है कि ये खानें रिचेस्ट खानें हैं दुनिया भर में, इसलिए उनका जो फायदा राजस्थानियों को मिलना चाहिये सरकार अपनी नीति के कारण कहने को कह सकती है कि हमें समय नहीं मिला, लेकिन जिस सरकार को १५ वर्ष तक अपने ऐसे बुनियादी उद्योगों को अपने हाथ में लेने का समय नहीं मिला तो मैं समझता हूं कि ऐसी सरकार फिर कभी समय निकाल ही नहीं सकेगी इस प्रकार के सही कामों को जनता के लिए करने का। इसलिए मैं फिर यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस मांग को ,जो कि ८०,०००) रू० इस मद में इन्वेस्ट करने के लिए मांग की जा रही है, मन्जूर नहीं किया जाय। यह अनावश्यक है और हमारे हितों के विरुद्ध है। जनता के दूसरे तबके में इसको लगा कर अधिक फायदा दे सकते हैं। इसलिए मैं इसके विरोध में कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं और मैं मांग करता हूं कि इस पर मतदान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ८१ पर जो कटौती के प्रस्ताव श्री रामानन्द ने रखे हैं इनको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ८१, मुख्य शीर्षक ७२-औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २७,८७,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८१ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ८२-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा

श्री हरिश्चन्द्र(सार्वजनिक निर्माण मंत्री):

(श्री हरिश्चन्द्र)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक मांग संख्या ८२, मुख्य शीर्षक ८१-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६१,८३,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ८२, मुख्य शीर्षक ८१–राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों के पूंजी लेखा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६१,८३,०००) रु० की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८२ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ८३--राजस्व लेखे के बाहर और निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक मांग संख्या ८३, मुख्य शीर्षक ८२-राजस्व लेखे के बाहर अन्य निर्माण कार्यों के पूंजी लेखा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,८६,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष :–प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ८३, मुख्य शीर्षक ८२, राजस्व लेखे के बाहर अन्य निर्माण कार्यों के पूंजीलेखा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,८६,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८३ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ८४–राजस्व लेखे के बाहर सड़क तथा जल परिवहन पर पूंजी की लागत

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक मांग संख्या ८४, मुख्य शीर्षक ८२–ख–राजस्व लेखे के बाहर सड़क तथा जल परिवहन पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,९९,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : ४,९९,०००) रु०।

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां, ४,९९,०००) रु०।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ८४, मुख्य शीर्षक ८२–ख–राजस्व लेखे के बाहर सड़क तथा जल परिवहन पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में

Page No 30

(श्री अध्यक्ष)

किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,९९,०००)रु० की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८४ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ८५—निवृत्ति वेतन के एक मुश्त दान के भुगतान

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक मांग संख्या ८५, मुख्य शीर्षक ८३—निवृत्ति वेतन के एक मुश्त दान के भुगतान के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,८८,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ८५, मुख्य शीर्षक ८३, निवृत्ति वेतन के एक मुश्त दान भुगतान के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,८८,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जायं।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८५ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ८६—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री हरिश्चद्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक मांग संख्या ८६, मुख्य शीर्षक ८५—का—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ९८,०५,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ८६, मुख्य शीर्षक ८५—का—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ९८,०५,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८६ स्वीकार की गई।

अनुपूरक मांग संख्या ८७—राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : अध्य महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक मांग संख्या ८७, मुख्य शीर्षक—ता—राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७७,३९,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक मांग संख्या ८७, मुख्य शीर्षक—ता—राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में

Page No 31

(श्री अध्यक्ष)

३१ मार्च, १६६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्याय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७७,३६,०००) रु० की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८७ स्वीकार की गई।

राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १६६२

(पुनः स्थापन, विचार-विमर्श एवं पारण)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १६६२ को पुरः स्थापित की आज्ञा के लिए प्रार्थना करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १६६२ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्तमन्त्री) : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय,........

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रस्ताव प्रस्तुत कर लें उसके बाद में।

श्री भैरोंसिंह : पुरःस्थापित कर लिया है।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव को विचारार्थ लिया जाय, वह मूव कर लें उसके बाद में बोलें।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १६६२ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्रीजी की ओर से जो विनियोग विधेयक सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है और उस विधेयक के द्वारा किन किन मांगों में कितनी २ रकम इस सदन के द्वारा चाही गई है, इन दोनों को राज्य सरकार के सन् ६१-६२ के बजट के साथ में देखा जाय तो ऐसा लगता है कि हमारी सरकार ने ६१-६२ के बजट सम्बन्ध में जो हमें इकोनोमी का आश्वासन दिया था सरकार वह पूरा नहीं कर पाई।

अध्यक्ष महोदय, यदि यह कहा जाय कि पिछले १० वर्षों में हमारी सरकार ने जब भी बजट प्रस्तुत किया तब राजकीय खर्चे में कमी करने के संबंध में थोड़ा बहुत उल्लेख उसमें होता आया है। लेकिन पिछले वर्ष जो बजट पेश किया गया था उस समय तो ऐसा लगता था जैसा कि सरकार ने कोई एक आन्दोलन उठाया हो अपने सरकारी खर्चे में कमी करने का। वह आन्दोलनात्मक बजट हमारी सरकार ने पेश किया था। लेकिन अभी जब इतनी

(श्री भैरोंसिंह)

भारी सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट्स इस सदन से ली गई हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उस समय जो इकोनामिक कट करने की बात कही गई थी उसके पीछे वास्तविकता नहीं थी, बल्कि जनता का कुछ दबाव था कि सरकार अपने खर्चे में किसी प्रकार से कमी करे। लेकिन सरकार को कमी करने की चिन्ता नहीं थी लेकिन दिखावे मात्र के लिए कमी करने का बजट सदन के सामने उस समय रखना चाहते थे।

अध्यक्ष महोदय, यदि राजस्थान सरकार के बजट के ट्रेन्ड्स को देखा जाय तो कोई भी वर्ष ऐसा नहीं निकलता जिस वर्ष में हमारी सरकार द्वारा सप्लीमेंट्री ग्रान्ट लेकर जो बजट का वास्तविक लक्ष्य था उसके विपरीत आचरण न किया हो। कोई भी मद ऐसा नहीं है, वह चाहे पुलिस विभाग का ही क्यों न हो, इस वर्ष भी जो सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स मांगी गई है उनमें सरकार ने यह स्पष्ट मंजूर किया है कि हम जिस प्रकार की मितव्ययता करना चाहते थे वह नहीं कर पाये और उसका कारण यह बताया है कि जनरल इलेक्शन्स आ गये थे उस कारण से इस विभाग में संभावित मितव्ययता हम पूरी नहीं कर पाये। मैं ऐसा समझता हूं, माननीय गृह मंत्रीजी सन् १६५७ और १६५२ का बजट देखेंगे तो सन् ५७ और ५२ के बजट में पुलिस विभाग पर जितना खर्चा हुआ है उसके लिए आपको इलेक्शन के कारण कोई सप्लीमेंटरी ग्रान्ट नहीं लेनी पड़ी है। जितना बजट मंजूर था उसी बजट में सन् ५७ और सन् ५२ के चुनाव करा दिये गये थे। सन् ६१ में आपने पुलिस विभाग के अन्दर कुछ कटौती करना स्वीकार किया था। मैं नहीं समझ पाया हूं कि अबकी बार इलेक्शन्स के कारण हमारे यहां कोई गंभीर स्थिति पैदा हुई थी जिसको लेकर पुलिस विभाग में कटौती नहीं कर सके। अबकी बार मैं यह कह सकता हूं, मुख्य मन्त्रीजी का भी यह कहना है कि सन् ५२ के चुनावों से पहले राजस्थान में वास्तव में कुछ विषम स्थिति थी। उस विषम स्थिति में भी हमने कार्य किया और सप्लीमेंटरी मांग मंजूर नहीं करवाई। लेकिन जब सन् १६६२ में सप्लीमेंटरी मांग मंजूर कराते हैं तो हम विचार करने के लिये विवश करता है कि सरकार मितव्ययता के पक्ष में है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यही कारण होगा कि राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के समक्ष, यह कहना चाहिए कि अपनी सारी स्थिति को स्पष्ट न करने के कारण या यह कहना चाहिये कि वे मितव्ययता नहीं कर पाते हैं इस स्थिति का संतोषजनक एक्सप्लेशन नहीं देने के कारण राजस्थान सरकार पर भारत सरकार ने कोर्ट ऑफ वार्ड्स बैठा रखी है। "कोर्ट ऑफ वार्ड्स शब्दों के नाम पर चाहे इसमें मतभेद हो सकता है। लेकिन मुख्य मंत्रीजी जानते हैं कि आज हिन्दुस्तान में राजस्थान ही एक ऐसा प्रान्त है जहां की सरकार के खर्चे की जांच भारत सरकार द्वारा एक वर्ष में तीन बार होती है। वह जांच इसलिए नहीं होती कि राजस्थान में कोई विकास के द्वारा काम इतना तेजी से बढ़ रहा है या विकास के काम का हिसाब रखना राजस्थान के लिए या राजस्थान की सरकार के लिए एक असमर्थता प्रगट करने वाली चीज हो, वह इसलिये भी नहीं है कि राजस्थान में इतने ज्यादा रिसोर्सेज़ जुट

(श्री भैरोंसिंह)

पाये हों जिनको संभालना हमारी सरकार के लिए कठिन हो रहा हो, बल्कि वह इसलिए है कि हमारी सरकार अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सेज़ में जितनी कटौती करनी चाहिये थी उतनी नहीं कर पाई।

पिछले दिनों अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया से ओवर ड्राफ्ट लिये। रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया से ओवर ड्राफ्ट लिये। रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया के ओवर ड्राफ्ट का ३१ जून, ६१ तक जब कि रिज़र्व बैंक का ऑडिट होता है उससे पहले उनका क्लियरेन्स होना चाहिये था; रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया ने हमारी राज्य सरकार से इस बारे में कहा-सुनी की पर हमारी सरकार ने ऐसा लगता है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और जब यह स्थिति रिज़र्व बैंक की तरफ से भारत सरकार के सामने लाई गई तो भारत सरकार ने इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए हमारी सरकार को १२ करोड़ रु० के लोन्स एडवान्स किए। हमारी सरकार ऐसा समझती थी कि शायद वेज़ एण्ड मीन्स के अन्तर्गत इतना प्रयत्न करने के बाद सरकार की आर्थिक स्थिति संभलेगी और जितने आवश्यक मद हैं उनमें आवश्यक खर्चे को छोड़ कर बाकी में मितव्ययता करेंगे और हिसाब-किताब ठीक करेंगे और उसके बाद सही चीज हमारे सामने आयेगी। लेकिन बदकिस्मती ऐसी हुई कि १२ करोड़ का लोन एडवान्स करने के बाद भी राजस्थान सरकार की स्थिति संभली नहीं और ओवर ड्राफ्ट बढ़ते बढ़ते ८ करोड़ तक चला गया तो भारत सरकार को चिन्ता हुई और राजस्थान सरकार से कहा गया कि सारा मसला आज सरकार और रिजर्व बैंक के बीच में एक अजीब रूप में है। मुझे पूरे आंकड़े याद नहीं हैं लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार द्वितीय प्लान समाप्त हुआ था उस समय और तृतीय प्लान शुरू हुआ था उस समय भारत सरकार ने ११ करोड़ रुपये कर्जा चुकाने के लिए एडवान्स किये थे जो चुक नहीं पाये, ८ करोड़ रुपये रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट के रूप में लिये थे जिसका उस समय किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया और स्थिति इस प्रकार बिगड़ती गई कि भारत सरकार ने राज्य सरकार से यहां तक कहा कि तीसरी पंच-वर्षीय योजना में १५६ करोड़ की जो केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलती है उसमें कुछ कटौती की जायगी। यह सही है कि राज्य सरकार ने इस कटौती को स्वीकार नहीं किया और अन्त में ऐसी स्थिति बनी कि भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को १५ करोड़ रुपये और एडवान्स किए और १० वर्षों में उनको वसूल करने की योजना बनाई। लेकिन ये सारी बातें इस बात को इंगित करती हैं कि राज्य सरकार बजट के मामले में कितनी सीमा तक काबू पा रही है या अपने काबू में रखती है या नहीं। लेकिन जब सारा मसला खराब हुआ और स्थिति खराब हुई तब उस हालत में भारत सरकार ने आदेश दिया कि हर तीसरे महीने में जांच की जाय।

यह बड़े ही खेद का विषय है। मैं जानता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी शायद यह नाम लेंगे कि दूसरी सरकारों ने भी ऐसा ही किया लेकिन हमारे यहां उनकी नकल करने की बात नहीं है, हमें पूरा नियंत्रण करना पड़ेगा।

Page No 34

(श्री भैंरोंसिंह)

आज पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि आज की आर्थिक स्थिति राजस्थान सरकार के काबू के बाहर की बात है। या तो कहना चाहिए कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या कंट्रोल करने को किसी भी प्रकार से राजी नहीं हैं वर्ना ऐसी स्थिति नहीं होती कि इसको कंट्रोल नहीं कर पाते।

मैंने जैसा कहा, पुलिस विभाग के लिए सप्लीमेंटरी ग्रान्ट लेने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, इलेक्शन के कारण ज्यादा खर्चा हुआ इसलिए कटौती नहीं कर सके। अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से वे सारे विभाग अपनी अपनी सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड्स लेकर आये हैं। कोई भी विभाग ऐसा नहीं बचा है जिसने कुछ कटौती करने के लिए अपने आपको आगे बढ़ाया हो और यह बताया हो कि मैं अपने विभाग में मितव्ययता बताना चाहता हूं। कोई भी विभाग ऐसा नहीं बचा है जो सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड नहीं ले रहा हो। यह कहा जा सकता है कि सिविल वर्क्स में रोडस, बिल्डिंग्ज और प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन को हेल्प देने का काम ज्यादा बढ़ा है, इसलिए एडीशनल एक्सपेन्डीचर करना पड़ा है; लेकिन मैं ऐसा विश्वास करके नहीं चलता क्योंकि हमारे इस वर्ष के अन्दर जिस समय सारी गवर्नमेंट मशीनरी इलेक्शन के मसले में लगी हुई थी उसमें ही तृतीय पंचवर्षीय योजना में शुरुआत में जो प्लान्स थे उनको समझ कर फॉर्म्युलेट करने के लिए योजना बन रही थी। उस पीरियड में यह मान कर चला जाय कि ये जो प्लान्स होते हैं, सारे प्लान के काम अंतिम वर्ष में होते हैं, अंतिम वर्ष में जो स्पीड होती है वह पहले वर्ष में हो जाय। मुझे इसका कारण समझ में आता है कि इस समय इलेक्शन का मसला था और कई स्थानों पर सड़क के नाम पर वोट मिलने वाले थे, कई जगह बिल्डिंगों के नाम पर वोट मिलने वाले थे, जैसे भवानीगंज मंडी के अन्दर वाटर वर्क्स के नाम पर वोट मिलने-वाले थे वैसी स्थिति में खर्चा बढ़ा है और हर मद में सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड रखी है। मैं नहीं समझता हूं कि जो खर्चा होता है उसके कारण किसी प्रकार का एन्टीसिपेटेड जो सिस्टम है उसके आधार पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। राजस्थान सरकार एक विभाग का बजट प्रस्तुत करती है, लेकिन आगे वह बजट इतना बढ़ जाता है कि सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड लेने के बाद ऐसा लगता है कि जिस समय बजट बनाया जाता है तो उस समय जो आवश्यक खर्च हैं उनका अनुमान नहीं होता है और या यह हो सकता है कि अनुमान सही नहीं होता तो कहीं कोई कमी होती है या कहीं कोई परिवर्तन होते हैं और उस कारण आवश्यक संशोधन करने पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे केलकुलेशन इतने गलत साबित हों कि किसी विभाग की ड्योढी रकम सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड में बन जाय। मैंने कई ऐसे मद देखे हैं, जिनके बारे में विस्तार से इस समय चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल एक चीज की ओर सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि आपने जितनी परचेंजेज के बारे में जितनी डिमान्डों में रकम मांगी है वह कागज की है, प्रिंटिंग प्रेस की है, वह जीप की है, या वह फर्नीचर की है और और किसी चीज की है, जिसके

(श्री भैरोंसिंह)

बारे में आप समय से पहले, एक साल पहले अन्दाज लगा कर चल सकते थे कि कौन से विभाग में जीप खराब होने वाली है, किस विभाग में एडीशनल स्टाफ रखना है। मैं समझता हूं कि कोई ऐसी इमर्जेन्सी पैदा नहीं होती है जिसको एन्टीसिपेट करके नहीं चल सकते। फिर किस विभाग में एडीशनल स्टाफ रखना पड़ेगा, किस विभाग में एडीशनल सेक्शन खोलना पड़ेगा, किसमें कन्वेयेन्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इन सब का जो एन्टीसिपेशन है वह इतना गलत साबित होता है तो यह इसका प्रमाण है कि जिस समय बजट बनता है उस समय वास्तविक मदों को ध्यान में रखे बिना जो आंकड़े विभाग के द्वारा भेज दिये जाते हैं उन सबको कान्सोलिडेट करके बजट के रूप में सदन के सामने प्रस्तुत कर देते हैं और जिस समय हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट को आवश्यकता होती है कि इतनी जीप्स खरीदनी हैं, इतना फर्नीचर खरीदना है या टाइप राइटर लेना है; इस प्रकार के मसलों को पर्चेज करने के लिए जो बजट प्रोविजन्स हैं उनका ख्याल रखे बिना मद रख कर सरकार के सामने सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड के रूप में रख देते हैं। मैं समझता हूं कि जो इस प्रकार का ट्रेन्ड चलता आ रहा है बजट का, बजट में जिस हैड में जितना खर्चा होना चाहिये उसको इस प्रकार बना देने की प्रणाली सरकार की बनती जा रही है; यह निश्चित रूप से बजटरी सिस्टम के लिए घातक है। मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार इस प्रकार के सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करे, वर्ना स्थिति यह हो सकती है कि हमारा बनाया हुआ बजट किसी विभाग के लिए एक एक्जाम्पल न होकर नाम मात्र की चीज रह जाय और जिस प्रकार भी जिस विभाग की आवश्यकता हो उस प्रकार वह व्यवस्था कर ले।

इस स्टेशनरी एण्ड प्रिंटिंग विभाग में छः लाख रुपये का कागज खरीदने की व्यवस्था की गई। यह कागज किसलिए खरीदा जायगा, मैं उसका जिक्र नहीं करता। मैं एक बात इस सदन से निवेदन करना चाहूंगा और खासतौर से माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि पिछले दिनों जिस समय विभाग द्वारा कागज खरीदा गया था उस समय राजस्थान के कई ऐसे समाचार पत्र थे जिन्होंने इस खरीद फरोख्त को लेकर सरकार और जनता का ध्यान आकर्षित किया था। मैं ऐसा समझता था कि इतना पब्लिक इश्यू बनने के बाद किसी ऐसे मसले के ऊपर सरकार द्वारा कोई इन्क्वायरी कराई जायगी और इन्क्वायरी के द्वारा इन चीजों का प्रमाण निकाला जायगा और प्रमाण लाये जायेंगे कि जो कागज खरीदा गया था कि इस कागज की खरीद के लिए टेन्डर इन्वाइट करने के सम्बन्ध में कोई गड़बड़ी हुई या नहीं; जो टेन्डर इन्वाइट किये गये और उनका जिन पेपरों में एडवर्टाइजमेंट किया गया उनमें जो कानून संगत बातें होनी चाहिए वे हुईं या नहीं; टेन्डर में जो स्पेसिफिकेशन दिए गए थे, उसके अनुसार कागज आया या नहीं, टेन्डर जिस पीरियड में आने चाहिए, उसमें आये या नहीं। इस सम्बन्ध में मैं तो यह समझता हूं कि जनता में और इस विधान सभा में इस मसले के ऊपर काफी जिक्र किया गया है, काफी क्वेश्चन्स पूछे गये हैं। इस सरकार की जानकारी में इस प्रकार के मसले

(श्री भैरोंसिंह)

लाये गये हैं लेकिन इन मसलों के अन्दर सरकार की ओर से जांच नहीं की गई है और अगर की गई है, तो मैं निवेदन करूंगा कि जांच के अन्दर जिस तरह के परिणाम उसने देखे हैं या जो सरकार की जांच कमेटी या जांच ऑफिसर ने निकाले हैं उससे सदन को परिचित कराएं। लेकिन ऐसा लगता है और जहां तक मेरी जानकारी का सवाल है, इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की जांच नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यह बात सही है कि राज्यपाल महोदय के सम्बन्ध में जो मद रखी जाती है उस पर सदन में मतदान नहीं होता है, उस पर बहस हो सकती है। उस बहस के सम्बन्ध में थोड़ी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा। पिछले वर्ष जब भी बजट राज्यपाल या राज भवन के सम्बन्ध में आये, सदन के सभी माननीय सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया है कि इसके ऊपर कम से कम बहस की जाय और जहां तक सम्भव हो इस मसले को बहस में न लाया जाय। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि यह एक आवश्यक मांग है, जिस मद को बहस में शामिल किया जाय तो उस बहस के कारण हमारी सरकार को भी सहायता मिलेगी। मेरी जानकारी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि राज भवन में जितना सामान खरीदा जाता है उसका एक्चुअल फिज़िकल वेरीफिकेशन नहीं होता है और इस कारण कितना सामान राज भवन में किस फर्म से आया है, किस कीमत पर आया है और उसकी खरीद में किस प्रकार नियमों की अवहेलना की गई है, इसके सम्बन्ध में जांच नहीं होती। इसके साथ ही साथ राज भवन में जो चीजें खरीदी जाती हैं उनके सम्बन्ध में, जो फाइनेन्शियल रूल जनरल पर्चेज़ेज के हैं वे लागू नहीं होते। इसलिए राज भवन में जितनी चीजें खरीदी जायं; चाहे किसी भी फर्म से खरीदी जायं और उनके सम्बन्ध में नियमों की अवहेलना की जाय; मैं राज्यपाल महोदय के विषय में नहीं कहना चाहता, मैं कहना चाहता हूं कि जो कॉन्स्टीटयूशनल हैड है और उसके नीचे जो डिपार्टमेंट है उसके रिहायस के लिए है उसके रहन सहन के लिए है या जो सरकारी महमान आते हैं, उनका जो खर्चा है, उस सबके लिए राज्य सरकार बताये कि राज भवन और राज्यपाल महोदय पर जो खर्चा होता है उस पर आपके कौन से रूल्स लागू होते हैं, कौन से फाइनेन्शियल रूल्स लागू करते हैं, पर्चेज़ेज़ के संबंध में क्या रूल्स बना रखे हैं, फिज़िकल वेरीफिकेशन के सम्बन्ध में क्या रूल्स है और उनके अनुसार फिज़िकल वेरीफिकेशन नहीं होता है तो उसके कारण क्या है—इस सब का मुख्य मंत्रीजी स्पष्टीकरण देंगे। अगर इस प्रकार का फिज़िकल वेरीफिकेशन हुआ तो मैं कह सकता हूं कि जो पर्चेज़ेज़ की जाती हैं पंखे के नाम पर, टाइप राइटर के नाम पर, फर्नीचर के नाम पर, अकोमोडेशन के नाम पर और जो सारी चीजें चलती हैं वे नहीं होंगी। आखिर राज-भवन एक छोटी सी जगह है, कोई बहुत बड़ा स्थान नहीं है जिसको कि आज दस वर्ष से फरनिश किया जा रहा है लेकिन अभी तक नहीं कर पाये हैं। आज छः वर्ष से उस राज भवन को ठीक प्रकार से फर्निश किया है फिर यह पता नहीं चलता है कि

(श्री भैरोंसिंह)

कौनसा फर्नीचर टूट जाता है, कौनसा रिप्लेस किया जाता है और कैसा रिप्लेस किया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार एक्चुअल फिज़िकल वेरीफिकेशन और विभागों के स्टोर्स का होता है उसी प्रकार राज भवन के सारे सामान का फिजिकल वेरीफिकेशन करायें और फिज़िकल वेरीफिकेशन की रिपोर्ट जहां भी जिस विभाग को, जिस ऑडिट विभाग के सामने, ऑडिटर जनरल के पास जानी चाहिए वह वहां उसी प्रकार पहुंचाई जाय ताकि जो समिति उस ऑडिट रिपोर्ट पर कार्यवाही कर सकती है वह कर सके और अपने कमेन्ट दे सके और उसको करने से गुरेज नहीं करे।

मैं इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि हमारी राज्य सरकार ने कुछ डीलक्स बसेज़ खरीदने के सम्बन्ध में इसमें मांग रखी है। वैसेतो यातायात मंत्रीजी ने जिस समय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद हो रहा था उसका उत्तर देते समय कहा था कि हमारी सरकार की नीति समाजवादी है

(१ म. प.)

और उसी समाजवादी नीति के आधार पर हम मोटर ट्रान्सपोर्ट का नेशनलाइज़ेशन करेंगे। यह उनकी नीति है, वे उसका प्रतिपादन करें। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार की नीतियें जिनके कारण हमारी समान नीतियों को लागू करने के बारे में समस्या पैदा हो जावे तो उसके हल के लिये भी कोई न कोई रास्ता अख्त्यार करना होगा। रूट्स जिनका नेशनलाइज़ेशन किया गया है उस सम्बन्ध में राजस्थान का कोई भी समाचार पत्र ऐसा नहीं होगा जिसने यह नहीं लिखा हो कि प्राइवेट बसेज़ से ज्यादा पैसा सरकारी बसों में जनता को देना पड़ता है। अब इस किराये की आवाज को दबाने के लिये हमारी सरकार यह कहेगी कि पहले वाले प्राइवेट बसेज़ के मालिक जो बसेज़ चलाते थे उनमें पंखे नहीं थे। हम डीलक्स बसेज़ खरीद रहे हैं। उसमें यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज्यादा सहूलियतें और आराम मिलेगा मैं यह कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि हमको हमारे राजस्थान के लोगों की आर्थिक स्थिति की तरफ ध्यान देना होगा। हमको समाजवाद और पूंजीवाद को ध्यान में नहीं रखना है। हमें जनता की जेब को ध्यान में रखना है कि आया जनता के लोग इतना पैसा खर्च कर सकेंगे या नहीं। जनता आज किस आर्थिक स्थिति से गुजर रही है और उसकी इनकम के सोर्सेज़ क्या हैं ? आज हमारी गरीब जनता डीलक्स में जाना पसन्द नहीं करेगी जिसमें उसको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। वे थर्ड क्लास में जाना पसन्द करेंगे। जिस बस में कम से कम किराया लगे और कम से कम समय लगता है उस बस में वे जाना पसन्द करते हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि आज हमारी सरकारी बसें ज्यादा से ज्यादा किराया ले रही हैं, जनता की जेब से ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल किया जाता है। फिर हमारी सरकार कहती है कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि डीलक्स बसेज़ से हमारी जनता की जेब में

(श्री भैरोंसिंह)

कोई पैसा आनेवाला नहीं है । आज आपने ग्रान्ट प्रस्तुत की है, मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने आपको यह आदेश दिया है कि आप ओवर ऑल डिफेक्टिव बजट पेश न करें । आप एक रेवेन्यू बजट पेश नहीं कर सकते ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : यह रेवेन्यू बजट क्या होता है ?

श्री भैरोंसिंह : दोनों एक ही हैं, दोनों का एक ही मतलब होता है ।

जब भारत सरकार के ऐसे आदेश आपको मिले हैं तो आज ४ बजे बजट पेश किया जावेगा । उसमें करोड़ों रूपयों के नये कर होंगे । नये फाइनेन्स मिनिस्टर आये हैं, वे चार बजे अपना बजट भाषण देंगे उसमें पता लगेगा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : पूरा पता लगाया हो तो आप बता दें ।

श्री भैरोंसिंह : पूरा पता मैं लगा लेता मगर आप रोक रहे हैं ।

मैं यह निवेदन करूंगा कि इस संबन्ध में हमारी सरकार जो भी खर्च करे उस खर्च को करने से पहले यह देखे कि इसका जनरल मार्केट पर क्या असर होता है ? अगर जनरल मार्केट खर्चे से दब जाता है तो हमें ऐसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है । आज लोगों को, जो गरीब हैं उनको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है । आप समाजवाद कहें या पूंजीवाद कहें मगर दोनों का एक लक्ष नहीं हो सकता । हमारा एक लक्ष्य यह होना चाहिये कि गरीबों की आमदनी ज्यादा से ज्यादा बढ़े । मगर हमारे यहां हम देखते हैं कि पूंजीवाद बढ़ता है । जिस समय हमारे यहां गरीब की जेब खाली होती है और उसको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है उसकी बात कहते हैं तो आप कहते हैं कि समाजवाद की तरफ बढ़ रहे हैं । आप समाजवाद की बातें कहते हैं । मैं यातायात मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे यह साबित कर दें कि हमारे लोगों की जेबों से कम पैसा खर्च होगा जो उनको प्राइवेट बसों में खर्च करना पड़ता था, या उन लोगों को कम खर्चे से इतनी रियायतें मिलेंगी जो प्राइवेट बसेज़ में मिलती हैं तो मैं समझता हूँ कि सरकार उनके फायदे के लिये कुछ कर रही है । लेकिन मैं यह कहूंगा कि सरकार उनसे ज्यादा आमदनी वसूल करेगी । मैं सरकार को आमदनी के दूसरे तरीके बता सकता हूं जिसके जरिये से आमदनी बढ़ाई जा सकती है ।

मैं यह निवेदन करूंगा कि आज प्राइवेट बसों को ज्यादा से ज्यादा पर्मिट इश्यु करें तो मैं समझता हूँ कि ट्रान्सपोर्ट को नेशनलाइज करने से जो फायदा सरकार को नहीं होगा उससे अधिक फायदा होगा । हम ट्रान्सपोर्ट की अभाव की पूर्ति करेंगे और जिन जिन गांवों में ट्रान्सपोर्ट की व्यवस्था नहीं है उन गांवों में हम ट्रान्सपोर्ट की व्यवस्था कर पावेंगे और इससे लोगों को ज्यादा सुविधा मिलेगी और फेयर वेदर रोड के लिये वे बैक ग्राउन्ड पैदा कर देंगे कि ट्रान्सपोर्टवालों ने फेयर वेदर रोड बना दी है । लेकिन सरकार इसको मंजूर करने

(श्री भैरोंसिंह)

के लिये तैयार हो। मैं समझता हूं कि सरकार इसको मंजूर करने के लिये तैयार नहीं है।

मै यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बाकी की दूसरों स्टेटों से; जैसे यू. पी. आदि में हैं, उन्होंने भी अपने यहां मोटर ट्रान्सपोर्ट को नेशनलाइज़ किया है लेकिन उन्होंने ५० परसेन्ट को नेशनलाइज़ किया है और ५० परसेन्ट प्राइवेट बसेज़ वालों के लिये रखा है। सरकार और प्राइवेट बस ओनर्स के बीच आपस में ओपन कम्पीटिशन होना चाहिये; चाहे वह जयपुर से अजमेर, अजमेर से जयपुर या जयपुर से सीकर हो। चार परमिट प्राइवेट बसेज़ को मिलने चाहिये तो ४ बसेज़ सरकार की तरफ से चलनी चाहिये। दोनों में हार्ड कम्पीटिशन होगा तो किराया भी कम होगा और समय की भी बचत होगी। प्राइवेट बसेज़ वाले भी अच्छी बसेज़ रखेंगे। लेकिन यह पॉलिसी अभी हमारी सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग की नहीं है। मैं समझता हूं कि यही नीति पंजाब ने अपनाई है। यू. पी. में यही चल रहा है। राजस्थान में आज लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, उसको ज्यादा खराब करने के लिए सरकार ने रेट को बढ़ाया है और आमद-रफ्त में ज्यादा समय लगाने की कोशिश की हैं मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप वार मेज़र्स पर जो रिसोर्सेज़ लगाये जाते हैं उस खर्चे के साथ इसकी तुलना न करें। वहां पर किस आदमी पर क्या खर्चा होता है वह लड़ाई जीतने की दृष्टि से किया जाता है। आप इकोनोमीक में वार कन्डीशन्स को लागू नहीं कर सकते। यहां तो यह देखना है कि लोगों की इकोनोमिक कन्डीशन्स को किस तरह सुधारा जा सकता है और मौजूदा लोगों कि पोज़ीशन किस तरह को है; उसको सुधारने की कोशिश करें। लेकिन बदकिस्मती यह है कि इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष, मैं यह कहूंगा कि इन सारी सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स में कई डिक्रियों का चुकारा करना है, इसके लिए हैं। कई क्लर्कों की हैं कई ओवरसियरों की हैं। मैं यह कहता हूं कि मेरी समझ में यह नहीं आया कि हर साल सरकार पर डिक्रियें होती हैं और सरकार की किसी पर डिक्री नहीं होती। मुझे किसी भी बजट में जानकारी नहीं मिली कि हमारी सरकार ने किसी पर दावा किया हो और वह दावा मंजूर हो गया हो और डिक्री हो गई हो। सरकार दावा करे, वह तो हार जाती है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि या तो सरकार जो दावा करती है वह झूंठा करती है या जबरदस्ती वकीलों को पैसा देने के लिए ऐसा किया जाता है। वर्ना कोई तो दावा हमारी सरकार के हक में तय हो। इस लिटिगेशन के बारे में क्या होता है, यह मैं जानता हूं। मैंने देखा है और मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारी सरकारी मशीनरी इस सम्बन्ध में डिफेक्टिव है। कई बार लॉ डिपार्टमेन्ट को भी डिपार्टमेन्ट वाले ऐसी कॉम्पलीकेटेड पोज़ीशन में डाल देते हैं कि आज जवाब देने का नोटिस मिलता है और आज वे उनसे राय मांगते हैं। इसके अलावा कई मामलों में उनकी राय नहीं ली जाती और कई बार ली जाती है, फिर भी उनकी राय पर कार्यवाही डिपार्टमेंट वाले नहीं करते और केसेज़ को लूज़ किया है।

Page No 40

(श्री भैरोंसिंह)

तो मैं पूछना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान सरकार इस प्रकार के सरकारी कर्मचारियों के लॉ लिटिगेशन्स हैं; फिक्सेशन, सीनियोरिटी, प्रोमोशन आदि के उनमें सरकार ऐसी पोज़ीशन में आती ही क्यों है कि सरकारी कर्मचारियों को कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ें ? मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा जो लॉ डिपार्टमेंट के भी मन्त्री हैं और लॉ लिटिगेशन्स जिनसे सम्बन्धित हैं वे ऐसी कड़ी व्यवस्था करें कि जिस व्यक्ति की गलती के कारण सरकारी कर्मचारी को इस प्रकार के लिटिगेशन में जाना पड़ा हो उसको तो दण्ड मिलना चाहिये; जिसकी गलती के कारण उस कर्मचारी को कोर्ट में कोस्ट देनी पड़ी, महीनों तक वकीलों को फीस देनी पड़ी, पांच-छः साल तक मुकदमा कोर्ट में चला। इसके बारे में सरकार कड़ाई नहीं करेगी तो इस तरह का ट्रेन्ड बन जायगा कि कोई एग्रीमेंट हो उसमें किसी न किसी प्रकार का कानूनी लेकुना रख दिया जाय। सरकार के साथ किसी पार्टी का कॉन्ट्रेक्ट होता है तो एग्रीमेन्ट में उस पार्टी से मिल कर कोई न कोई लेकुना रख दिया जाता है जिस लेकुना का पता उस पार्टी को और इस प्रकार का लेकुना रखने वाले अधिकारी को ही होता है। कॉन्ट्रेक्ट में किसी पार्टी की तरफ से ब्रीच होता है तो कोर्ट में लिटिगेशन होता है और उस लेकुना के कारण सरकार पर डिक्री हो जाती है और उसका भुगतान करना पड़ता है। तो मैं गृह मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस तरह के ट्रेन्ड को रोकने के लिये सख्त से सख्त कदम उठायें और राजस्थान में सर्वे करनी चाहिये कि किस किस विभाग के खिलाफ कितने कितने केसेज़ कोर्ट में चल रहे हैं और उन मुकदमों की क्या स्थिति है। आज यह देखा जाता है कि सरकारी मुकदमों में कोर्ट में आवाज पड़ती है तो सरकार की तरफ के वकील हाजिर नहीं होते हैं और कोर्ट में सरकार के खिलाफ डिक्री हो जाती है। आज डिपार्टमेंट्स के हैड्स को पूछा जाय कि उस उस डिपार्टमेन्ट का उस मुकदमे से क्या सम्बन्ध है तो डिपार्टमेन्ट के हैड को पता तक नहीं है। किसी भी मुकदमें को लेकर डिपार्टमेन्ट के हैड को पूछ लें कि इस केस पर कोर्ट में क्या हुआ तो वे नहीं बता सकते। डिपार्टमेन्ट के हैड्स कहते हैं कि इसके लिये लॉ डिपार्टमेन्ट रेस्पोन्सिबल है और लॉ डिपार्टमेन्ट कहता है कि डिपार्टमेन्ट के हैड्स इसके लिये रेस्पोन्सबल हैं। ऐसी दशा में वे मुकदमे कोर्ट में जाकर इस तरह सरकार के खिलाफ फैसल होते हैं और सरकार पर डिक्री हो जाती है। तो मैं गृह मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा व उनसे आशा भी की जाती है कि वे सख्ती से काम लेने वाले हैं, वे इस मामले में सख्ती से कदम उठा कर इस गड़बड़ी को मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे।

इसमें पंचायत समितियों को कुछ रकम देने की कोशिश की गई है। जैसी व्यवस्था बजट में रखी थी, प्रति व्यक्ति ४ आना के हिसाब से ३६ लाख रुपया देने वाले हैं उनमें और कुछ हजार की आवश्यकता न हों। उनके के कुलेशन में, मैथेमेटिकल केलूकुशन में गलती हो गई हो, मेथेमेटिकल केलूकुलेशन में शायद गलती हो सकती है, मैं इन्कार नहीं करता, पर ऐसा लगता है कि हमारी सरकार

(श्री भैरोंसिंह)

इस सम्बन्ध में अपनी नीति निश्चित नहीं कर पाई है। मुख्य मन्त्रीजी जिन्होंने सारे पंचायती राज के सिस्टम को इन्ट्रोड्यूस किया है वे जानते हैं कि जिस समय इसको इन्ट्रोड्यूस किया जाने वाला था उस समय प्रचार किया गया था कि सारी लैंड रेवेन्यु पंचायत समितियों के हाथ में होगी। राज्यपाल महोदय ने सबसे पहले इस बात की घोषणा की कि इस सदन में डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन का बिल प्रस्तुत करने वाले हैं। जिस समय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद हुआ उस समय कहा गया कि १।४ लैंड रेवेन्यू का हम पंचायत समितियों को देने वाले हैं। राजस्थान की ६,७ करोड़ लैंड रेवेन्यू है। १।४ पंचायत समितियों को मिलने वाली थी पर सरकार ने बिल जिस समय सदन में प्रस्तुत किया एक्ट के रुप में इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसे फाइनल शेप दी गई तो यह कहा गया कि ४ आना प्रति व्यक्ति के हिसाब से यह रकम पंचायत समितियों को सरकार देने वाली है। मैं ज्यादा निवेदन करना नहीं चाहता, हमारी सरकार का जो लक्ष्य था सत्ता के विकेन्द्रीकरण का उसका सबने स्वागत किया, ऐसा कोई नहीं चाहता कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण न किया जाय। सत्ता के विकेन्द्रीकरण का सबने स्वागत किया, पर हर आदमी चाहता है, उसकी इच्छा होती है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण वास्तविक रुप में विकेन्द्रीकरण हो जाय जिनके हाथों में सत्ता दी है उसका दुरुपयोग नहीं कर पायें। पर देखा जाय तो सत्ता के साधनों का विकेन्द्रीकरण नहीं किया गया है। इसका नतीजा आज हमारे सामने है। आज जनता और पंचायतों का सम्पर्क है पर चुनावों के समय में देखा है कि जिधर सरपंच था उधर गांव वाले नहीं थे और जिधर गांव वाले थे उधर सरपंच नहीं थे। तो इस तरह से विरोधाभाष देखा, जो बहुमत लेकर जीता वह एक तरफ और सारे गांव वाले दूसरी तरफ। आज जो रिसोर्सेज़ पंचों और सरपंचों ने जुटाने की कोशिश की वे डाइरेक्ट थे उनके कारण जनता में और उनमें कन्फ्लिक्ट आया और मैं मुख्य मंत्रीजी से चाहूंगा कि आपने प्रावधान रखा है उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करावें कि ४ आना प्रति व्यक्ति प्रावधान रखा है वह अपर्याप्त है। ४ बजे प्रस्तुत होने वाले बजट में वित्त मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी से परामर्श करके संशोधन कर सकें तो करें पर वे ऐसा नहीं कर सकते जो सेक्रेटेरियेट से आवे उस पर नये वित्त मन्त्री मोहर लगावें यही होगा। फिर भी दो-तीन घण्टे का अवसर है; इसका लाभ उठा कर डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन की सफलता के लिए बंटवारा इस तरह करें कि पंचायती राज के प्रति लोगों के दिलों में आस्था का निर्माण हो।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, कि यह सारा रवैया सप्लीमेंटरी ग्रान्टस का बरता जा रहा है यह नॉन प्लान एक्सपेन्डिचर के कारण है। भारत सरकार ने भी कहा है कि नॉन प्लान एक्सपेन्डीचर धीरे धीरे कम करें। कितना किया है, यह तो आज शाम को देखेंगे; पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जितना नॉन प्लान एक्सपेन्डीचर कम किया जा सके करने की आवश्यकता है। हमें इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स करने की आवश्यकता नहीं जिनका सारे समाज पर असर नहीं पड़ता हो; इन्वेस्टमेंटस इस तरह के किए जायं

(श्री भैरोंसिंह)

जिनसे सारे समाज को फायदा मिले। फिजूल खर्ची एडमिनिस्ट्रेशन में हो रही है उसको कर्व करने की आवश्यकता है।

इस विचार से कुछ मुद्दे मैंने सदन के सामने प्रस्तुत किये हैं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय अध्यक्ष, आज सदन के समक्ष जब ये सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स प्रस्तुत हुई, मैं तो देखकर ताज्जुब में रह गया कि ये सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स पेश कर रहे हैं या बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं तो यह समझ रहा था कि ४ बजे के बजाय वह बजट भूल से अभी पेश किया जा रहा है।

नोन प्लान्ड एक्सपेन्डीचर के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा राजस्थान तो इस बात के लिए बहुत आगे बढ़ रहा है। हमारे यहां प्लानिंग है, हम तो प्लान्ड हर चीज चाहते हैं और हमारे मुख्य मन्त्रीजी तो प्लानिंग में माहिर हैं।

(१. १६. म.प.)

(राव श्री नारायणसिंह, सभापति, पदासीन)

तो यह प्लानिंग का नमूना है, जो बजट पेश करते हैं,उसका साल भर में दुगुना ड्योढ़ा कर देते हैं। इतनी अनप्लान्ड चीजें हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में नहीं है। यह तो प्लान्ड इकोनोमी की बात है।

१० वें पन्ने पर पंचायत समितियों को सहायता देने के संबन्ध में यह बड़ा महत्वपूर्ण पॉलिसी मैटर है। इसके ऊपर चेयरमैन महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि पहले कुछ इस प्रकार की चर्चायें थी कि जो पंचायतों को पैसा दिया जायगा वह वहां की लैन्ड रेवेन्यू के हिसाब से दिया जायेगा। एक पंचायत क्षेत्र में जहां कि लैन्ड रेवेन्यू की आमदनी १० हजार रुपया होती है वहां एक रुपये के हिसाब से प्रति व्यक्ति दिया जायगा, ऐसी कुछ व्यवस्था थी शुरू में लेकिन फिर क्या होता है, कारण वे ही जानेकि मुख्य कारण यह है कि जयपुर डिविजन में जो लैन्ड रेवेन्यू है वह इतनी अधिक है कि जिसकी हद नहीं। राजस्थान के दूसरे डिविज़न की लैन्ड रेवन्यू का मुकाबला किया जाय तो जो लैन्ड रेवेन्यू जयपुर का किसान देता है वह और जगहों के मुकाबले चार गुना और आठ गुना तक है। १८ रु० २० रु० प्रति बीघा रेंट लिया जाता है उसकी कोई सुनवाई नहीं। जब पंचायतों को पैसा देने का सवाल आया, हमने यह सोचा था कि लैन्ड रेवेन्यू की बेसिस पर अगर पंचायतों को पैसा दिया जायेगा तो जिन गांवों में लोग जितना अधिक लैन्ड रेवेन्यू देंगे उतना ही अधिक या उसका दो आना या चार आना फी रुपये के हिसाब से उस गांव को डेवलपमेंट के खर्चे के लिए जरूर मिलेगा। मुझे मालूम है, इस बात के बारे में सरकारी मित्रों से मेरी बातचीत हुई थी उसके अनुसार पोपुलेशन बेसिस ही अच्छी चीज है, ऐसा वे भी मानते हैं। एक गांव में हजार आदमी हैं, उसी अनुपात से उनको मदद दी जायगी। जैसलमेर का एक गांव है जहां की आबादी ३०० है। वहां आप ३०० रुपया दे देते हैं और उसके मुकाबले जयपुर का एक

(श्री मानसिंह महार)

गांव जो बीस हजार रुपया लैंड रेवेन्यू को देता है उसको भो डेवलपमेंट के लिये उतना ही ३००) रुपया ही देते हैं, यह कतई न्यायसंगत नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): On a point of order, Sir, जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है इसकी बहस का विश्लेषण करना होगा और वह विश्लेषण होगा परम्परायें, प्रोसीजर और कॉन्स्टट्यूशन के आधार पर। इस सम्बन्ध में वक्ते वक्त पर दिये गये रूलिंग्स की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाता हूं। एप्रोप्रियेशन बिल के अन्तर्गत प्रथम डिमान्ड्स पर डिस्कशन होता है और उन पर भी अलग अलग बहस होती है। उसके बाद वे स्वीकृत होती हैं। फिर कन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट के रूप में बिल का आधार हो जाता है। जहां तक प्रेक्टिसेज़ का सवाल है हमने इस प्रकार के रिपीटिशन को अवोइड किया है, वह इस बिना पर अवोइड किया है कि इस मसले पर हम पहले डिबेट कर चुके हैं। इस प्रकार के जनरल डिस्कशन पर हमारी परम्परायें दूसरी हैं। लोकसभा में इसी तरह का सवाल उठा था तो अध्यक्ष महोदय ने घबराकर यहां तक कहा था कि इस बहस को दोहराया न जाय, मैं आंखें बन्द कर लेता हूँ; ताकि सदस्य आंख पकड़ न सकें। इस बारे में जो उनका उद्धृत किया हुआ ऑब्ज़र्वेशन है जिसको हमारे यहां के आसन ने भी ग्रहण किया है, मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। माइनर डिटेल्स भी यदि पॉलिसी मैटर्स से परे रखे जावें तो भी वे परम्परायें, प्रोसीजर और नियम के प्रतिकूल हैं। सदन ने जिस व्यवस्था को लोक सभा से उद्धृत किया है वह मैं रखना चाहता हूँ।

एप्रोप्रियेशन बिल के स्कोप पर अपनी रूलिंग देते हुए कहा था कि "निश्चय ही सदन को यह अधिकार है कि वह एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस करे किन्तु परम्परायें ऐसी होनी चाहिए कि इस पर बहस को; एवोइड किया जाय; सारी की सारी वे ही बातें इस समय भी दोहराई जाती हैं क्योंकि सदन के सामने जो डिमान्ड आती है वे तो पास कर चुकी होती हैं। इसलिए डिमान्ड के पास हो जाने के बाद जो कन्सोलिडेटेड स्टेटमेन्ट होता है वह एप्रोप्रियेशन बिल के रूप में आता है।" इसके बाद उन्होंने कहा कि "इस पर बोलने के लिये आप मेरी आंखें कैच करें इससे बचने के लिये यह अच्छा हो कि मैं ही आंखें बन्द कर लूं, फिर हाउस के सामने क्वेश्चन के रूप में रखदूं। फिर भी अगर सदन की मन्शा हो कि इस पर बहस की जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।"

यह लोकसभा के स्पीकर महोदय का उद्धृत किया हुआ ऑब्ज़र्वेशन है जिसको हमने एडॉप्ट किया है १६५४ में। इसके अलावा हमारे यहां का प्रोसीजर है उसकी ओर भी मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जहां तक इस पर डिबेट का प्रश्न है हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल १५४ की ओर सदन का ध्यान दिलाता हूं जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है :

"(5) The Speaker may, in order to avoid repetition of debate, require members desiring to take part in discussion on an Appropriation Bill to give advance intimation of the specific

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

points they intend to reise, and he may withhold permission for raising such of the points as in his opinion appear to be repetitions of the matters discussed on a demand for grant or as may not be of sufficient public importance."

And—

"(4) The debate on an Appropriation Bill shall be restricted to matters of public importance or administrative policy implied in the grants covered by the Bill which have not already been raised while the relevant demands for grants were under consideration."

इसलिये मेरा सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि हम भी बाउन्ड हैं इस प्रकार के ऑब्ज़र्वेशन्स से। हमारे यहां पर जिस प्रकार की प्रेक्टिस है उसी के अनुसार इस पर बहस की जाय परम्पराओं को निभाते हुए।

श्री सभापति (श्री नारायणसिंह) : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार का संकेत अभी माननीय सदस्य ने किया है उसी प्रकार से यहां की। सदन की परम्परायें और प्रेक्टिसेज़ को समक्ष रखते हुए अपना भाषण जारी रखेंगे और ज्यादा डिटेल्स में नहीं जायेंगे।

श्री मानसिंह महार : सभापति महोदय, मैं महत्वपूर्ण पॉलिसी मैटर पर ही बोल रहा हूं। मुझे मालूम नहीं था, माननीय सदस्य ऐसी छोटी बात उठायेंगे वर्ना मैं भी आंख मींच लेता....

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके आंख मींच लेने से कुछ नहीं होता।

श्री मानसिंह महार : आप बीच बीच में बोलकर मुझे डिस्टर्ब मत करिये। I am on my legs.

श्री निरंजननाथ आचार्य : I was not interrupting. I was enlightening the Chair on constitutional matter.

श्री मानसिंह महार: माननीय चेयरमैन, मैं निवेदन कर रहा था सदन के समक्ष, वह बहुत इम्पोर्टेन्ट पॉलिसी मेटर था। वह पॉलिसी मैटर इसलिये है कि पंचायतों को हमारी सरकार जो सहायता देती है वह क्लियर कट में बता दूं पोपुलेशन पर देती है। उसके लिये मेरा निवेदन है कि पोपुलेशन की बेसिस पर न दी जाकर जो जितना लैन्ड रेवेन्यू पे करता है उस हिसाब से वह होनी चाहिये। यह बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। इस ओर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिये। हम चाहते हैं, आप हमारे यहां से अधिक लैन्ड रेवेन्यू लेकर उसको उदयपुर में तालाब आदि बनवाने में खर्च न करें; यह बात नहीं होनी चाहिये। हमारे इलाके से जिस प्रकार की रेन्ट आती है उसी बेसिस पर आप मदद दें। उस हिसाब से २५ परसेन्ट आप देते हैं तो वह बहुत रीज़नेबल है। इसको गांव की जनता बहुत वेलकम करेगी। जहां से अधिक लैन्ड रेवेन्यू आती है उस पंचायत को उतना ही अधिक मिलना चाहिये। इस तरह से मैं एक पॉलिसी मैटर का विश्लेषण कर रहा था। अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जिन माननीय सदस्य ने मेरे भाषण के बीच में आपत्ति उठाई थी वह कहां तक उचित थी।

Page No 45

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरी आपत्ति नहीं ऑब्जर्वेशन की आपत्ति थी ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : I do not quite understand what point the Hon'ble Member wants to make out. In my humble opinion it is completely muddle-headed thinking. There is no point which the Hon'ble Member has got. I think the Hon'ble Member, who is on his feet is completely within his rights in whatever he is saying, Sir.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : My version has been accepted by the Chair.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : The Hon'ble Member was only trying to point out the procedure which is being followed at the time of debate on an Appropriation Bill. There is no ruling at all. He has, not pointed out a single word by way of ruling either by this House or by the Speaker of the Lok sabha.

श्री निरंजननाथ आचार्य : I think, Sir, the book is with us-'Observations from the Chair, 1952-1957'. The observations are contained on page 32. We have relied upon. the observation of the chair of Lok sabha. We have our own observations also independent of the observations of the Lok Sabha.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : I fully share the view of the Hon'ble Speaker. We are only guided by the Chair.

श्री सभापति : मेरे विचार से इस पर ज्यादा बहस न की जाय । साधारणतया एक तरीका जो इस सम्बन्ध में बहस का है उसकी ओर माननीय सदस्य का केवल संकेत मात्र था। मैं समझता हूं इस पर वाद-विवाद हो उन सब बातों को समक्ष रखते हुए वाद-विवाद, किया जाय। पॉलिसी मैटर पर कहते हुए ही हम आगे बढ़ें तो उत्तम होगा। कट मोशन्स का अर्थ यह है, विशिष्ट बात हो, डिटेल्स की बात हो वह उसमें आ जाय। अगर उसी तरह की बहस को दोहराया जाय तो सदन का समय वेस्ट होता है, यही उनका संकेत है।

श्री मानसिंह महार : माननीय चेयरमैन महोदय, तो मैं आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेन्ट पॉलिसी मैटर के बारे में निवेदन कर रहा था और ट्रेज़री बेन्चों से आशा करूंगा कि इस विषय में वे अपने विचार जरूर व्यक्त करेंगे ।

दूसरा पॉलिसी मैटर जिसके बारे में कि मैं सदन के समक्ष अपने विचार रखना चाहता हूँ। वह यह है कि मैं जब सप्लीमेंट्री डिमान्डों को देख रहा था उसमें एक छोटी सी दूसरी पेज पर फोरेस्ट की मद है जिसमें एक्स्ट्रा डिमान्ड मांगी गई है :

'...for meeting additional expenditure for feed of birds and animals..."

तो इसकी वजह यह दी गई है कि मंहगाई अधिक बढ़ गई इसलिए जानवरों के खाने का खर्चा बढ़ा। मैं तो उसको देख कर यह अपेक्षा करता था सरकार से कि इतनी मंहगाई जब बढ़ गई है, दस, बीस, पचास, पचीस चिड़ियों के

Page No 46

(श्री मानसिंह महार)

खाने का बजट बढ़ गया है तो सरकार को सोचना चाहिए था कि हमारे यहां छोटे तबके के छोटे छोटे नौकर हैं जिनका कि आज तक टार्जेट पांच वर्ष पूर्व आप रख रहे थे कि इस राजस्थान के हरेक नोकर को कम से कम तनख्वाह १०० रु० मिलना चाहिए, वह चाहे चपरासी हो, फोर्थ क्लास सरवेन्ट हो, कोई स्कूल टीचर हो या सिपाही हो, कोई हो पर आप सौ रुपये से उसका वेतन शुरु करिये। यह मेरी मांग रही है और उस तरफ सरकार कुछ ध्यान देगी।

जिस सरकार को सौ पचास चिड़ियों को पालने के लिए अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है उसको अपने आप सोचना चाहिए कि आज के मंहगाई के युग में गरीब क्लास का सिपाही, चौथी श्रेणी का चपरासी पचास-साठ जिनको आप देते हैं उनकी क्या हालत होगी। आपके सामने अभी अभी दो जगह इसी तरह की एक्स्ट्रा डिमांड में पैसा मांगा है।

तो मैं दूसरे पॉलिसी मैटर पर आता हूं; वह यह है कि हमारी सरकार को यह अपना पॉलिसी मैटर बना लेना चाहिए कि आज की मंहगाई के युग में राजस्थान सरकार के पास कोई नोकर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी स्टार्टिंग पे सौ रुपया से कम हो। अगर किसी की सौ से कम हुई तो उसको मैं अभी सरकार के लिए, जो कि अपने आप को बड़ी प्रगतिशील मानती है, एक शर्म की बात मानता हूं।

तो दूसरा मुद्दा मेरा यह है कि सरकार जो है, इस बात की ओर भी ध्यान दे कि सरकार को मुलाजिम में चाहे वह फोर्थ क्लास सर्वेन्ट हो, चाहे टीचर हो, चाहे सिपाही हो उनकी सब की स्टार्टिंग पे मिनिमम सौ रुपया मासिक होनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए। यह भी बता दें।

श्री मानसिंह महार : यह आपका काम है। बीच में डिस्टर्ब न करें तो अच्छा। आप मेरे से इसका जबाब ही लेना चाहें तो मैं निवेदन कर दूं सभापति महोदय, कि जितनी सरकार की जेबें इजाजत दे उतनी होनी चाहिए। आप कुछ कह सकते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि कम तनख्वाह देने से राजस्थान में इनएफीशियेन्सी बढ़े, भ्रष्टाचार बढ़े और कम तनख्वाह के नोकर रखने से चोरियां बढ़े, रिश्वत खोरियां बढ़े। मेरा सिद्धांत है, नोकरों को तनख्वाह पूरी दीजिए ताकि वे ईमानदारी से काम कर सकें। मैं इसके भी खिलाफ हूं कि सदन में एलान कर दूं चेयरमैन महोदय, कि किसी को डेढ़ हजार की तनख्वाह न दी जावे। तो क्यों नहीं दी जावे ? एक कम्पनी में एक इंजीनियर को जब पांच-पांच हजार की तनख्वाह दी जाती है तो अगर उसी काबलियत के इन्जीनियर को सरकार पांच सौ रुपया देने की बात कहेगी तो मैं सही निवेदन करता हूं कि जितने इनएफीशियेन्ट होंगे वे राजस्थान सरकार में आ जावेंगे और बाकी सब एफीशियेन्ट लोग प्राइवेट इम्पलॉयमेन्ट में चले जावेंगे। मैं ऊंची तनख्वाह का विरोध नहीं करता हूं, पर मेरा सिद्धांत यह है कि नीचे से नीचे को उठाइये और ऊंचे को ऊंचा रहने दीजिए।

Page No 47

(श्री मानसिंह महार)

यह वाजिब है कि अगर कोई अच्छा खाना, पीना और पहिनना चाहे तो उसे ऐसा करने दिया जाय। आप उनसे सबक लीजिए; अमेरिका से लीजिए, जर्मनी से सबक लीजिए। मेरा मतलब वैस्ट जर्मनी से है, ईस्ट जर्मनी से नहीं है जहां कि बेचारे लोग डाउन ट्रोडन हैं। और देशों से सबक लीजिए। परंतु यह मत करिये कि नीचे वाले को तो आप ऊंचा ले जावें और ऊपर वाले को नीचे, बल्कि यह करिये कि ऊंचे को ऊंचा रहने दीजिए, पर नीचे वाले को चढ़ाते चढ़ाते उनके बराबर ले जाइये। मुझे तो खुशी होगी कि हमारी सरकार इस पोज़ीशन में आ जावेगी कि जिस दिन यहां का चपरासी भी और मुल्कों की तरह अपनी खुद की मोटर रख सके और उसमें बैठ कर हमारे साथ साथ यहां आवें; जैसे कि अमरीका में मजदूर मोटर रखता है, तो इस तरह हमारी सरकार का चपरासी भी मोटर में काम पर आवे तो इससे बढ़ कर कोई खुशी की बात मेरे लिए नहीं होगी।

तो मैं कह रहा था; तनख्वाह के बारे में फिर एक विचित्र चीज मैं निवेदन कर दूं। हमारे यहां सेंट्रल गवर्नमेंट के दफ्तर हैं। उनके चपरासी की तनख्वाह में और हमारे यहां के चपरासी की तनख्वाह में ड्योढ़ा और दुगुना फर्क है। इनमें और उनमें इतना फर्क रहना कहां का न्याय है ? या तो आप सेन्ट्रल सरकार से कहिए कि यह क्या बात है, हमारी तो जेब इतना अलाऊ नहीं करती। पर मैं मानता हूं कि हमारी सरकार अगर ईमानदारी से बजट बनावे तो वह घाटे में भी नहीं जावेगी और सौ रुपया हर नोकर को आसानी से दे सकती है। मैं अब भी इस प्रकार का नमूना वित्त मन्त्रीजी कहेंगे तो दे सकता हूं।

एक सप्लीमेन्टरी डिमांड में चेयरमैन महोदय, मैंने एक नई बात और पाई और वह यह पाई कि सप्लीमेन्टरी डिमान्ड एकाएक ऊपर से आ पड़ने वाले खर्चे के लिए होती है, बड़ा जरुरी खर्चा अगर हो जावे तो उसको मीट आउट कर देने के लिए होती है पर इसमें एक डिमांड है एक्साइज़ और टैक्सेशन विभाग की; उसको एक तो स्टेशन वेगन चाहिए था घूमने के लिए अपने सर साहिब के लिए और दस जीपें चाहिए। यह मांग है तो चेयरमैन महोदय, मैं आपके जरिये निवेदन करूंगा कि ये दस जीपें और एक स्टेशन वैगन जो आज चार बजे बजट पेश होने वाला है उसमें भी इनको लगा देते तो काम चल सकता था, इनके बिना कोई थोड़े से समय के लिए राजस्थान में तूफान नहीं आ रहा था, इनके बिना कोई घोर अन्याय हो नहीं रहा था, पर इस प्रकार की बात की ओर कोई किसी का ध्यान नहीं।

मैं निवेदन कर रहा था कि इनको खरीदते समय हमें एक बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि आज राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है जहां की जनता गांवों में रहती है तो हमें जो कुछ काम करना चाहिए वह गांवों के भले के लिए अधिक करना चाहिये। अब यह स्टेशन वैगन जो आप अपने एक्साइज़ एण्ड टैक्सेशन अफसर के लिए खरीदना चाहते हैं, कितने की होगी; यह भी स्पष्ट नहीं है। एक तरफ तो अफसरों के लिए घूमने फिरने के लिए इतना खर्च कर रहे हैं, दूसरी ओर एक गांव है; चोरी हो गई वहां, रिपोर्ट की जिसके यहां

(श्री मानसिंह महार)

चोरी हो गई उसने की चोर दस मील पर भागे जा रहे हैं। थाने में उसको जबाब मिलता है जाओ, कोई ट्रक या बस ले आओ, उसमें बैठकर चलेंगे। चोरी की चोरी हुई और उसको बस-ट्रक का खर्चा और लगा। यह हालत तो हम चाहते हैं कि सरकार को यह अपनी पॉलिसी बना लेनी चाहिए कि आज के युग में नए नए मसले नये नये डिपार्टमेंट खड़े हो रहे हैं उनके लिए जीपें और वैहिकलें न खरीद कर राजस्थान के प्रत्येक थाने में एक जीप हो, इसका प्रबन्ध करना चाहिए। एक वायरलैस सैट हो, इसका भी प्रबन्ध करना चाहिए; ताकि गांवों में लोगों को राहत मिले और किसी प्रकार की गड़बड़ी हो तो इनकी मदद से फौरन थाना इन्चार्ज मामले को हैंडल कर सके। मुझे मालूम है, जयपुर के पास में एक जगह गोचर भूमि के मामले में आदमी को उसके कपड़े जला कर कुंए में डाल दिया। थानेदार साहब वहां पर गए। वहां दो सौ आदमी इकट्ठे थे। उस आदमी को बहुत पीटा गया। थानेदार साहब अकेले कुछ नहीं कर सके। फिर जयपुर से सहायता पहुंची, जिसमें चार घण्टे लग गये। इस बीच सारी दुर्घटना घट चुकी। अब अगर वहां वायरलैस का और जीप का प्रबन्ध होता तो इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सकता था। पर यहां तो दुर्भाग्य है। कस्बे में थाना है, पब्लिक कॉल ऑफिस का वहां टेलीफोन है पर थाने में टेलीफोन कनेक्शन लेना भी नावाजिब समझा जाता है।

उनको चूंकि एक्साइज़ टैक्सेशन काफी पसा देता है तो इसके लिए कभी जीपें खरीद देंगे और कभी स्टेशन वैगन खरीदेंगे अफसर साहिबों के ऐश के लिए, सैर के लिए। पर जनता की भलाई के लिए कुछ करना नहीं चाहते क्योंकि थाने वाले आमदनी तो कुछ देते नहीं, वे तो छिपे छिपे रिश्वतें लेते हैं उस में से ही हिस्सा देते हैं ऊपर से नीचे तक; पर एक्साइज़ टैक्सेशन की तरह सरकारी बजट में बढ़ोतरी नहीं करते इसलिए वे पुलिस स्टेशन को इम्प्रूव करने की बात नहीं करेंगे। मेरा निवेदन है कि जनता के भले के लिए आप इन पुलिस स्टेशनों को जीप है, वायरलैस है, ये दीजिए ताकि पुलिस ज्यादा सक्रिय हो और सक्रिय होकर गांव में लोगों की मदद कर सके। पर इस तरफ आपका कोई ध्यान नहीं। आपका ध्यान तो एक्साइज़ की तरफ है और ध्यान भी इतना कि एक रोज भी आप नहीं रुकना चाहते। बजट आज ही चार बजे पेश हो रहा है। उसमें नहीं ले सकते, जल्दी-बाजी इतनी कि सप्लीमेन्टरी के जरिये ही लेंगे और मुमकिन है; यहां तक होगा कि ये जीपें और स्टेशन वैगन तीन दिन के अन्दर अन्दर खरीदी जावें क्योंकि इस वक्त खरीदने में टेन्डर के लम्बे चक्कर या प्रतिबन्ध भी इधर उधर हो जावेगा और यह खरीद फरोख्त इस आखिर हफ्ते हो जावेगी, पहले से कमीशन तय हो गया होगा। तो यह कमीशन लेने के लिए ऐसी बातें और ऐसी खरीदें होती हैं। कह देंगे अगर आखिरी हफ्ते में नहीं खरीदते तो पैसा लैप्स हो जाता, पैसा चला जाता तो हम क्या करते ? तो लैप्स होने से रोकने के लिए हमें यह एक्शन लेना पड़ा। तो मैं कहता हूँ कि लैप्स होकर भी तो आपके ही घर में पड़ा रहता अगली साल दुबारा ग्रान्ट कर दीजिए उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह जो जल्दी

(श्री मानसिंह महार)

बाजी में खरीद-फरोख्त की जाती है वह नहीं होनी चाहिए।

इसके बारे में मैं चेयरमैन महोदय, आपको एक बात और निवेदन कर रहा था कि जी० ए० डी० में हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने हमारे राजभवन की री-रूफिंग के लिये कुछ पैसा मांगा है। आखिर उसमें हमको वोट देने का अधिकार तो नहीं है और क्यों-कि वह पक्ष बहुमत में बैठा है वह तो अपनी मनमानी करेगा ही लेकिन फिर भी मैं इनकी आंख खोलना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के यहां जो गत तीन, चार वर्षों में खरीद-फरोख्त हुई है उसमें बड़ी गोलमाल हुई है। राज्यपाल के बजट पर वोट नहीं दिया जाता। लेकिन जब हम इस सदन में एतराज करते हैं कि गोलमाल हुई है तो यह तो हमारे राज्यपाल महोदय को स्वयं ही चाहिये कि वह उसकी जांच करायें। मैं कहता हूँ चेयरमैन महोदय, मुझे बड़ी रिलायेबल इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमारे राज्यपाल महोदय ने गवर्नर हाउस में बहुत सी कीमती पेन्टिंग्स और सामान खरीदा है फर्नीचर-बड़ा कीमती पुराने जमाने का और पुराने जमाने की ही पेन्टिंग्स खरीदी हैं। तो जब हमारे राज्यपाल १५ अप्रेल को पधार रहे हैं तो उनको तो शायद मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है, पर मैं बताता हूं कि उनके सेक्रेटरी महोदय एक षडयंत्र कर रहे हैं कि जो कीमती कीमती पेन्टिंग्स और फर्नीचर है उसकी जगह नकली पेन्टिंग्स और फर्नीचर वहां पर रख दिया जाये और वह कीमती चीजें सब उड़ा ली जायें। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा और माननीय चेयरमैन महोदय उन बैंचों पर बैठने वाले मित्रों से भी निवेदन करूंगा कि इसका ध्यान रखा जाये कि कहीं १५ अप्रेल को जो हमारे प्रान्त ने इतनी इतनी कीमती पेन्टिंग्स और फर्नीचर खरीदा है वह उड़ न जाये। मेरे जो चन्द अल्फाज़ हैं अगर वह राज्यपाल महोदय के कान में कह दें कि इस प्रकार की गोलमाल आपके नीचे हो रही है तो शायद वह भी उस गोलमाल को रोकने में सहायता करें। मैं स्वयं ही उनसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा, ऐसा नहीं है कि कोई धृष्टता करूंगा, लेकिन मैं सरकार को भी प्रार्थना करूंगा कि वह जरूर इसकी ओर ध्यान दें।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): कहीं नहीं जाये, चिन्ता मत करिये।

श्री मानसिंह महार: आपके राज्य में तो करोड़ों के गोलमाल हो गये और आप कहते हैं कि 'कहीं नहीं जाये'।; जब आपकी आंख मीची पड़ी है तब ही तो राजस्थान दीवालिया हो गया। मैं माननीय मंत्री महोदय की तरफ से ऐसे इर्रेस्पोन्सिबल जवाब की आशा नहीं करता था। वे जरा जिम्मेदारी महसूस करें। वे राजस्थान के पैसे के पहरेदार हैं। और वे पहरा देते हैं। उनके हाथों में हमने करोड़ों की संपति दी है और यहां बैठे बैठे कह दें कि नहीं जायेगी और आंख मीच लें; यह शोभा नहीं देता। पैसे तो पहले भी चले गये और चले जायेंगे। उनमें आपकी ही राय होगी इसीलिए चले गये। मगर आपको तो हमारी बातों को भी राज्यपाल महोदय तक पहुँचाने में आपत्ति है तो कोई बात नहीं है। माननीय, चेयरमैन महोदय, मैं

(श्री मानसिंह महार)

अब गवर्नर महोदय के बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मंत्रीजी को शायद बुरा लग रहा है। खैर, मैं तो इतना ही कहना चाहता था।

इसके पश्चात् माननीय चेयरमैन महोदय, एक बात और निवेदन करूंगा कि आज जब हम देख रहे थे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हर महकमे में कहीं अभी एक कम्पाउन्डर १० हजार की डिक्री ले आया, कहीं दूसरे सरकारी कर्मचारी ले आते हैं, कहीं एक्साइज़ विभाग के ही किसी ठेकेदार ने डिक्री कर दी। मैं नहीं कहता कि नहीं होनी चाहिये। यह तो कानून के मुताबिक अदालतों ने डिक्री दे दी, वह जरूर देनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ सरकार यह भी ध्यान रखे कि जिन ऑफिसरों की नेग्लिजेन्स से ऐसी गलतियां हुई हैं उनको जरूर पीनेलाइज़ करे। पर इस ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। हमारी सरकार करती यह है कि किसी की डिक्री हो गई और डर के मारे फौरन पैसा दे दियां। पैसे जरूर दीजिये। मुझे मालूम है कि आई० जी० पी० साहब ने अदालत में मान हानि के मुकदमों में माफी मांगी, क्योंकि वह बेचारे कानून जानते नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं। तो उनको माफी मांगनी पड़ी है। आपने पैसे दे दिए, यह तो ठीक है लेकिन फिर जांच तो कीजिए कि यह हजारों रुपया जा रहा है यह किसकी गलती से जा रहा है। आज यह होता है। डिक्री होने का कारण क्या है? इसका असली कारण यह है कि आज सरकार की तरफ से जो पैरवी करने के लिए जाते हैं वे कर्मचारियों से मिले जाते हैं, उनका कमीशन तय हो जाता है, पैसा तय हो जाता है कि अगर २० हजार की डिक्री हो गई तो मैं ५ हजार दे दूंगा और उसकी पैरवी नहीं की जाती, उल्टे उसको बिगाड़ा जाता है। जो ईमानदारी के कागजात होते हैं उनको दबा दिया जाता है। कागजात सही ढंग से पेश नहीं किये जाते और इस प्रकार से सरकारी कोष पर बोझा डाला जाता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा और खासकर हमारे वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, अब तो नये वित्तमंत्री आये हैं रॉयल फेमिली है, नया खून है और मैं आशा करूंगा कि उनका इतना सामर्थ्य है कि वह इन लोगों को रोक सकते हैं, इस प्रकार की नाजायज़ बात को करने के लिए। तो इस प्रकार से जो बेईमान हैं उन ऑफिसर कन्सर्न्ड को कम से कम यह तो पूछा जाये कि क्या आपकी जबाबदारी थी आपने ऐसी गड़बड़ क्यों होने दी? और उसकी दो, चार महीने की तनख्वाह रोकिये और कहिए कि इसका जवाब ठीक से दो तब तनख्वाह मिलेगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो गड़बड़ियां कम होंगी। यही नहीं चेयरमैन महोदय, सदन के सामने इस प्रकार की चीजें आती हैं तो यह मालूम होता है कि हम वाकई में इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि जो बहुत गलत है।

अब पांचवें पन्ने पर मैं निवेदन करूं कि यह पुलिस के बारे में एक मामला है। तो इसके अन्दर आता है, देखिये, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हमारी सरकार ने ५ रुपये से बढ़ा कर २० रुपये मैस अलाउंन्स कर दिया। यह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी मैं यह कहता हूं कि इतने

(श्री मानसिंह महार)

वर्षों के बाद आप चेते; मुद्दतों के बाद ५ रु० से २० रुपया किया लेकिन क्या ये २० रुपये वाजिब हैं ? एक आदमी क्या इस पैसे में अपना पेट भर सकता है ? अगर सही मानें तो अच्छा खाना अगर उनको मिले तो वे २० रुपये में एक टाइम रोटी खा सकेंगे । चेयरमैन महोदय, मैं बताऊं कि एक यह कहावत है कि फौज अपने पेट पर लड़ती है । तो यह आर्म्ड कॉन्स्टेबुलेरी हमारी फौज ही है । हमारे प्रान्त में पहले तो कोई फौज ही नहीं । हमारी फौज भी अगर आप कोई मानेंगे तो यही आर० ए० सी० वाले हैं और पलटन भी यही है, सब कुछ यही है । अगर उनको २० रुपया मैस अलाउन्स का देना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप कोई उनसे वफादारी की उम्मीद रखें, ऐसा नहीं हो सकता । वह तो आपको धोखा दे जायेंगे और जैसे दूसरे देशों में डिक्टेटरशिप हो गई है वह हो जायगी और आप जेलों में सड़ते पाये जाओगे । मैं यह आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि जो सरकार अपने आर्म्ड फोर्स के लोगों को २० रुपये का मैस अलाउन्स देकर उनसे इमानदारी की बात करना चाहे, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं । उनको मैस अलाउन्स ४०) रुपया दिया जाये । आप किसी होटल में जाकर देखिये, आपको १० पैसे की एक पूरी मिलती है छोटी सी, आप उस ओर भी ध्यान दीजिए; अपने प्रान्त की मंहगाई की तरफ भी ध्यान दीजिए । १० पैसे की पुरी; तो कितनी पुरियां हुई हिसाब लगालें । ५ पैसे में लगा लें तो भी कितनी हुई ? तो उससे क्या कभी एक कॉन्स्टेबल का पेट भर सकता है ? नहीं भर सकता । लेकिन मुझे दुःख इसको देख कर इस बात से नहीं हुआ लेकिन दूसरे पहलू से हुआ । यह जो एलाउन्स है यह आर० ए० सी० वालों का तो बढ़ा दिया गया लेकिन हमारे जो बेचारे सिविलियन पुलिसमैन हैं उनकी ओर तवज्जह कम दी गई है ! तो अभी जोश है, नये गृह मन्त्री आये हैं; नये नये आये हैं । करोड़ों का घाटा हो रहा है । यहां कोई कमी नहीं है; और करोड़ों तो ब्याज में जा रहे हैं । सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स में करोड़ों रुपया ब्याज के लिए मांगा है, मैं यह कहता हूं । आपके बजट में न मालूम कितने करोड़ आयेगा आज शाम को, लेकिन सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स में करोड़ों जा रहा है ब्याज पर । यह नमूना है आपकी इकोनोमी का । तो उस इकोनोमी में करोड़, ५० लाख अगर छोटे तबके वालों की तनख्वाह, एलाउन्स या मैस एलाउन्स बढ़ा देंगे तो कोई कमी नहीं आयेगी, क्योंकि दिवालिया तो हम हैं ही, और चेयरमैन महोदय, हमारे मुख्य मंत्रीजी बिराजते हैं तब तक हमारा दिवालियापन तो बढ़ेगा ही । कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है । प्रान्त का दिवालियापन निकल रहा है और आपके कहने के अनुसार हमारी संतान कहेगी कि हमने ऐसे डेवलपमेंट के कार्य कर दिये कि दिवालिया तो हो गये लेकिन खूब अनाज पैदा होने लगा, और बांध बड़े ऊंचे ऊंचे हो गये । यह मालूम नहीं कि मसाला ऐसा लगाया जाता है कि हमारी जिन्दगी में ही टूट-टाट कर वह साफ हो जायेंगे । हमारी सन्तानें तो कब देखेंगी ? आज सड़क आगे आगे बनती है और पीछे पीछे टूट जाती है ।

Page No 52

(श्री मानसिंह महार)

बान्ध २–२, ३–३ बार बनते हैं तो १० वर्ष रुकते हैं। यह संतोष दिलाया गया है कि डेवलपमेंट हो रहा है इसलिए कर्जा हो रहा है। इसको भी मैं मानने को तैयार हूं। मैं कहता हूँ कि इस बात की ओर ध्यान दें, इसकी इकोनोमी की ओर ध्यान दें कि हमें पैसा इन्वेस्ट उसी चीज में करना चाहिये जिस चीज से ५ वर्ष में रिटर्न मिले। एक सेठ–साहूकार कोई इन्डस्ट्री लगाता है तो इस ओर ध्यान देता है। आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप भूल गये। आपको किसी सेठ साहूकार को वित्त मंत्री बनाना चाहिए था। डिप्टी एक गरीब को बनाया है जरूर, लेकिन वह भी सही मायने में सेठ-साहूकार नहीं है। मैं तो यह कहूँगा कि आपके ही जमाने का है। किसी सही बनिये को बैठा देते तो सारा ब्याज कम कर देता····

एक माननीय सदस्य : मुख्य मन्त्रीजी

श्री मानसिंह महार : मुख्य मन्त्रीजी वित्त मंत्रीजी थोड़े ही हैं। उनकी विचाराधरा तो बड़ी एडवान्स्ड इकोनोमी की है। मैं उसको चेलेन्ज नहीं करता हूं। वे हमारी औलादों को मालदार बनाना चाहते हैं और हमको भूखों मारना चाहते हैं, दिवालिया देखना चाहते हैं। वे मानते हैं कि आने वाली पीढ़ियां बड़ाई करेंगी कि सन् ५२ से सन् ६२ तक के मुख्य-मंत्रीजी की सरकार ने इतना कर्जा कर लिया कि हमारी ब्याज देने की क्षमता तक नहीं रही। और शायद अभी डिग्गी ठिकाने का नमूना पेश हो रहा है सदन में। उसको राइट ऑफ करने का मौका मिल जायगा। यह पहलू हो कि कर्जा तो खूब ले लो, पेमेन्ट देंगे नहीं तो दूसरी बात है लेकिन यह अच्छी बात नहीं है, अगर आप इस बात को सोचकर चलते हैं तो। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। मैं यह मानता हूं कि अगर कर्ज लेना है तो यह सोचकर लेना चाहिये कि पैसा अदा करना है। ऐसी बेईमानी दिल में नहीं रखनी चाहिए कि कर्जा अदा नहीं करें। तो यह तो हो रहा है।

एक दुःख की बात यह हुई कि हमारी सरकार को कर्जा राइट ऑफ करने में १५ वर्ष लग गये। चेयरमैन महोदय, सोचिए, आज राजस्थान बने १५ वर्ष हो गये और १५ वर्षों में वह छोटा सा कर्जा राइट ऑफ हुआ है। मैं कहता भी नहीं। मैं सही निवेदन करूं कि यह जरा सा ऑकवर्ड सा प्रश्न है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि यह कर्जा १५ वर्ष में राइट ऑफ हुआ तो इसके पोलिटिक्ल रीज़न्स थे, यह मैं दावे के साथ आपसे कहता हूं। एक आदमी उनका पोलिटिकल विरोधी था, कट्टर विरोधी था, इसलिए परेशान करने की वजह से उस कर्जे को भुलाये रखा। आज उसने आत्म-समर्पण कर दिया तो उस गरीब को आत्मसमर्पण करने का इनाम दिया गया। उसको यह इनाम दिया गया है कि तुमको इतना रुपया माफ किया, बख्शीश की। पुराने जमाने में बख्शीश होती थी। मुझको खुशी हुई कि हमारे मुख्य मंत्रीजी कुर्सी पर बैठते ही बख्शीशें करने लगे। लेकिन मैं कहता हूं कि पोलि-टिकली बख्शीशें बड़ी खतरनाक होती हैं। बहुत मुमकिन हो कि वह आदमी फिर कट्टर विरोधी हो जाय। यह ध्यान रखियेगा कि वह मकान की जमीनों वाला मामला उठ चुका है, बख्शीशें भी पूरी हो चुकी हैं। अब दबाने

(श्री मानसिंह महार)

की कोई चीज नहीं है। यह खतरा मोल लिया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, Sir, पर्सनल ढंग से ये जो अल्फाज़ पोइंट आउट किये हैं....

श्री मानसिंह महार : मैं माननीय चेयरमैन महोदय से सब कुछ निवेदन करूंगा, और मैं, चेयरमैन महोदय, इस प्रकार के इन्टरप्शन्स बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यहां पर सदन में क्यों....(अश्रव्य),...

श्री मानसिंह महार : चीफ मिनिस्टर साहब सारा सुन रहे हैं बड़े प्रेम से और मैं आशा करता हूं कि वे बुरा भी नहीं मानते हैं। गलत कहूंगा तो उसका सही जवाब देंगे। चेयरमैन महोदय, इस प्रकार के इन्टरप्शन्स से क्या होना जाना है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हाउस पर....

श्री मानसिंह महार : I am in possession of the House, Sir. मैं जब तक नहीं बैठ जाऊं....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : you are not in possession of the Honse, but of the floor of the house.

श्री मानसिंह महार : यह हमारा हाउस है।

श्री सभापति (श्री नारायणसिंह) : आप प्रारम्भ रखिये।

श्री मानसिंह महार : तो चेयरमैन महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार के जो इन्टरप्शन्स हो जाते हैं वे मुझे बड़े दिक्कतदेही हो जाते हैं और सारा तांता टूट जाता है मेरे भाषण का, मैं क्या करूं ?

मैं सदन के समक्ष वे ही बातें रखूंगा जिन पर किसी ने कोई बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित नहीं किया हो। इन सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड्स को देखने से यह महसूस हुआ कि सरकार कोई नया बजट लाई है। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि मुख्य मंत्रीजी कुछ नहीं करते। अब के तो हो गया, लेकिन आइन्दा बजट में जो चार बजे पेश करें उसमें बहाना करेंगे कि नये मंत्री के जमाने का नहीं था पहले से बना बनाया बजट आगया और आइन्दा इस प्रकार से डिमान्ड लाने की कोशिश करेंगे तो विरोध करेंगे। आज तो यह कर देते हैं, लेकिन करबद्ध प्रार्थना है कि इस प्रकार की सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड्स नहीं लायें। सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड्स ऐसी बात के लिए होनी चाहिए कि जो आकस्मिक चीज हो, जो आपके बस की नहीं हो, आपके बलबूते के बाहर की बात लाते हैं तो करेंगे। फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स की तनख्वाह बढ़ाने का लाते, कोई मंहगाई भत्ता बढ़ाने का होता तो स्वागत करते, हम आपके साथ रहते। लेकिन ८०,०००) रु० किसी इन्डस्ट्री में इन्वेस्ट करने की बात सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड यहां पर लाते हैं तो यह बजट का मखौल करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आपने पहले सोचा होता या एक अप्रेल के बाद में इसको आसानी से कर सकते थे; क्या बात थी ? लेकिन आज यह नहीं होता है। आज माइन्स में इन्वेस्ट करना होगा तो वह सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड फिर सदन में व्यावहारिक रूप से भेजी जायगी किय ह कर

(श्री मानसिंह महार)

दिया है, यह सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड मन्जूर कर लें। मैं यह कह रहा था कि यह बात नहीं होनी चाहिए। मन्जूरी तो बजट के लेने की है। इन बातों के ढकोसले की जरूरत क्या है उसको आप लायें ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Point of order Sir this word 'ढकोसला' is unparliamentary. I want your 'vyavastha.'

'ढकोसला' अल्फाज़ जो है वह अनपार्लियामेन्ट्री है।

श्री मानसिंह महार : इसको चेलेन्ज करता हूं कि यह कोई अनपार्लियामेन्ट्री नहीं है।

श्री सभापति : आप प्रारम्भ रखिये। 'ढकोसला' शब्द जिस कॉन्टेक्स्ट में है वह कोई-अनपार्लियामेन्ट्री नहीं है।

श्री मानसिंह महार : Thank you, Sir.

माननीय चेयरमैन महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि ये छोटी छोटी बातें हैं; लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। मैंने चार बातें खास मुद्दे की रखी हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी इन बातों के बारे में विचार करेंगे। पंचायत समितियों को जो सहायता दी जाय, वह रेन्ट जो देती हैं उसके बेसिस पर दी जाय बहुत इम्पोर्टेन्ट पॉलिसी मैटर है।

(२. म. प.)

दूसरा, गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स के लिये कहा है कि उसमें से किसी की भी १००) रु० से कम तनख्वाह नहीं होनी चाहिये। मैं इस चीज को मानता हूं और इस जवाब को सुनने को तैयार नहीं हूं कि हम टैक्स नहीं लगाना चाहते हैं, बल्कि टैक्स में कमी करना चाहते हैं और तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे चलेगा ? हम आपको बतायेंगे कि इन मदों में कमी करिये और तनख्वाह बढ़ाइये। हम से राय लीजिये बजट बनाते समय बैठा कर, हम बतायेंगे कि कैसे कमी की जाती है। हम कोई ट्रेजरी बैन्चेज़ पर बैठने के भूखे नहीं हैं। हम तो आपको सही रास्ते पर लाने के लिये भूखे हैं। हमारी बुद्धिमानी को भी देखें। जैसा कि मैंने पंचायत समितियों के बारे में कहा जयपुर डिविज़न में कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके दिमाग में यह बात है कि हम लोग इतना ज्यादा लगान देते हैं उसका रिटर्न हमको कुछ नहीं मिलता। लगान इतना देते हैं, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं। उदयपुर में ३) रु० बीघा लगान लेते हैं और जयपुर में ८) रु० बीघा लेते हैं। यह भेद मिटाना चाहिये। चेयरमैन महोदय, हालांकि यह बात सही है और झूठा जवाब ढंग से दे दिया जायगा, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि भेद नहीं है। हम लोग और हमारे यहां के किसान दबे हुए हैं....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : आम तौर से जागीरी इलाके में पहले ज्यादा लगान लगा हुआ था।

श्री मानसिंह महार : जागीरदारियें खत्म हुई तभी तो हम खत्म हो गये। मैं

Page No 55

(श्री मानसिंह महार)

कहना चाहता हूँ कि जागीरें क्यों खत्म की गई, हमने ज्यादा लगान लिया था। इसलिये तो खत्म हुए। अब आपके हाथ में आई है आप उनको राहत तो दीजिये। किसान आज भी देख रहे हैं कि उदयपुर की तरफ....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आशा करता हूँ कि हम जो रेंट रिवाइज़ करेंगे उस हिसाब से आप कम्पेन्सेशन ले लेंगे ?

श्री मानसिंह महार : मुझे तो कम्पेन्सेशन मिला ही नहीं है। मेरे को कितना ही कम्पेन्सेशन दे दें लेकिन लगान यहां भी उदयपुर के समान कर दें।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : We have taken note of your offer.

श्री हरिराम (तिजारा) : सभापति महोदय, यहां अभी सप्लीमेन्ट्री बजट इस सरकार का देखने को मौका मिला। जो सरकार समाजवादी समाज का निर्माण करना चाहती है तो इस बजट के अन्दर देखने से यह पता चला कि समाजवादी समाज का निर्माण इस तरह के बजट से ही यदि हो सकता है तो फिर वह समाजवाद एक अजीब ही किस्म का समाजवाद होगा और इस तरह का समाजवाद आज दुनिया के अन्दर नहीं है। आज जो भी दुनिया के अन्दर जितने भी समाजवादी देश कहे जा सकते हैं तो यहां का जो समाजवाद होगा वह फिर एक निराले ही किस्म का समाजवाद होगा क्योंकि इस बजट के अन्दर जो भी कुछ दिखाया गया है, जिस तरह की मंजूरी लेने की हाउस से कोशिश की गई है उसके अन्दर बहुत कुछ चीजें राजाओं को रियायतें देने के सम्बन्ध में और रियायतें ही नहीं; बल्कि जो भी कुछ उसकी तरफ सरकार का बकाया है वह बकाया भी उनसे वसूल नहीं हो सके, क्योंकि यह सरकार समाजवादी सरकार का निर्माण करना चाहती है और वह सरकार जो समाजवादी सरकार का निर्माण करना चाहती है वह सरकार कैसे उन जागीरदारों से, उन ठिकानों से जो कि सरकार का पैसा है वह पैसा वसूल कर सकती है ?

इसी तरह से इसके अन्दर उदयपुर महाराणा को २१ हजार रुपये देने के लिये कहा गया है, विशेष रियायत के तौर पर। पता नहीं तनख्वाह बढ़ाई है या उनको जो राजा-महाराजा लोग देते थे उनके बदले में कुछ लोगों को देना है या कोई नया स्टाफ लगाना है, इसका इसमें कोई क्लीयर जिक्र नहीं है लेकिन कहा ऐसा गया है कि क्योंकि राजा-महाराजाओं को कुछ देना पड़ेगा इसलिये उसके बदले में दिया जा रहा है। मैं यह बताना चाहता हूँ सभापति महोदय, राजा महाराजाओं के जमाने में वे देते कुछ नहीं थे; बल्कि बहुत कुछ बेगार लेते थे, बहुत कुछ जुल्म ढाते थे और उन लोगों को तरह तरह की यातनाएं देकर उसकी सारी कमाई अपने अपने महलों के लिये, ऐशो आराम के लिये इस्तेमाल करते थे और आज जो भी सरकार समाजवादी समाज के निर्माण का दावा करती है वही आज यह प्रयास कर रही है कि राजाओं वगैरह को किस तरह रियायतें दी जावें, जब कि उनको जेब खर्च का पैसा मिल रहा है, उनको अपनी प्राइवेट प्रोपर्टीज़ से बड़ी बड़ी इन्कम है उनका ख्याल

(श्री हरिराम)

रख कर किस प्रकार के समाजवादी समाज का निर्माण करेंगे ? हां, यदि इस बजट में इस किस्म की चीज होती जिससे कुछ गरीब तबके को राहत मिलती हो कुछ हरिजनों को राहत मिलती हो, छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई जा रही हो, उसकी मंहगाई इतनी बढ़ गई कि उनको राहत देना बहुत जरूरी है, इसलिये सप्लीमेन्टरी बजट इस किस्म का होना चाहिये, यह होता तो सरकार की नीयत समझ सकते थे, उधर जाने की तरफ कुछ तवज्जोह है, कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा।

बार बार मांग की जाती है राजाओं को रियायतें दी जा रही हैं उन्हें कम करें, जागीरदारों को जो कुछ दिया जा रहा है उसे कम करें, लेकिन होता है बिल्कुल उल्टा, हमारे सामने बजट रखते हैं कि इतने लाख रुपये पुराने खत्म करेंगे और इतने हजार राजाओं के खर्चे के मद में और दे दें तो इस तरह के बजट से कभी भी हम संतुष्ट नहीं हो सकते। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी अपना जवाब दें तो बतायेंगे कि क्या हिन्दुस्तान में इस तरह के जो मद हैं, रियायतें हैं उनसे क्या हमारे समाजवादी समाज का निर्माण करने का ढांचा है उसमें मदद हो सकेगी या हमारे राष्ट्र के अंदर या प्रान्त के अंदर इससे औद्योगीकरण बढ़ेगा ? इस किस्म की मदद करने से या और किसी तरह से देश की तरक्की की जायगी ? यदि नहीं दे तो ये चीजें ऐसी हैं जिनसे देश के निर्माण का काम रुक जायगा और किसी तरह से देश के काम में दिक्कत आ जायगी या फिर वह समाजवाद नहीं आयेगा ? क्योंकि राजाओं को रियायत दें, जागीरदारों और राणियों को रियायत दें तभी समाजवाद आ सकता है, इसके बगैर नहीं आ सकता ? हम इस समाजवाद को पूरी तरह से समझ नहीं पाये हैं। वे किस तरह का समाजवाद लाना चाहते हैं, यह मुख्य मंत्रीजी बतायेंगे। यदि वे राजा-राणियों का ही समाजवाद लाना चाहते हैं तब तो उनकी मर्जी है। यदि हिन्दुस्तान के किसानों मजदूरों में समाजवाद लाना चाहते हैं, हिन्दुस्तान की मेहनतकश जनता में समाजवाद लाना चाहते हैं, यदि हिन्दुस्तान के छोटे कर्मचारियों में समाजवाद लाना चाहते हैं तो सरकार की जो बजट बनाने की नीति है उसमें पूरी तरह से परिवर्तन करना पड़ेगा और उनको बजट में यह गुंजाइश रखनी पड़ेगी जिससे कि जो मेहनतकश तबका है वह पूरी तरह से ऊंचा उठ सके और उस मेहनतकश तबके को पिछड़े हुए, सताये हुए तबके को रियायत मिले और ऊपर का जो तबका है उस पर किसी न किसी सीमा तक रोक लगाई जाय ताकि उनकी तिजोरियें भरनी नहीं पड़ें बल्कि उनकी तिजोरियों पर कंट्रोल लगाया जाय। इस प्रकार का बजट बनायेंगे तभी तो समाजवादी समाज के निर्माण की तरफ चलेंगे यदि यह कहें कि हमने वायदे कर रखे हैं, सरकार जो वायदे करती है उसको वापिस नहीं करना चाहिये। तो फिर मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि वायदे तो आपने बहुत कुछ किये थे–किसानों से वायदे किये थे, मजदूरों से किए थे, हिन्दुस्तान के कर्मचारियों से किये थे और बहुत से जितने भी तबके हैं, जो मेहनत करने वाले

(श्री हरिराम)

हैं उन तमाम लोगों से वायदे किये थे–जब वे वायदे तोड़े जा सकते हैं, आसानी से तोड़े जा सकते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट से तोड़े जा सकते हैं तो ये राजाओं से किये हुए वायदे, जागीरदारों से किए हुए वायदे और किसी से किए हुए वायदे भी तोड़े जा सकते हैं और विशेष रुप में, ऐसी हालत में जब कि हमारा यह प्रांत, यह राजस्थान एक ऐसी जगह है जहां के व्यक्तियों की आमदनी और स्तर दूसरी जगहों से कम है और बार बार हम यह मानते हैं कि यहां बहुत से भूमिहीन किसान हैं, बहुत से पीड़ित हैं जिनको कि एक टाइम खाना भी नहीं मिलता है तो इस किस्म के प्रांत के अन्दर यह सारा का सारा बजट इस प्रकार का है तो अभी तो यह सप्लीमेन्ट्री बजट है। अभी जो दूसरा चार बजे आने वाला है उसमें कितना रुपया राजा-रानियों के लिए खर्च होगा, कितना जागीरों के जागीरदारों को मुआवजे के रुप में दिया जायगा, कितना बड़े बड़े लोगों को तनख्वाह के रुप में दिया जायगा, कितना मंत्रियों के भत्ते में चला जायगा; कितना जीप के पेट्रोल में चला जायगा। तो इस सारे सप्लीमेन्ट्री बजट को देख कर हमारे नाक भौंह सिकुड़ते हैं और इन सप्लीमेंट्री डिमान्ड्स को देख कर हमारी आंखें चार चांद हो जाती हैं। यह जब पहली शुरुआत है और उसमें यह बताया है कि २२ हजार रुपया राजा साहब को दिया जा रहा है तो यह हो सकता है कि विशेष रियायत मुख्य मन्त्रीजी ने इसलिए की हो कि चुनाव के अन्दर मुख्य मंत्री जी और मंत्रियों को अब की दफा कुछ डर रहा हो और राजा साहब ने जम कर मदद कर दी हो और उसके लिए महरबान होकर शायद इस तरह से मदद दे रहे हों। मैं तो यह नहीं समझता क्योंकि मैं नया आदमी हूं कुछ गलतफहमी होगी। लेकिन मेरे दिमाग में इस प्रकार की गलतफहमी जरूर है क्योंकि वह साफ इसके पहले भी है क्योंकि वह तो आपसे राजी दिखाई दे रहे थे। बाकी की तो ऐसी दौड़ चल रही थी और राजा-रानियों के लिए कांग्रेस की भाग दौड़ चल रही थी। यह हो रहा था कि स्वतंत्र पार्टी राजा-रानियों को ले जाय या कांग्रेस ले जाय। शायद वह उनकी तरफ नही गये हों और आपकी मदद कर दी हो और इसलिए ही उनके साथ विशेष रियायत दी जा रही हो। इस तरह की कोई बात है तो मैं समझता हूं कि होनी नहीं चाहिए। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि अपनी नीति के अन्दर हम परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक कि हम इस बात को नहीं देखेंगे, इस बात को नहीं सोचेंगे कि किन लोगों को ऊपर उठाना है और किन लोगों के ऊपर कुछ थोड़ी सी रोक लगानी है। आप चाहते हैं कि दोनों-शेर, बकरी एक घाट पर पानी पीयें और यह रोज रोज कहते जायेंगे कि शेर-बकरी एक घाट पर पानी पीयेंगे तो उनका हृदय परिवर्तन हो जायगा, तो मैं समझता हूं कि ऐसा जमाना नहीं आने वाला है कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीने लग जायं। शेर का स्वभाव है शेर बकरी को खा जायगा। आपने यह समझा हो कि सरमायेदार रहेंगे, जागीरदार रहेंगे टाटा-बिड़ला रहेंगे तो किसान और मजदूर भी तरक्की करते चले जायेंगे तो मैं आपको बताऊं कि शेर का स्वभाव बकरी को खाना है और उसके रहते कभी बकरी तरक्की नहीं कर सकती। इसलिए उनके उपर रोक लगानी

(श्री हरिराम)

पड़ेगी, उन पर थोड़ा अंकुश लगाना पड़ेगा। और आज यह हो सकता है कि उन पर पूरी तरह से अंकुश लगाना पड़े, उनके ऊपर पूरी तरह से रोक लगानी पड़े और हिन्दुस्तान के जो किसान और मजदूर हैं, जो मेहनत करने वाले तबके हैं उनको पूरी तरह से रियायत देनी पड़े।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

वैसे तो दूसरे बहुत देर तक बोलते हैं....

श्री सभापति (श्री नारायणसिंह) : समयाभाव है।

श्री हरिराम : घंटी बज गई है और मैं बोल रहा हूं मुद्दत के बाद आज ही। इसीलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह का बजट जो भी है वह कोई समाजवादी समाज का निर्माण करने वाला बजट नहीं है, इस ओर यह तवज्जोह नहीं देता, बल्कि जिस तरह का समाजवाद आना चाहिए उस किस्म के समाजवाद के बारे में बुरी धारणायें पैदा करता है। यह समाजवाद की बात है कि आप बजट में राजा-रानियों को और जागीरदारों को रियायत दें और किसानों और मजदूरों की बात यह बजट न करे!

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय चेयरमैन, मैंने स्पष्ट किया था, उस समय शायद आप उपस्थित नहीं थे इसलिए आप कई बार राजा-राजा, रानी-रानी, कर रहे हैं। इस डिमान्ड का उनसे सम्बन्ध नहीं है।

श्री हरिराम : उस वक्त मैं था। उस बात को पूरी तरह से समझ कर बात कह रहा हूं। हमारी नीति इस किस्म की लागू नहीं है कि आप लोग पूरी तरह से राजा-रानियों से सांट-गांट करके सरकार चला रहे हैं और बजट में यह बात रखना चाहते हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें ताकि दूसरे माननीय सदस्य भी बोल सकें।

श्री हरिराम : बस, मैं दरख्वास्त करता हूं कि आइन्दा जो बजट हो, नीति हो, वह कम से कम किसान और मजदूरों के फायदे को लेकर हो और मेहनतकश लोगों के फायदे को लेकर हो। इस बात का ख्याल छोड़ दें कि कभी कोई वायदा किया था। आप वायदे को तोड़ सकते हैं और वायदे आपने तोड़े हैं। अब इसको भी तोड़ दें तो इससे कोई नुकसान नहीं है। मैं देश के हित की बात कहना चाहता हू दूसरी बात नहीं कहना चाहता।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सभापति-श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति महोदय, राजस्थान विनियोग विधेयक विचारार्थ है। मैं थोड़े समय में कुछ बातें कहना चाहता हूं। जब भी विनियोग विधेयक आये........

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपना भाषण पन्द्रह मिनट में समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री मुरलीधर व्यास : इससे भी कम में करूंगा।

सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट्स किसी भी सरकार की जो आती है वे एक सीमा के भीतर आनी चाहिए। राजस्थान का जो सारा १६६१–६२ का बजट बना था और जब आया था उस समय यह बात बहुत जोर के साथ कही गई थी कि हमारा जो बजट है वह मितव्ययता का बजट है। हम हमारे खर्चे में भी कमी कर रहे हैं और टैक्स का भार कम होगा। पर जो १६६२ का बजट ४७, ४८ करोड़ के आस-पास था और जब यह ५३ करोड़ के आस-पास चला जाता है, इससे अन्दाजा लगता है कि हम बजट की काफी बड़ी एक सीमा निर्धारित करते हैं कि हमारा साल भर का खर्चा जो कुछ है वह इतना होगा और निर्धारित करते हमय इस बात का संकेत करते हैं कि हमारे खर्च में कटौती होगी और प्रशासनिक खर्च, दूसरे खर्च में, हर शक्ल के खर्च को धीरे धीरे कम करेंगे; हमारा ऐसा एक कल्याणकारी बजट बनता जायगा जिससे आम लोगों को ज्यादा सुख पहुंचेगा। अब यह जो सप्लीमेंट्री ग्रान्ट में खर्च बढ़ा है उस खर्च के बढ़ने में ऐसे तथ्य दिखते हैं कि जिससे वह खर्च आम लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने की वजह से बढ़ा है, इस काम के लिए बढ़ा है कि जिससे आम लोगों के लिए ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे खर्च बढ़ा है तो हम समझते हैं कि ठीक बात है, कि यह खर्च इस प्रकार बढ़ गया। पर हर विभाग में खर्च किसी दूसरे कारण से बढ़े, हम एक सीमा बांध दें, उससे खर्च बढ़ता हुआ चला जाय; इतना ज्यादा बढ़ जाय कि बजट का एक बटा दस खर्च सप्लीमेन्ट्री में हो तो फिर हमें मान्य करना पड़ेगा कि ऐसा मालूम पड़ता है कि हम आज के युग में योजनाबद्ध विकास करना चाहते हैं। जहां एक सीमा के अन्तर्गत काम करना चाहते हैं वहां पर हमारा खर्च कम करने में कोई अंकुश नहीं है। मनमाना खर्च बढ़ जायगा तो मैं समझता हूं कि वह सरकार जो कि एक आश्वासन देकर अपना बजट आगे बढ़ाना चाहती है और वहां पर उसके बिल्कुल विपरीत फल निकले तो उससे ऐसा भाव होता है कि सरकार का कोई नियंत्रण हमारी इस नौकरशाही पर नहीं है। आपका कोई नियन्त्रण नहीं है कि एक सीमा के भीतर किसी प्रकार काम चले। आज ठीक बात है, ६ करोड़ का खर्च बढ़ गया, कल हो सकता है कि कोई नियन्त्रण न हो और एक साल के बाद हम मनमाने तरीके से दस करोड का खर्च बढ़ा दें। तो आखिर यह जो अव्यवस्था होती है तो मैं समझता हूं कि चाहे कोई भी सरकार हो वह गैरजिम्मेदार है जिसने अपने कार्य-काल में कोई नियन्त्रण नहीं रखा और अफसरों ने जैसा चाहा किया और आज हमें यह सप्लीमेन्ट्री ग्रांट मंजूर करनी पड़ती है। जैसा वे सोचते हैं वैसा करते हैं तो मुझे यह कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा कि जनतन्त्र में जनतांत्रिक सरकार पर नौकरशाही हावी हो रही है और मनमाने तरीके से खर्च हो जाता है।

इसमें एक दो ऐसे खर्चे मालूम पड़ते हैं जैसे पुलिस के मैस का खर्चा ५ से २० हो गया। इलेक्शन आदि ऐसे कार्य होते हैं जिसमें ये खर्चे कुछ बढ़ जाते हैं तो उसमें तो ऐसा कुछ मालूम नहीं होता मगर ये ऐसे खर्चे नहीं कि हमने इतनी जीपें खरीदीं, पुलिस में इलेक्शन की वजह से इतना खर्चा हो गया।

(श्री मुरलीधर व्यास)

इसी प्रकार से राज्यपाल महोदय के यहां पर नये संरक्षण के लिए ४१ हजार का खर्चा हो गया। यह ठीक बात है कि वहां पर वैल फर्निश्च रूम्स रहें, नया विकास हो। मैं चाहता हूं कि हमारे लिए जो प्रेरणा का स्थान है, लोकतन्त्र में जो एक सिम्बल है वहां से नये विकास की प्रेरणा मिलनी चाहिए। लेकिन खर्चा बढ़ता है तो वह प्रेरणादायक नहीं है। मैं महसूस करता हूं कि ऐसे खर्चे हमारे लोकतांत्रिक देशों में बढ़ने नहीं चाहिए, कम होने चाहिए। जब से हमने लोकतन्त्र की नीति को स्वीकार किया है, हमको सत्ता उन लोगों के हाथ में देनी चाहिए जो अधिकारी स्वेच्छा से काम करना चाहे। हमने पंचायतें कायम की हैं, ठीक है, तो मैं यह कहूंगा कि हमें ऊपर का खर्चा कम करना चाहिए।

कहने के लिए यह कहा जाता है कि हमने ऊपर का खर्चा कम किया है और डिविजन हैडक्वार्टस को हटा दिया है परन्तु मैं यह कहूंगा कि इसके बावजूद भी हम खर्चा बढ़ा हुआ देखते हैं तो हमारा नियन्त्रण ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने यह कहा कि चुनावों के कारण से कुछ खर्चा करना पड़ा है। मैं उसकी गहराई में जाना नहीं चाहता। लेकिन जो हमारा बजट था वह ४८ करोड़ का था और ४८ करोड़ के बजाय ५३ करोड़ खर्चा हो गया। आज जो बजट पेश होगा उसमें यह अन्दाजा लगाते हैं कि वह बड़ा बजट होगा, उसमें नये टैक्सों की बात होगी। अगर यह खर्चा जो हमने किया है वह समाजवाद की स्थापना को दृष्टिकोण में रखते हुए हुआ है तो हम समझते हैं कि हमारा जो खर्चा हुआ है वह हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए बढ़ रहा है। लेकिन हम जिन चीजों पर कम खर्चा करना चाहते थे उन चीजों पर खर्चा बढ़ रहा है, हमारा कोई अंकुश नहीं रहता। तो मैं समझता हूं कि आने वाले जमाने में आम जनता पर इसका बहुत बड़ा भार होगा और नया बजट आवेगा उसमें नये टैक्सेज़ ज्यादा लगाये जावेंगे। अभी भी पिछले साल के ४८ करोड़ के बजट से ५–६ करोड़ बढ़ गया। हम नई बातें भी चाहते हैं, हम विकास भी चाहते हैं तो हमारा खर्चा और भी ज्यादा बढ़ेगा। इसलिये मैं खास करके एक बात रखना चाहता हूं कि जब सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट का प्रश्न हो तो उसमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिये कि एक सीमा तक कम होना चाहिये। एक दूकान है और उसमें हम एक सीमा बांध दें कि इतना रूपया नौकरों में, इतना विकास में, इतना अन्य कामों में और जिस समय साल का अन्त होता है तो वह सवा गुना खर्चा हो जावे और दुकान के प्रशासन आदि में बढ़ता चला जावे तो इससे कोई राहत नहीं मिलती और ऐसे दूकनदार' हमारे एक माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि उसकी दिवालिया स्थिति हो जावेगी। मैं दिवालिया की स्थिति के शब्द तो नहीं कहना चाहता लेकिन यदि इस प्रकार की वह दूकानदारी चलाता है और वह कोई नियंत्रण नहीं रख पाता तो वह किसी दिन दिवालिया हो सकता है। अभी भी हम दिवालिया कह दें तो कोई अनुचित नहीं होगा। हमारे पर करोड़ों रूपयों का ऋण है, करोड़ों रूपये ब्याज के रूप में हमको देने पड़ते हैं और हम देते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हमारी योजना का युग है और वह रुपया उसमें लग रहा है, इसका फल हमको आगे

Page No 61

(श्री मुरलीधर व्यास)

मिलेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे हम रुपयों का उपयोग करते हैं उसके अनुसार हमको उसका लाभ मिलना चाहिये। जो खर्चा हम करें उसके साथ हमें कोई टैक्स नहीं लगाना पड़े और हम अपने साधन बढ़ावें और हमारे कामों को चलावें। वह तो हमारी कल्याणकारी व्यवस्था होती है। मगर ऐसा नहीं होता है और अनावश्यक खर्चा करते चले जाते हैं, जो किसी के हित में नहीं जाता। खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेडा): सभापति महोदय,

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री): सभापति महोदय, २॥ बजे तक का समय ही माननीय सदस्यों की बहस के लिए रखा गया था।

श्री सभापति: २॥ बजे तक का ही समय था। अब सरकार की तरफ से जवाब होगा।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्तमन्त्री): श्रीमन्, माननीय सदस्यों ने जो एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस और जोरदार आलोचनाएं कीं उनको सुन कर मुझे ताज्जुब हुआ कि क्या ऐसे समय पर जब सदन के सामने एप्रोप्रिएशन बिल रखा है और जब इससे पेश्तर मनन पर बहस होने का समय था और कुछ हुआ भी यह कौनसी ऐसी कमी रह जाती है कि जिसके कारण एक रसमी तौर पर बजट को पास करने के लिये एप्रोप्रिएशन बिल रखते हैं उस वक्त इतनी लम्बी और सुझाव देने वाली बातें रह जाती हैं। जहां तक माननीय सदस्यों ने इस पर सुझाव रखा, कुछ ठीक भी हो सकते हैं, मुनासिब भी है और यदि मुनासिब हो तो जब जनरल बजट की आम बहस के वक्त वे सुझाव इस सदन में रखे जाते। सप्लीमेंट्री डिमान्ड आपके सामने आई; क्यों आई, कैसे आई, इस वक्त इस इतिहास में जाना ज्यादा मुनासिब नहीं होगा।

कहा गया कि यह राजस्थान की एक बदनसीबी है कि यहां पर सप्लीमेन्टरी डिमाण्ड्स आईं। मैं माननीय सदस्य से इतना निवेदन कर दूं कि अगर वे कुछ वाकफियत रखना चाहते हों तो उनको मालूम होना चाहिये कि अभी केन्द्र में कई करोड़ की सप्लीमेन्टरी डिमाण्ड्स सामने आई हैं और इसी तरह से दूसरी स्टेटों ने भी अपनी सप्लीमेन्टरी डिमाण्ड्स अपने सदनों के सामने रखी हैं। इसके माने यह नहीं कि जो डिमान्ड्स हैं, मैं उनके ऊपर कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं। लेकिन हुआ यह मालूम होता है कि कुछ माननीय सदस्य भूल गये कट मोशन्स देने का वक्त, वह वक्त मुनासिब होता उनका कि उन कट मोशन्स के जरिये हर डिमाण्ड पर बहस करते और उस बहस के वक्त सरकार की गलतियां सामने रखते। पर मालूम हुआ कि चूंकि होली का असर उनके दिमागों पर इतना था कि वक्त पर आकर कट मोशन्स पेश नहीं किये और अपनी गलती को सुधारने के लिये यह मुनासिब समझा कि यहां की परम्पराएं एप्रोप्रियेशन बिल के वक्त यह हैं कि एक मामूली तौर पर बहस

Page No 62

(श्री बालकृष्ण कौल)

होकर पॉलिसी मैटर पर बहस करके खत्म हो जाय। पर बहस शुरू हुई....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपकी जानकारी के लिये बतादूं कि एप्रोप्रियेशन बिल पर पॉलिसी पर बहस नहीं होती।

श्री बालकृष्ण कौल : इस पर आम तौर पर यह बहस होती है कि जो चीजें रह गई हैं उन पर बहस होती है। यही नहीं; दूसरी दीगर स्टेटों में और....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : कौनसी स्टेट का तजुर्बा है, वह भी बता दीजिये ?

श्री भैरोंसिंह : अजमेर का है।

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे यदि यहां सदन में बैठने का तजुर्बा नहीं हो, पर इन्सान के सामने पढ़ने–लिखने से तजुर्बा होता है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : On a point of order, sir. इन्सान के read करने का क्वेश्चन....

श्री सभापति : What is your point of order ?

श्री अब्दुलजब्बार : When a word has been expressed by the Finance Minister Sahib that इन्सान के सामने....

श्री सभापति : This is no point of order. please.

श्री अब्दुलजब्बार : Sir,....

श्री सभापति : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या 'इन्सान' शब्द से आपको एतराज है ?

श्री अब्दुलजब्बार : एतराज नहीं, पर सम्बोधन–संकेत जिस ओर किया जाता है उससे इस बात का आभास होता है कि वास्तव में विरोधी हैं वे इन्सान नहीं हैं, साफ नहीं; पर दबी हुई शक्ल में उन्होंने यह....

श्री सभापति : ऐसा तो माननीय मन्त्री महोदय का मतलब नहीं।

श्री अब्दुलजब्बार : बैक ग्राउन्ड में, दबी हुई शक्ल में उनका यह मतलब था।

श्री सभापति : ऐसा तो मन्त्री महोदय का आशय हो नहीं सकता। यही आपका एतराज है तो वह ठीक नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार : परम्परा होती है, आक्षेप के रूप में कहा जाय वह इतने क्लीयर वे में कहा जाय....

श्री सभापति : यह आशय था नहीं, आप स्थान ग्रहण करें। आप जारी रखें।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं नहीं समझता था श्रीमान्, कि जो कुछ मैं कह रहा था उससे क्या यह संकेत होता था कि माननीय सदस्य यह समझ गये कि मैं उनको इन्सान नहीं समझता, मैं उनको उतना ही इन्सान समझता हूँ जितना कि अपने आपको समझता हूँ। यह शंका उनको हुई शायद होली का असर उनके दिमाग पर हो।

(श्री बालकृष्ण कौल)

मैं अर्ज कर रहा था कि जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये वे अपनी जगह माकूल हो सकते हैं और मैं उन सुझावों का स्वागत करूंगा जिस वक्त उनकी जरूरत होगी। मैं चाहता हूँ कि माननीय सदस्य हमेशा सरकार को जागृत रखें लेकिन उनकी नीयत सिर्फ इतनी ही होनी चाहिये कि सरकार और वे लोग मिल कर इस राजस्थान को मजबूत राजस्थान बनायें।

कहा गया कि पिछली सरकार ने बातें बहुत की और किया कुछ नहीं। मैं ज्यादा बातें तो नहीं जानता पर एक चीज मेरे सामने आई, वह यह कि कुछ इकोनोमिक मेज़र्स उन्होंने इस सदन के सामने रखे थे और यह विश्वास दिया था कि वे इस पर अमल करेंगे। तो फीगर्स मेरे सामने हैं, उनके आधार पर मैं इतना अर्ज कर दूं कि एक हद तक उस सरकार ने अपने लफ्जों को पूरा किया। १०८ लाख रुपयों की तख्फीफ के लिए उन्होंने शायद सदन के सामने वायदा किया था। १०८ लाख में से २५ लाख उसमें पुलिस के थे। जहां तक तख्फीफ पुलिस का सम्बन्ध है तो उसमें सरकार पूरे कदम नहीं उठा सकी, इसका कारण हो सकता है, शायद ज्यादा कारण यह चुनाव ही हो सकता है; पर बाकी तख्फीफ का मामला है उसमें सरकार ने ६५ लाख की तख्फीफ करके बताई है। यदि माननीय सदस्य जानना चाहें कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने कितने लाख की तख्फीफ हुई तो मैं उन माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि इस तख्फीफ का स्टेटमेंट टेबल ऑफ दी हाउस पर रख दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : बजट के समय?

श्री बालकृष्ण कौल : नहीं अलग से बजट से उसका ताल्लुक नहीं। एक माननीय सदस्य ने बड़ा जोर दिया कि इस तरह से खर्चा बढ़ाया जाय, लो पेड स्टाफ की तनख्वाह में इजाफा हो तो वे उसका स्वागत कर सकते हैं। ये अल्फाज़ मेरे कानों में पड़ रहे थे तो मैं सोचने लगा कि क्या ये अल्फाज़ वाकई उनके मुंह से निकल रहे हैं, दिल से भी निकल रहे हैं या केवल लो पेड स्टाफ को खुश करने के लिए निकल रहे हैं।

तो जो दलील उन्होंने दी वह सोचने के काबिल दलील है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त बजट बनाया करें तो वे आपको एक ड्राफ्ट दे सकते हैं, जिस बिना पर वे बता सकते हैं कि खर्चा भी बढ़ जाय और टैक्स भी नहीं लगे। मैं उन माननीय सदस्य से बड़ी विनम्रतापूर्वक अर्ज करूंगा कि वे ड्राफ्ट मुझे जरूर दे दें। मेरी दिली ख्वाहिश है कि प्रजातन्त्र में जिस तरह हुकूमत चलती है और हम चलाना चाहते हैं, कौनसा ऐसा ड्राफ्ट बन सकता है कि जिससे हर शख्स एक दिन में ही उसका स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग इतना ऊंचा हो जाय कि उसमें एक आदमी से दूसरे आदमी की माली हालत में फर्क नहीं रहे। मैं उनको दावत देता हूँ उस ड्राफ्ट के लिये। हो सकता है कि आगे चल कर, यह प्रगतिशील जमाना है, इस सरकार को जरूरत पड़े कि बजट बनाने के पेश्तर ऑपोज़ीशन लीडर है उसको कॉन्फिडेन्स में लेकर ऐसा

(श्री बालकृष्ण कौल)

ड्राफ्ट उनसे मांगे और आम तौर पर ऐसी चर्चायें करें जिससे वह सरकार पर यह असर डाल सकें कि किस किस्म से बजट बनाया जाय और वह बजट बेलेंसिंग बजट हो। लेकिन मैं इस मौके पर जब मुझे थोड़े ही दिन हुए हैं इस कुर्सी को संभाले, मैं इस मौके पर कुछ नहीं कह सकता, सिवाय एक बात आपके सामने रख दूं कि कहा गया कि जीपं, स्टेशन वेगन्स पर इतना फिजूल खर्चा किया जाता है।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उन मुद्दों पर खींचना चाहता हूं जिन मुद्दों को सोचेंगे तो समझ जायेंगे कि ये जिप्स और स्टेशन वेगन्स किसलिए खरीदी जा रही हैं। आपने अगर थोड़ा सा दिमाग पर जोर दिया होता और आपके पास समय होता बजट आइटम्स पर सोचने के लिए तो आप यह समझ लेते कि जीप्स और स्टेशन वेगन्स को खरीदने की क्यों आवश्यकता है। आप माननीय सदस्य जानते हैं जिनसे भी मैं गैर रस्मी तौर पर मिलता हूँ मेरे आगे बहुत सी दफा कहते हैं कि सेल्स टैक्स लगाने की जरूरत नहीं होगी, बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी; अगर उनके ऊपर इतनी कड़ाई से, सख्ती से जो कुछ भी इसमें लीकेजेज हैं उन सुराखों को बन्द कर दें तो और जरूरत नहीं होगी सेल्स टैक्स बढ़ाने की। उन बातों का मुझ पर असर हुआ वाकई चाहते हैं कि सब ऐसे साधन इस्तेमाल किये जायं जिससे कोई भी इस प्रकार का सुराख हो न रहे। हो सकता है, हमारी गलती हो, उन सुराखों को रोकने के लिए इस किस्म की विहिकल्स का रखना जरूरी हो जाता है ताकि फौरन चारों तरफ जाकर जहां कहीं भी इस प्रकार की वारदात हो, पता चल सके, उन सुराखों को रोका जा सके। फ्लाइंग स्क्वेड्स रखे जांय उसी के लिए स्टेशन वेगन्स रखे जा रहे हैं। हो सकता है हम तजुर्बा कर रहे हों; कहां तक इसमें सफल होंगे; यह तो भविष्य बतायेगा। इस बारे में मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। जहां तक सरकार की नीयत है इस पर खर्च करने का जो मकसद है वह उस आधार पर जैसा कि वक्तन फ-वक्तन आपके द्वारा सुझाव दिये गये उनको ख्याल में रखते हुए इन चीजों पर खर्च किया जा रहा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): On a point of information, Sir, यह जो बीस हजार का स्टेशन वेगन्स खरीदने का प्रावधान कर रहे हैं क्या उस बीस हजार की गाड़ी का उपयोग कमिश्नर साहब रेड करने जायेंगे उस समय करेंगे या उनके निजी उपयोग में आने के लिए खरीदी जा रही हैं?

श्री बालकृष्ण कौल : अगर माननीय सदस्य यह चाहें कि वित्त मंत्री खुद स्टेशन वेगन में घूमें और जैसे मुलजिमों को पकड़े तो वित मंत्री को इसमें खुसी होगी। माननीय सदस्य को यह पता नहीं कि आज कल गाड़ियों की क्या कीमत है? अगर गाड़ियों की कीमत का पता होता तो यह सवाल करते ही नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय चेयरमैन, मैंने जो बात कही उसे माननीय मंत्री महोदय समझे नहीं। मेरा यह निवेदन था कि बीस हजार की स्टेशन वेगन में स्वयं कमिश्नर महोदय रेड करने जायेंगे या उनके निजी उपयोग के लिये वह है? माननीय मंत्री महोदय को तो अलग से गाड़ी मिलती ही है,

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

उसके लिए कोई एतराज नहीं।

श्री बालकृष्ण कौल : सभापति महोदय जब एक डिपार्टमेंट की फ्लाइंग स्क्वेड चलती है तो उसमें एक आदमी नहीं कभी कभी ज्यादा आदमी भी चलते हैं। स्टेशन वेगन ज्यादा आदमियों को एक वक्त में लेजाया करता है। कमिश्नर साहब अके ले ही जायं, ऐसे भी मौके पड़ सकते हैं। स्टेशन वेगन ठीक रहेगी या जीप; यह उन पर छोड़ देना चाहिये जो काम करते हैं। ऐसी चीज नहीं कि बड़े ऐशो-आराम के लिए यह चीज प्रोवाइड कर रहे हों। इसमें दो राय हो सकती हैं कि हम इस काम के लिये जीप काम में लेवें या स्टेशन वेगन। आखिर ये सब ऐसी चीजें हैं ये उन पर छोड़नी पड़ती है जिनके द्वारा यह काम होता है।

श्रीमान्, इतना ही अर्ज कर जितने भी सुझाव आये, जितनी भी आलोचनायें हुईं वे मैं फिर सुनने के लिए तैयार हूंगा जिस वक्त कि बजट पर जनरल डिस्कशन होगा। चूंकि मुझे चार बजे बजट रखना है आपके समक्ष, इसलिये मैं इस हैसियत में नहीं कि इन सब चीजों के बारे में तफसील में जाऊं और सप्लीमेन्टरी डिमान्ड्स पर कुछ कह सकूं। हो सकता है उन चीजों को दोहराने में ऐसी गलतियां हो जायं जिनकी आनेवाले बजट पर आश हो। इसलिये माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जो कुछ मुद्दे मैंने आपके सामने रखे हैं उनको स्वीकार कर लें और इन्तजार करें एक दिन के लिए इन पर बहस होने वाली है उस समय तक।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय से नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय ने जो भी सर्मन्स माननीय सदस्यों के लिए प्रीच किये हैं उनके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। लेकिन जो डिबेट हुई, जो मुद्दे उठाये गये उनके लिए केवल यह कह कर कि उनके कहने से बजट से संबंधित बातें निकल जायंगी इस समय जवाब नहीं दे सकता, यह उचित नहीं। सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स का बजट से क्या सम्बन्ध है? अगर कोई सम्बन्ध होता भी है तो उसको अवोइड किया जाय। जो खर्च उन्होंने कर दिया वह बजट जिस समय बना उन खर्चों को उस समय क्यों नहीं रखा गया, उस समय एन्टीसिपेट क्यों नहीं कर पाये? इसका और आने वाले बजट का कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री सभापति : Now the question before the House is that the Rajasthan Appropriation Bill (No 1) 1962, be taken for consideration. Those who are in favour. may say 'Aye' and those who are against, 'No'.

(स्वीकृत)

The Bill is taken for Consideration.

श्री बालकृष्ण कौल (वित्तमन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक १९६२ को पारित किया जाय।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राज-

(श्री सभापति)

स्थान (विनियोग संख्या १) विधेयक, १९६२ को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

सदन की कार्यवाही सांयकाल चार बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. २ बज कर ४६ मिनट पर सांयकाल ४ बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, २६ मार्च, १९६२)

(प्रातःकालीन बैठक)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ८५८

हाईस्कूल देवगढ़ ।

देवगढ़ व भीम तहसील में खनिज सर्वेक्षण ।

भीम तहसील में चरणोट के लिए निर्धारित भूमि ।

तालाबों से सिंचाई ।

तालाबों से सिंचाई ।

राज्यपाल महोदय का संदेश ८७२

अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित संदेश पढ़ा गया :—

"दिनाक १४ मार्च, १९६२ को विधान सभा में दिये गये मेरे अभिभाषण पर सदन के सदस्यों ने जो आभार प्रदर्शित किया उसको प्राप्त करके मुझे अत्यन्त संतोष हुआ है ।"

सदन की मेज पर रखे गये पत्र ८७२

निम्नांकित पत्र सदन की मेज पर रखे गये:—

(१) नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रैक्शन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (National Project Construction Corporation Private Limited) न्यू देहली के संचालकों का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन तथा १ अप्रैल, १९५९ से ३१ मार्च, १९६० तक के लेखों का विवरण ।

(२) राज्य कर्मचारियों के वेतन श्रृंखलाओं सम्बन्धी रावत कमेटी की रिपोर्ट ।

जनलेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति, १९६२-६३ के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी प्रस्ताव । ८७२

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री, ने जनलेखा समिति, १९६२-६३ के लिए १० सदस्यों और प्राकलन समिति, १९६२-६३ के लिए १५ सदस्यों को निर्वाचन किये जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जो सदन द्वारा स्वीकार किये गये । इस सम्बन्ध में निम्न

Page No 68

स्कम्भ स्कम्भ

कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषित किया गया:—

१. नामजदगी के पर्चों का पेश करना....२७ मार्च, १९६२ को ३ बजे मध्यान्होत्तर तक।

२. नामजदगी के पर्चों की जांच उन सदस्यों के समक्ष जो उस समय उपस्थित रहना चाहें।....२७ मार्च, १९६२ को ३.१५ बजे मध्यान्होत्तर।

३. नामजदगी के पर्चों को वापस लेना....२८ मार्च, १९६२ को नामजद किये गये उम्मीदवारों की घोषणा के पश्चात्।

४. चुनाव, यदि आवश्यक हो....३० मार्च, १९६२ को प्रातः १० बजे से २ बजे मध्यान्होत्तर तक।

५. मतों की गणना....३० मार्च, १९६२ को २ बजे मध्यान्होत्तर से।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९६१-६२ (द्वितीय खण्ड) पर मतदान

निम्नांकित अनुपूरक अनुदानों की मांगें सदन में प्रस्तुत की गई जो सदन द्वारा स्वीकृत हुईं:—

क्रम संख्या	मांग संख्या	मुख्य शीर्षक
१	२	३
१	५८	७-भू-राजस्व।
२	६०	६-स्टाम्प्स।
३	६१	१०-वन।
४	५६	८-राजकीय आबकारी कर।
५	६२	१२-का बिक्री कर।
६	६३	१३-अन्य कर तथा महसूल।
७	६४	२५-सामान्य प्रशासन।
८	६५	२६-कारागार।
९	६६	२९-पुलिस।
१०	६७	३६-वैज्ञानिक विभाग।
११	६८	३८-जन स्वास्थ्य।

Page No 69

१	२	३
		स्कम्भ
१२	६६	४०—कृषि ।
१३	७०	४३—उद्योग तथा रसद ।
१४	७१	४७—का-सामुदायिक विकास परियोजना, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य ।
१५	७२	५०—नागरिक निर्माण कार्य-भवन और सड़क (संयुक्त) स्थापना, औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय ।
		५०—का—राजस्व से अर्थ प्रबन्धित नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत ।
१६	७३	५४—खा-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते।
१७	७४	५५—का-साधारण राजस्व में से निवृत्ति वेतनों का एक मुश्त दान ।
१८	७५	५६—लेखन सामग्री तथा मुद्रण ।
१६	७६	५७—विविध ।
२०	७७	६२—खा—अन्य विविध अंशदान तथा हस्तांकन ।
२१	७८	६५—भूमिधार इत्यादि को जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप हानि पूर्ति देय
२२	७६	६८—सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) ।
		८०—का-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत।
२३	८०	७०—जन-स्वास्थ्य के सुधार पर पूंजी की लागत।
२४	८१	७२-औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत।

१	२	३
		स्कन्भ
२५	८२	८१–राजस्व लेखे के बाहर—नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा ।
२६	८३	८२–राजस्व लेखे के बाहर अन्य निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा ।
२७	८४	८२–ख-राजस्व लेखे के बाहर सड़क तथा जल परिवाहन पर पूंजी को लागत ।
२८	८५	८३–निवृत्ति वेतन के एक मुश्त दान के भुगतान ।
२९	८६	८५–का-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत ।
३०	८७	ता—राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम

उपरोक्त मांगों में से केवल मांग संख्या ७६व मांग संख्या ८१ पर एक एक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा अस्वीकार किये गये ।

राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६२

श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मन्त्री ने सदन की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६२ को पुनः स्थापित किया ।

विधेयक को विचारार्थ लिया जाकर उसे पारित भी किया गया ।

२ बज कर ४६ मिनट पर सदन की बैठक ४ बजे सायं तक स्थगित की गई

९१८ **२६ मार्च, १९६२ (सायंकालीन बैठक) की कार्य-सूची**

१. आय-व्ययक, १९६२-६३ का उपस्थापन एवं आय व्यय भाषण ।

२. राजस्थान वित्त विधेयक, १९६२ (पुरः स्थापन)

३. राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी(ड्यूटी) विधेयक, १९६२ ।

शुद्धि-पत्र

(दिनांक २६ मार्च, १९६२ की प्रातः कालीन बैठक)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
८६१	५	इर्रेग्युलेरिटीज़	इर्रेग्युलेरिटी
८६४	शीर्ष	(श्री लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
८६६–६७	शीर्षक	२६ मार्च, ३२	२६ मार्च, ६२:
८७२	२५	रिपोर्ट एक प्रति	रिपोर्ट की एक प्रति
८७४	८	न्होत्तर	मध्यान्होत्तर
८७५	२२	स्टाम्पस	स्टाम्स
८७६	अंतिम से २	करता : हूँ	करता हूँ
८७८–७९	शीर्षक	मांग संख्या –६२ मार्च, ६२	मांग संख्या ६२–२६ मार्च,६२
८७८	१६	वर्ष को किये	वर्ष में किये
८८०	१५	मांग संख्या	अनुपूरक मांग संख्या
८८१	६	,, ,,	,, ,, ,,
,,	२०	२७,००) रु०	२७,०००) रु०
८८३	१७–१८	होने वर्ष	होने वाले वर्ष
८८६	अन्तिम पंक्ति	मुश्त दान	मुश्त दान
८९३	१६	वाकायात	वाकयात
८९८	१०	औनरेबल	ऑनरेबल
९०३	६	बड़े बड़े	बड़े बड़े
९१४	१९	बाहर और निर्माण	बाहर अन्य निर्माण
९१७	१	प्ररताव	प्रस्ताव
९१८	२	व्याय	व्यय
९२२	शीर्षक	विनियो ।	विनियोग

१	२	३	४
६२२	१६	बैंक	बैंक
६२४	शीर्ष	(श्री मैरोंसिंह)	(श्री भैरोंसिंह)
६२६	१३	सरकीरी	सरकारी
,,	अंतिम से ४	फरर्निश	फर्निश
६३३	२	लच्च	लक्ष्य
६३५	१०	क्लकों	क्लर्कों
६३७	अंतिम से ४	केलूकुशन	केल्कुलेशन
,,	अंतिम से ३	केलूकुलेशन	केल्कुलेशन
६३६	५	विरोधाभाष	विरोधाभास
६४२	६	कॉन्स्टटयूशन	कॉन्स्टिटयूशन
६४४	१	reise	raise
६४५	२७	बेंलाकम	वेलकम
६५०	अंतिम से २	तो बह	तो वह
६५२	अंतिम पंक्ति	पसा	पैसा
६६०-६१	शीर्षक	२६ माच	२६ मार्च
६६०	१६	विचाराधरा	विचारधारा
६६३	अंतिम	किय ह	कि यह
६७०	२४	नाक मौंह	नाक भौंह
६७६	४	फर्निश्च	फर्निश्ड
,,	१२	लगों	लोगों
,,	१६	हैडक्वार्टस	हैडक्वार्टर्स
६७७	२२	दूकनदार हमारे	दूकानदार की हमारे
६८५	३	स्क्वेडस	स्क्वेड्स
६६७	१६	आय-व्यय	आय-व्ययक

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का १४ वाँ दिवस [संख्या ८

सोमवार, दिनांक २६ मार्च, १९६२

(सायंकालीन बैठक)

विधान सभा की बैठक म. प. ४ बजे पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

वित्त मन्त्री द्वारा आय-व्ययक, १९६२-६३, का उपस्थापन एवं भाषण

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्री महोदय ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : श्रीमान्, मैं राजस्थान सरकार के १९६२-६३ के बजट तखमीने (अनुमान) पेश करने के वास्ते खड़ा हो रहा हूं ।

भूमिका

(२) पेश्तर इसके कि मैं रस्मी तौर पर या कमोबेश चालू के ढर्रे के मुताबिक अपने भाषण के मज़मून पर बोलूं मैं सदन के माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि इस बार का बजट किन गैर-मामूली हालात में पेश किया जा रहा है ।

(३) माननीय सदस्य जानते हैं कि सरकार को ओहदा-नशीन हुए एक पखवाड़े से भी कम हुआ है । इसलिए हमारे पास इतना कम समय था कि हम बजट तैयार करने पर उतना वक्त और तवज्जोह नहीं दे सके जितनी कि ऐसे निहायत अहम मामले का मामूली तौर पर तकाजा होता है ।

(४) सदन के लिए यह उम्मीद रखना लाजमी है कि वित्त मन्त्री उसके सामने राज्य की माली हालत की सही तस्वीर रखे और वे रास्ते भी बताये जो राज्य के प्रशासन व विकास से ताल्लुक रखने वाले कामों को ठीक तरह चलाने के लिए अगले माली साल में तजवीज किए गए हैं । क्योंकि जब तक सरकार सदन को विश्वास में न ले, तब तक वह बजट की तजवीजें मंजूर करने के वास्ते सदन से जरूरी

Page No 74

(श्री बालकृष्ण कौल)

मुआफकत की उम्मीद नहीं रख सकती। बावजूद कम समय होने के, हमने इस उम्मीद को पूरा करने की भरसक कोशिश की है, फिर भी अगर ऐसा मालूम हो कि जो तस्वीर मैं सदन को पेश कर रहा हूं वह जल्दी में खींची गई है तो इसकी वजह वह सूरते हाल है जो खुद इस वाकये से ही कुदरती तौर पर वाबस्ता है, और जिस पर हमारा कोई काबू नहीं है।

(५) इसलिए मैं माननीय सदस्यों से और खास तौर पर विरोधी पक्ष के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हमारी खामियों का लिहाज रखते हुए अपने ठोस सुझावों व आलोचनाओं से हमारी मदद करें अपनी तरफ से मैं सदन को यकीन दिलाता हूं कि मैं ऐसी तमाम आलोचनाओं व सुझावों का खुले दिमाग से स्वागत करूंगा और उनको उस हद तक मानने की कोशिश करूंगा जिस हद तक वे हमारी नीति व कार्यक्रम के साथ और बजट के लिहाज से मेल खाती हों।

(६) मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे ये शब्द उसी स्पिरिट से लिए जायेंगे जिस स्पिरिट में कहे गये हैं और इन शब्दों के साथ, मैं राज्य की माली हालत और अगले माली साल के आमद व खर्चे के बजट तखमीने सदन के सामने रखता हूं।

(७) सबसे पहले मैं सदन को सूचना देना चाहूंगा कि चालू माली साल के बन्द होने में चन्द रोज बाकी रह गये हैं और बजट पर वाद-विवाद ३१ मार्च, १९६२ तक खत्म नहीं होगा। इसलिए जब तक सदन में एप्रोप्रियेशन व फाइनेन्स बिल (Appropriation and Finance Bill) अन्तिम रूप में पास न हो जाये तब तक बीच के अर्से में सरकारी खर्च चलाने के लिए वोट ऑन अकाउन्ट (Vote on Account) हासिल करना लाज़मी हो गया है।

१९६१-६२ के कुछ अहम पहलू

(८) जो बजट मैं पेश कर रहा हूं उसके पीछे की जमीन दिखाने के लिए मैं कुछ उन पहलुओं को सदन की निगाह में लाना चाहता हूं जिनका चालू साल में राज्य की माली हालत से गहरा ताल्लुक है।

(९) पहली बात तो यह है कि दूसरी पांच साला योजना के लिए तय की हुई मंजिलों को पूरा करने में राज्य के साधनों पर भारी बोझा पड़ा है। इससे, गुजरे सालों में बजट के घाटे का नतीजा यह हुआ है कि सरकार को बैंकों में अपनी जमा से भी काफी ज्यादा रकम निकालनी (Over-draw) पड़ी है। साथ ही वह भारत सरकार से लिए हुए कर्ज की कुछ किश्तें भी नहीं चुका सकी है। खुशकिस्मती से, राजस्थान सरकार भारत सरकार को यकीन दिला सकी कि यह हालत इस वजह से पैदा नहीं हुई कि उसने टैक्स लगा कर या दूसरे जरियों से अपने साधन बढ़ाने में कोई कोताही की हो, और यह भी यकीन दिलाया कि जो वसूलियों में कमी हुई उससे बचा नहीं जा सकता था और बहुत सी मदों पर खर्चे में जो बढ़ोत्तरी हुई वह टाली नहीं जा सकती थी। भारत सरकार ने इन दिक्कतों को महसूस किया और उसने बैंकों से निकाली गई ज्यादा रकम (Over draft) का हिसाब कम करने के वास्ते और कर्ज की किस्तें चुकाने के वास्ते १५

(श्री बालकृष्ण कौल)

करोड़ रुपये कर्ज दिये । इस कर्जे पर ४ फी सदी ब्याज देना होगा, और अदायगी १६६३-६४ के साल से शुरु होकर दस सालाना किश्तों में की जाएगी ।

(१०) दूसरी बात यह है सरकारी कर्मचारियों की वेतन दरों में सुधार, जिसकी तफ़सील माननीय सदस्यों को मालूम हो चुकी होगी । यह कदम इस किस्म का है जिसका असर राज्य की माली हालत पर फौरन भी है और आगे चल कर भी पड़ता है । तीसरी योजना के साधनों को आंकते वक्त यह अन्दाज लगाया गया था कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते वगैरा (Emoluments) को सुधारने के वास्ते ४ करोड़ रुपये की जरूरत होगी । लेकिन यह अन्दाज गलत साबित हुआ,क्योंकि कम वेतन वाले कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते १ जुलाई, सन् १६६० से ५ रुपये का जो खास इजाफा हुआ है, सिर्फ उसी से ५ करोड़ रुपये का खर्च बढ़ गया है । ३०० रुपये महीना तक के कुल वेतन भत्ते पाने वाले ऐसे कर्मचारियों की तादाद करीब १,७५,००० है । नये सिरे से तरतीब देने (Rationalisation) के इरादे से वेतन-दरों में जो सुधार किया गया है उससे फिलहाल कोई अधिक खर्च नहीं बढ़ता । लेकिन तरक्की होने पर वेतन तय करने के नये कायदे, निचले दर्जों की १० फी सदी जगहों में सिलेक्शन ग्रेडों की गुंजायश, मंहगाई भत्ते का एक बड़ी हद तक वेतन में शामिल किया जाना, पेन्शनें पाने वालों को ज्यादा फायदे देना, एग्रीकल्चरल ग्रेजुएटों और सनदयाफता टैक्निकल सब ऑर्डिनेटों के लिए पहले से बेहत्तर वेतन दरें, पुलिस के सिपाहियों को शुरु में पहले से ऊंचे वेतन देना, राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलेरी के जवानों के खुराक-भत्ते में बढ़ोतरी-इन तमाम चीजों का कुल मिला कर असर यह होगा कि तीसरी योजना के दौरान में प्रशासन का खर्च २.८६ करोड़ रुपया और ज्यादा बढ़ जायेगा । वेतन दरों को इस तरह नई तरतीब देने से आखिर कार तीसरी योजना के अन्त तक सरकार को कुल ७.८६ करोड रु० की रकम खर्च करनी पड़ेगी ।

(११) ऊपर के दो सबब से सरकार की माली हालत पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन तीसरा सबब तसलीबख्श है । इस राज्य के दौरे पर आये हुए वित्त कमीशन को पेश किए गए सप्लीमेन्टरी मेमोरेन्डम में बतलाया गया था कि तीसरी योजना के दौरान में सरकार की आमदनी व खर्च के बीच करीब २२.१८ करोड़ रुपये का फर्क रहने का अन्देशा है और राजस्थान सरकार उम्मीद रखती है कि इस कमी को पूरी करने के लिए केन्द्रीय टैक्सों में राज्य के हिस्से को बढ़ाया जायगा और ग्रान्ट-इन-एड (अनुदान सहायता) के रुप में मिलने वाली मदद भी बढ़ायी जायगी । वित्त कमीशन की सिफारिशों पर भारत सरकार ने जो इरादा जाहिर किया है, उससे तीसरी योजना के अगले चार वर्षों में कुल ६३.०७ करोड़ रुपये मिलने का ख्याल है, जब कि मौजूदा ढांचे के मुताबिक ४३.७६ करोड़ रुपये मिलते ।

(१२) १६६१-६२ के तरमीमशुदा (संशोधित)तखमीनों की चर्चा से पहले यह जिक्र करना मुनासिब होगा कि १६६१-६२ का साल ।

(श्री बालकृष्ण कौल)

तीसरी पांच साला योजना का पहला साल था। १९६१–६२ का बजट पेश करते वक्त सदन को तीसरी पांच साला योजना के माली पहलुओं से वाकिफ करा दिया था यानी यह बता दिया गया था कि २३६ करोड़ रुपये की कुल योजना का खर्च चलाने के लिए ८० करोड़ रुपये के साधन जुटाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। दूसरी पांच साला योजना में नजर में आने वाली कुछ खास कामयाबियां क्या हासिल हुईं और तीसरी योजना के दौरान में विकास की तरक्की के कुछ खास खास पहलू क्या हैं, इनकी जानकारी सदन को राज्यपाल के एड्रेस (अभिभाषण) में दी जा चुकी है। इसलिये मैं तीसरी योजना के बारे में इससे ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। मगर १९६१–६२ के तरमीमशुदा तखमीनों की सूरत बयान करते हुए मैं १९६१–६२ में योजना पर होने वाले खर्च की कुछ तफसीलों का ज़िक्र करूंगा।

१९६१–६२ के तरमीम शुदा तखमीने

१३. अब मैं १९६१–६२ के तरमीम-शुदा तखमीनों का हिसाब दे रहा हूं। इससे उस कुल घाटे का अन्दाज़ा हो जायेगा जो हमारे सामने है, और जिसे राज्य की माली (आर्थिक) पायेदारी और योजनाबद्ध विकास के हित में पूरा करना जरूरी है।

१४. चालू साल की आमदनी (राजस्व) का इब्तदाई (Original) तखमीना ४,८३३ लाख रुपये था, जिसमें सीलिंग (Ceiling) के भीतर योजना की स्कीमों पर खर्च के लिए केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली सहायता (Subsidy) के ३७२ लाख रुपये और योजना की स्कीमों के वास्ते दीगर सहायता के ५३ लाख रुपये शामिल थे और पिछले साल नये टैक्सों के जरिये वसूल होने वाले १३५ लाख रुपये भी शामिल थे। इसके मुकाबले में तरमीमशुदा तखमीना ४,७७७ लाख रुपये का बैठता है, जो इब्तदाई तखमीने से ५६ लाख रुपये कम है, और जिसमें योजना की वसूलियों में ६ लाख रुपये की कमी भी शामिल है। इब्तदाई तखमीनों के मुकाबले में बढ़तों और घटतों की तफसीलें बजट मेमोरेण्डम में दिखायी हुई हैं। इनसे जाहिर होता है कि दरअसल जो तरक्कियां हुई हैं वे सिर्फ केन्द्रीय टैक्सों के हिस्से में और केन्द्रीय ग्रान्ट-इन-एड में हुई हैं, जब कि लगान (भू-राजस्व) और गैर-मामूली वसूलियों (Extraordinary receipts) से, यानी बड़ी सिंचाई योजनाओं के मातहत इलाकों में सुधार चुंगी और ज़मीन की बिक्री से कम आमदनी हुई है।

१५. आमदनी से पूरा होने वाले खर्च का इब्तदाई तखमीना ४,९२६ लाख रुपये था, जिसमें योजना की स्कीमों पर खर्च के १,०२० लाख रुपये शामिल थे। इसके मुकाबले में अब यह उम्मीद की जाती है कि कुल खर्च की रकम ५,२८० लाख रुपये तक पहुंच जायेगी, जिसमें योजना की स्कीमों पर ९७१ लाख रुपये का खर्च शामिल है। इस तरह इब्तदाई तखमीनों के ऊपर ३५४ लाख रुपये का फर्क दिखाई देता है। हकीकत यह है कि योजना की स्कीमों पर ४९ लाख रुपया कम खर्च हुआ है। इसका नतीजा यह है कि गैर–योजना मदों पर करीब ४०३ लाख रुपये

(श्री बालकृष्ण कौल)

ज्यादा खर्च हुआ है। इन मदों में सबसे बड़ी मद १३७ लाख रुपये की वह रकम है जो जमीन की बिक्री से वसूल हुई है और जो पूंजी खाते में डाल दी गई है। बजट के लिहाज़ से यह आमदनी पूंजीगत नहीं है। मगर चूंकि कर्जों के जरिये सिंचाई योजनाओं पर ज़बरदस्त पूंजीगत खर्च किया जा रहा है, इसलिए इन कर्जों को कम करने या बचाने के लिए जमीन बिक्री की ही आमदनी पूंजी खाते में डाली गई है। इन्हें छोड़ दिया जाये तो गैर-योजना के कामों पर २६६ लाख रुपये का खर्च बढ़ जाता है। जागीर बॉण्डों पर इब्तदाई तखमीने की बनिस्पत ज्यादा ब्याज देने की वजह से और भारत सरकार व बैंकों से लिए गये कर्जों पर ब्याज चुकाने के कारण ब्याज की रकम भी ८० लाख रुपये बढ़ गयी है। पुलिस पर ४८ लाख रुपया ज्यादा सर्फ हुआ। इसकी वजह यह है कि किफायत के उपाय नाकामयाब हुए और राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी की तादाद बढ़ाई गई। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के स्कूलों को चलाने के वास्ते पंचायत समितियों को, और प्राइवेट स्कूलों को सहायता देने में १३ लाख रुपये का और इजाफा हुआ। सरकारी छापाखानों के लिए नयी मशीनें खरीदने में और दीगर कामों में २१ लाख रुपये का खर्च बढ़ा।

१६. इसका असली नतीजा यह है कि जहां आमदनी खाते में ६३ लाख रुपये का इब्तदाई तखमीना लगाया गया था वहां तरमीमशुदा आंकड़ा ५०३ लाख रुपये तक ऊपर जा पहुंचा है। अलबत्ता, इसमें से १३७ लाख रुपये की आमदनी पूंजीखाते में डाल दी गई हैं।

१७. १९६१–६२ में पूंजीगत खर्च का इब्तदाई तखमीना २,२३५ लाख रुपये का था, जब कि अदायगियों का तरमीमशुदा तखमीना २,५३४ लाख रुपये हैं, यानी २९९ लाख रुपये ज्यादा हैं। खास खास बढ़त ये हैं: जागीरी मुआवजों पर २० लाख रुपये ज्यादा, चम्बल प्रोजेक्ट पर ३१ लाख रुपये, सिंचाई के व्यवसाई (Commercial) कामों पर १३० लाख रुपये और सड़कों और सरकारी दफ्तरों व पुलिस की इमारतों पर ११२ लाख रुपये।

१८. सार्वजनिक कर्ज की सूरत यह है कि १९६१-६२ के बजट में अदायगियों के ऊपर वसूलियों का असली फर्क २३५५ लाख रुपये आंका गया था। तरमीमशुदा तखमीने के मुताबिक यह फर्क २५३२ लाख रुपये हो जायेगा। इस हिसाब में यह रकमें शुमार की गई हैं: भारत सरकार से १५०० लाख रुपये का कर्ज ३० जून, १९६१ तक बैंक से निकाली गई ज्यादा रकम का भुगतान, भारत सरकार की वाजिब किस्तों की अदायगी और उसके बाद बैंकों से फिर ७०० लाख रुपये ज्यादा निकालना।

१९. जहां तक राज्य सरकार के दिये हुए कर्जों और पेशगी रकमों का सवाल है, १९६१–६२ के बजट तखमीनों में खालिस बकाया (—) ६१८ लाख रुपये दिखाई गई थी। तरमीमशुदा तखमीनों में यह बकाया रकम (—) ७०० लाख रुपये है।

(श्री बालकृष्ण कौल)

२०. सार्वजनिक लेखे में १९६१-६२ के बजट तखमीनों में ४२० लाख रुपये की असली बचत की गुंजाइश रखी गई थी। इसके मुकाबले में यह बचत ११७७ लाख रुपये होगी। इसकी खास वजह यह है कि करीब ६०० लाख रुपये कीमत की कम ब्याज वाली सिक्योरिटियां बेच दी गई हैं ताकि ब्याज की ऊंची दरों पर बैंकों से निकाला गया रुपया (ओवर-ड्राफट) वापिस जमा करा दिया जाये।

२१. इब्तदाई तखमीनों में कुल मिलाकर १७० लाख रुपये का घाटा था लेकिन ऊपर जो तरमीमशुदा तखमीने दिखाये गये हैं उनके मुताबिक अब कुल घाटा ७२९ लाख रुपये तक पहुँच जायेगा। चूंकि बैंकों से ७०० लाख रुपये की उधार (ओवर-ड्राफ्ट) सार्वजनिक कर्ज के तरमीमशुदा तखमीने में दिखाई गई है इसलिए तरमीमशुदा तखमीनों में असली घाटा २९ लाख रुपये रह जाता है।

२२. योजना कमीशन ने १९६१-६२ में योजना खर्च की सबसे ऊंची हद (सीलिंग) ३४०० लाख रुपये तय की थी। इसके अलावा भारत सरकार पोंग बांध के वास्ते १४४ लाख रुपये और देने पर भी राजी हो गई। अन्दाज यह है कि आमदनी खाते में ३५४४ लाख रुपये की तरमीमशुदा सीलिंग के भीतर योजना पर ९४३ लाख रुपये खर्च होंगे और २५७८ लाख रुपये पूंजीगत खर्च होंगे। इस तरह कुल ३५२१ लाख रुपये खर्च होंगे। सीलिंग के बाहर, यानी केन्द्र की मदद से पूरी होने वाली योजनाओं पर और योजना कमीशन की मन्जूरशुदा विकास योजनाओं के अलावा योजनाओं पर आमदनी खाते में ६० लाख रुपये और पूंजी खाते में ४१७ लाख रुपये खर्च होंगे। इस तरह ३७६ लाख रुपये के इब्तदाई तखमीने के मुकाबले में कुल ४७७ लाख रुपये खर्च होंगे।

१९६२-६३ के बजट तखमीने-लेखे रखने का ढंग

२३. १९६२-६३ के बजट तखमीनों पर रोशनी डालने से पहले मैं हिसाब-किताब (लेखा) की कुछ तब्दीलियों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो अगले साल सारे भारत में अमल में आने लगेंगी। ये तब्दीलियां मेमोरेण्डम में दिखा दी गई हैं—बहुधन्धी नदी घाटी योजनाओं और व्यवसायी (Commercial) माने जाने वाले सिंचाई के इसी किस्म के दीगर कामों का सूद, पहले सूद की कुल देनदारी में से काट दिया जाता था। अब यह इस तरह नहीं काटा जायगा। इसके बजाय सूद का कुल खर्च अब खर्च की मद में दिखाया जायेगा और वसूली खाते में जमा कर लिया जायेगा। खानों की आमदनी अब XXI-Miscellaneous Departments की मद में दिखाई जाने की बजाय XXXII—Miscllaneous Social and Developmental Organisations में दिखाई जायेगी। आमदनी और पूंजीगत लेखे की मदों की सिलसिलेवार संख्या में भी तब्दीलियां की गई हैं।

१९६२-६३ की आमदनी-वसूलियाँ

२४. टैक्सों के मौजूदा ढांचे के आधार

(श्री बालकृष्ण कौल)

पर १९६२–६३ में ६,०२५ लाख रुपये की आमदनी वसूल होने का अन्दाज लगाया गया है। इसमें १९६१–६२ में लगाये गये नये टैक्सों के १५० लाख रुपये शामिल हैं और योजना पर सीलिंग के भीतर व बाहर खर्च के लिए केन्द्रीय सरकार व दीगर साधनों से मिलने वाली ५५२ लाख रुपये की सहायता भी शामिल है। आमदनी खाते में खर्च का तखमीना ६,१५२ लाख रुपये हैं जिसमें योजना के कामों के वास्ते १,२१५ लाख रुपये की रकम शामिल है। इस तरह आमदनी खाते में १२७ लाख रुपये का घाटा रहेगा।

२५. १९६१–६२ के तरमीमशुदा तखमीनों के मुकाबले में अगले साल खास तौर पर केन्द्रीय टैक्सों के हिस्से में और केन्द्र से मिलने वाली सहायता में बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है। इन मदों में १९६१-६२ के तरमीमशुदा तखमीनों की १,१६४ लाख रुपये की रकम १९६२-६३ में बढ़कर १५३४ लाख रुपये हो जायेगी। जिन दूसरी मदों में बढ़ोत्तरी की उम्मीद है वे ये हैं : ज़मीन का लगान—२८ लाख रुपये, राज्य एक्साइज़ ड्यूटी (उत्पादन शुल्क)—२९ लाख रुपये, बिक्री-कर-५५ लाख रुपये, दीगर टैक्स--७ लाख रुपये, सूद (असली आंकड़े के आधार पर)—२९ लाख रुपये। जैसा कि मैं बता चुका हूं ज़मीनों की बिक्री और सुधार चुंगी से वसूल होने वाली २४३ लाख रुपये की रकम पूंजी खाते में डाली जायेगी। इसी तरह, सरकारी बसों से १९ लाख रुपये की आमदनी भी पूंजीगत खर्च में इस्तेमाल की जायगी।

१९६२–६३ के रेवेन्यू खाते में खर्च

२६. आमदनी में से किये जाने वाले खर्च का तखमीना ६,१५२ लाख रुपये हैं। इसमें गैर योजना मदों के ४८०५ लाख रुपये, योजना स्कीमों के वास्ते १२१५ लाख रुपये और नई गैर-योजना मदों के १३२ लाख रुपये शामिल हैं। १९६१--६२ के तरमीमशुदा तखमीनों के मुकाबले में गैर–योजना मदों में होने वाली खास खास बढ़त ये हैं: सूद-२४५ लाख रुपये (लेखा के ढंग में तबदीली की कुछ वजह से कुल आंकड़ा), मेडीकल (चिकित्सा)–१५ लाख रुपये, पब्लिक हैल्थ (सार्वजनिक स्वास्थ्य)–१८ लाख रुपये, सामुदायिक विकास–२५ लाख रुपये और समाजी व विकासी संगठन–२२ लाख रुपये। गैर-योजना खर्च की नई मदों पर खर्च बढ़ने की खास वजह है–वेतन दरों में सुधार, पुलिस और सड़कों व वाटर–वर्क्स की मरम्मत। योजना खर्च में इज़ाफा योजना कमीशन की मन्जूरशुदा सीलिंग के मुताबिक ही है।

किफायत के उपाय

२७. १९६२–६३ के आमदनी खाते में खर्च के तखमीने बनाने के लिए, मुख्तलिफ मदों में कुल ४६ लाख रुपये की मुमकिन किफायतें घटा दी गई हैं। इसी तरह पब्लिक वर्क्स (सार्वजनिक निर्माण) और सिंचाई विभागों के कर्मचारी वर्ग को मिलाने की वजह से पूंजीगत खर्च में ४ लाख रुपये की बचत ली गई है। पिछले साल भारी

(श्री बालकृष्ण कौल)

किफायतें की गई थीं; लेकिन मैं समझता हूँ कि और किफायत के लिए काफी गुंजाइश है। सरकारी लेनदारियां वसूल करने व उगाहने की मशीन को कसने की, और गैर-योजना खर्चों में सख्त किफायत बरतने की तज़वीज़ है। कोई वजह नहीं कि ये उपाय अख्तियार करने पर वे बचते, जिनका अन्दाज़ लगाया गया है, ठोस शक्ल न ले सकें।

१९६२--६३ में पूंजीगत खर्च

२८. ४ लाख रुपये की मुमकिन बचतों को हटाने के बाद, कुल पूंजीगत खर्च २,७५७ लाख रुपये होने की उम्मीद है। इसमें जागीरी मुआवज़े के ३०० लाख रुपये और योजना से ताल्लुक रखने वाली २,२२४ लाख रुपये की रकमें शामिल हैं। पूंजीगत कामों के वास्ते ८६ लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता और जायदादों की बिक्री से होने वाली कुल ४५ लाख रुपये की आमदनी, इनको घटाने के बाद असली पूंजीगत खर्च २,६२६ लाख रुपये होगा।

२९. कर्जों के भुगतान के मातहत १०८४ लाख रुपये की गुंजाइश रखी गई है, जिसमें योजना स्कीमों से ताल्लुक रखने वाली ६६१ लाख रुपये की रकम शामिल है। कर्ज़ों की वसूली का तखमीना ३०४ लाख रुपये का है, इसलिए असली भुगतान ७८० लाख रुपये का रह जाता है।

३०. सार्वजनिक कर्ज़ के मामले में केन्द्रीय सरकार के कर्ज़े चुकाने के वास्ते ३४० लाख रुपये का इन्तजाम रखा गया है। इसमें कम-मियादी कर्ज़ों के ६४ लाख रुपये भी शामिल हैं। बैंकों से निकाली गई रकम के ज़खीरे को निबटाने के लिए करीब १०० लाख रुपये वापिस जमा करने का इरादा है। सीलिंग के भीतर और बाहर की योजना स्कीमों के लिए कर्ज़ के रूप में मिलने वाली केन्द्रीय सहायता २,६२६ लाख रुपये के आस पास होने की उम्मीद है। लाइफ इन्श्योरेन्स कार्पोरेशन, रिजर्व बैंक वगैरह से मिलने वाले दीगर कर्ज़ों का हिसाब जोड़ने के बाद २२९२ लाख रुपये की असली रकम मुहैया हो जायेगी।

३१. प्रोविडेन्ट फन्ड (प्रावधायी निधि), बीमा वगैरह के जमा खातों से होने वाली असली आमदनी का हिसाब लेने के बाद सार्वजनिक लेखा में ५४९ लाख रुपये का असली बैलेन्स रहने की उम्मीद है।

३२. पूंजीखाते के बारे में ऊपर बताये गये तमाम तखमीनों का असली नतीजा यह होगा कि ५९५ लाख रुपये का घाटा रहेगा।

सार्वजनिक कर्ज और छोटी बचत

३३. योजना का खर्च चलाने के लिए १९६२–६३ में ४०० लाख रुपये का सार्वजनिक कर्ज़ लिया जायेगा और छोटी बचतों में से राज्य के हिस्से के रूप में २०० लाख रुपये मिलने की उम्मीद है। इसकी वजह से पूंजी खाते में ५ लाख रुपये की थोड़ी बचत होगी।

योजना खर्च, १९६२–६३

३४. १९६२–६३ में सीलिंग के भीतर

(श्री बालकृष्ण कौल)

योजना खर्च का तखमीना ३८३४ लाख रुपये है, जिसमें से १०६६ लाख रुपये आमदनी खाते में खर्च किया जायेगा। सीलिंग के भीतर योजना खर्च के लिए केन्द्रीय सहायता २५७० लाख रुपये आंकी गई है। ख्याल है कि इसमें से ४५७ लाख रुपये सहायता की शक्ल में आमदनी खाते में आयेगा। आमदनी के साधन नाकाफी होने की वजह से और केन्द्रीय सहायता का ज्यादा से ज्यादा उपयोग बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिए करने की लाज़िमी ज़रूरत की वजह से यह ज़रूरी हो गया है कि आमदनी खाते पर खर्च का बोझ डालने वाली मुख्तलिफ योजनाओं पर योजना-खर्च ज्यादा से ज्यादा घटाया जाये। बड़ी सिंचाई योजनाओं में एक तो राजस्थान नहर प्रोजेक्ट है, दूसरा व्यास प्रोजेक्ट है और तीसरा प्रताप सागर बांध है।

टैक्स लगाने की जरूरत

३५. अब मैं उस चीज पर आता हूँ जो आम तौर पर वित्त मंत्री के भाषण का सबसे ज्यादा बदजायका हिस्सा मानी जाती है, लेकिन फिर भी बड़ी सरगर्मी से जिसका इन्तज़ार किया जाता है। यह चीज है अगले माली साल के लिए टैक्स लगाने की तज़वीजें। ये तजवीजें तैयार करने के नापसन्दीदा काम में, मैं इस ख्याल को लेकर चला हूँ कि हालांकि सीधे या टेढ़े रूप में कोई भी टैक्सों के बोझ से बच नहीं सकता, फिर भी यह बोझ एक हद तक उन्हीं पर पड़ना चाहिए जो उसे बर्दाश्त कर सकें। विकास करती हुई अर्थ-व्यवस्था में टैक्सों के बढ़ते हुए बोझ से न तो कोई बच सकता है, न उसे टाल सकता है। अगर हम इस हकीकत को हकीकत मानने के लिए तैयार हो जायं तो हमारे सब के लिए बहुत भली बात होगी। इस सिलसिले में मैं एक अहम अम्र का ज़िक्र करना चाहता हूं कि नये टैक्स लगाना निहायत जरूरी क्यों है। यह इसलिए करना पड़ रहा है कि ३८३४ लाख रुपये के योजना के खर्च के वास्ते अगर हम २५७० लाख रुपये की केन्द्रीय मदद लेना चाहते हैं तो बाकी १२६४ लाख रुपये हमको अपने साधनों के ज़रिये जुटाने पड़ेंगे। चुनांचे, हमको अपने पेट पर पट्टी बांधनी पड़ेगी और योजना के मातहत राज्य के विकास के हित में त्याग भी करने पड़ेंगे। भारत सरकार जो मदद हमको देने के लिए तैयार है, उसे अगर हमने छोड़ दिया तो तरक्की की चाल रुक जायेगी और आगे चल कर राज्य को बेशुमार नुकसान पहुँचेगा। टैक्सों का विरोध करने वालों से मेरा नम्र निवेदन है कि वे इन चीज़ों को इसी रोशनी में देखें और विकास के कामों पर बढ़ते हुए खर्च को और बढ़ती हुई आबादी की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी ठोस कदम उठाये जायें उनका समर्थन करें। मेरी नाकिस राय में टैक्स लगाने के खिलाफ महज दलीलों से कुछ ज्यादा भला नहीं होगा।

३६. मैं कह चुका हूं कि केन्द्रीय टैक्सों के हिस्से में काफी इज़ाफे की उम्मीद के बावजूद और ५० लाख रुपये की बड़ी किफायत का इन्तज़ाम करने के बाद भी आमदनी खाते में १२७ लाख रुपये का घाटा रहेगा। पूंजी खाते में ५ लाख रुपये की

(श्री बालकृष्ण कौल)

थोड़ी सी बचत होने से कुल मिला कर १२२ लाख रुपये के घाटे का इमकान है। चूंकि पिछले बजटों के घाटे की वजह से यह राज्य भारत सरकार का और बैंकों का कर्ज़दार हो गया है इसलिए घाटे का बजट पेश करने का ख्याल भी नहीं किया जा सकता। अगर यह घाटे साल दर साल जमा होते रहे तो बहुत जल्दी एक नागहानी हालत पैदा हो सकती है। मैं बता चुका हूँ कि अगर भारत सरकार कर्ज देकर वक्त पर मदद न करती तो सरकार की अदायगी की हैसियत चालू साल में ही बहुत कुछ उलझन में पड़ जाती।

३७. आगे के बयान से ज़ाहिर होगा कि हमारे साधनों में आज या कल मार्के की तरक्की की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। हमारी तीसरी योजना पर होने वाली लागत का बड़ा हिस्सा बिजली व सिंचाई योजनाओं पर सर्फ हो रहा है। राजस्थान नहर प्रोजेक्ट १६७० से पहले बारहमासी सिंचाई के लिए पानी नहीं दे सकेगा। किसी सिंचाई योजना से पूरा फल मिलने में करीब १० साल लग जाते हैं। चुनांचे चम्बल व भाखड़ा योजनाओं का पूरा फायदा चौथी योजना के पिछले सालों में ही उठाया जा सकेगा। सुधार चुंगी व ज़मीन-बिक्री की आमदनी भी बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मुनाफे में तभी चल सकता है जब ज्यादातर बिजली हाइड्रो-इलेक्ट्रिक योजनाओं के जरिये पैदा की जाये। चम्बल और व्यास योजनाओं का पूरा फायदा भी १६७० के बाद ही मिल सकता है। बिजली मुहैया होने की खास वजह से राजस्थान में उद्योगों का विकास शुरू ही हुआ है और राज्य में नये नये उद्योग कायम कराने की गरज से, हम बिजली योजनाओं से माकूल मुनाफे नहीं कमा सकते। कुछ दीगर राज्यों में जागीरदारी हटाने का खर्च पूरा करने के वास्ते काश्तकारों से नकद रुपया लिया गया, मगर राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ। जागीरदारी हटने से लगान तो बढ़ा मगर यह इतना नहीं बढ़ा कि मुआवजा देने के बाद और पुराने जागीरी इलाकों में रेवेन्यु प्रशासन, पेन्शन, शिक्षा, अस्पताल वगैरह पर बढ़ा हुआ खर्च पूरा करने के बाद, अगले दस साल तक सरकार को कुछ बचत हो। टैक्सों के सिवाय हमारे दूसरे साधन हमारी पूंजी की लागतों के अन्दाज से नहीं बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ, योजना की कुछ स्कीमें इतनी अहम खासियत रखती हैं कि हम उन्हें शुरू किये बिना नहीं रह सकते; भले ही उनसे फौरन कोई फायदा न होता हो। खर्च की कुछ मामूली मदें शायद छोड़ी जा सकती हैं, लेकिन संजीदगी के साथ कोई भी यह नहीं सुझा सकता कि तालीम, सेहत, वाटर- वर्क्स, सिंचाई, सड़कें, सामुदायिक विकास व पंचायतों और दीगर समाज सेवाओं पर हम जो खर्च उठा रहे हैं उसमें कोई मानने लायक कमी की जाये। साथ ही गैर-योजना खर्चों में भी कुछ लाज़िमी बढ़त हुई है। ये बढ़त इन चीजों पर हुई हैं; जैसे प्रशासन के आम ढांचे को कायम रखना, पुलिस, अदालतें, तहसीलें, क्लेक्टरियां, जेलें, सेक्रेटेरियट वगैरह। सरकार नहीं चाहती कि उसके कर्मचारी लोग नागरिकों की कोई रियायत-रसीदा जमात बन जायं, जिनकी उजरतें व सहूलियतें वैसा ही काम करने वाले दूसरे लोगों से हकीकत में अलग तरह की हों। लेकिन यह मानना

(श्री बालकृष्ण कौल)

पड़ेगा कि उनकी हालत में थोड़े-बहुत सुधार की गुंजाइश है, हालांकि बजट की तंग कैफियत देखते हुए इसके माली असर को नजर-अन्दाज नहीं किया जा सकता।

३८. इसलिए टैक्सों में इजाफा ही अकेला इलाज है या यों कहिए कि कड़वी गोली है और अगर हम अधूरे विकास की बीमारियों से बचना चाहते हैं और पूरे कद तक अपनी बढ़वार को बनाये रखना चाहते हैं तो हम इन को यह गोली खुशी-खुशी गले में उतारनी होगी। फिर भी मैं महसूस करता हूँ कि टैक्सों के लगाने से छोटे व्यापारी या खरीददार को बेजा तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए टैक्सों की तजवीजें पेश करने से पहले मैं कुछ रियायतों व सहूलियतों का ऐलान करना चाहूँगा, जो कड़वी गोली पर शक्कर के गिलाफ की मानिन्द कही जा सकती हैं।

टैक्सों में रियायतें

३६. पहली, कपड़ा व्यापारी जो बारदाना बेचते हैं उस पर बिक्री कर हटा दिया जायेगा। ये व्यापारी मामूली तौर पर कपड़े के अलावा और कोई चीज नहीं बेचते और चूंकि कपड़े पर कोई बिक्री कर नहीं है इसलिए अब तक इनको महज़ बारदाने की बिक्री की वजह से बिक्री-कर के सारे दस्तूर पूरे करने पड़ते हैं।

४०. दूसरी, बिक्री-कर की रजिस्ट्री के लिए सालाना बिक्री की हद मामूली व्यापारी के लिए १२,००० रुपये से बढ़ाकर १५,००० रुपये करदी जायेगी। लेकिन बाहर से माल मंगाने वालों और माल तैयार करने वालों को मामूली व्यापारियों में शुमार नहीं किया जायेगा। माल तैयार करने वाली सहकारी समितियों के लिए बिक्री-कर की हद २५,००० रुपये करदी जायेगी। इस तरह बिक्री-कर के दायरे से बाहर छोटे व्यापारियों की तादाद बहुत बढ़ जायेगी। इससे गांवों के छोटे छोटे दूकानदारों को भी राहत मिलेगी और देहाती खरीददारों को भी परोक्ष फायदा होगा।

४१. तीसरी, ५०,००० रुपये से कम की सालाना बिक्री वाले करदाताओं के मामले में रजिस्ट्री के साल के बाबत पहली बार बिक्री आंकने के बाद अगले दो सालों तक करदाता अपने ही नक्शे के मुताबिक टैक्स देगा और उसके बाद आगे सिर्फ हर तीसरे साल बिक्री आंकी जायेगी।

४२. चौथी, यह ध्यान में रखते हुए कि ख्वांदगी व राजनीतिक बेदारी फैल रही है और इसके सबब से अखबार पढ़ने वालों की तादाद बढ़ रही है अखबारी कागज पर बिक्री-कर हटा दिया जायेगा ताकि छोटे प्रादेशिक अखबारी व रिसालों को मदद मिले और ये जनमत को तरजीयत देने में अहम हिस्सा अदा करें; क्योंकि लोकतन्त्र की कामयाबी के वास्ते जनमत की तरजीयत निहायत जरूरी है।

४३. टैक्सों में इन रियायतों के अलावा मैं ऐलान करता हूं कि हर किसान अपने निजी घर, चार दीवारी और कुंए की तामीर या मरम्मत के लिए बजरी, रेत, मिट्टी और पट्टियों के सिवाय मुकामी पत्थर वगैरा इमारती सामान का

(श्री बालकृष्ण कौल)

इस्तेमाल खानों की वगैर रॉयल्टी दिए कर सकेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई सामान बेचने के लिए जमा किया गया तो उस पर रॉयल्टी देनी होगी।

४४. मैं यह भी ऐलान करता हूँ कि म्युनिसिपैलिटियों के लिये रखी गई ग्रान्ट-इन-एड की रकम १५ लाख रुपये से बढ़ा कर २५ लाख रुपये इस शर्त पर कर दी जायेगी कि वे उतनी ही रकम का खुद इन्तजाम करें।

४५ अब मैं मौजूदा टैक्सों की दरों में इजाफे की और नये टैक्स लगाने की तजवीजें एक-एक करके रखता हूँ।

४६. कुछ चीजों पर बिक्री-कर की दर बढ़ा दी जायगी। गहनों व जेवरों पर बिक्री-कर की दर १। २ फीसदी से बढ़ाकर २ फीसदी कर दी जायेगी और सोने या चांदी की बनी दूसरी चीजों पर १ फीसदी से बढ़ाकर २ फीसदी कर दी जायेगी। कपास पर बिक्री-कर की दर १ फीसदी से २ फीसदी कर दी जायेगी। तिलहन पर मौजूदा १ फीसदी और २ फीसदी की अलग-अलग दरों के बजाय अब २ फीसदी की यकसां दर लगा दी जायेगी। आजकल राज्य के भीतर चने और दालों की बिक्री पर बिक्री-कर की छूट है। यह छूट अब हटा दी जायेगी, लेकिन अनाजों की बिक्री पर छूट बरकरार रहेगी। कुछ किस्म के जानवरों पर बिक्री-कर की छूट उठाली जायेगी और जानवरों पर भी बिक्री-कर की ५ फीसदी की वही यकसां दर लागू हो जायेगी जो राज्य में ज्यादातर चीजों पर लगी हुई है।

४७. देशी शराब पर आबकारी महसूल बढ़ा दिये जायेंगे।

४८. मोटर गाड़ियों में सफर करने वाले मुसाफिरों पर टैक्स की दर में भाड़े का ५ फीसदी इजाफा किया जायेगा।

४९. मनोरंजन कर की दर भी इसी तरह हर मौजूदा दर्जे के टिकट की कीमत पर ५ फीसदी बढ़ा दी जायेगी।

५०. ३ नये पैसे फी यूनिट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (बिजली कर) वसूल की जायेगी, लेकिन रिबेट काटने के बाद खरीददार को ड्यूटी और बिजली की कीमत मिला कर ५० नये पैसे फी यूनिट से ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। भारत सरकार जो बिजली खर्च करेगी या रेलों की तामीर, दुरुस्ती या चलाने के कामों में जो बिजली खर्च होगी या खेती के काम में इस्तेमाल की हुई बिजली इन सब पर ड्यूटी नहीं लगेगी। यह भी प्रस्ताव है कि इस समय उद्योग व खानों में काम में आने वाली बिजली को भी इस कर से मुक्त रखा जावे।

५१. इन उपायों से १९६२–६३ में मुख्तलिफ मदों में ये आमदनियां वसूल होने की उम्मीद है:—

बिक्री–कर	६६ लाख रुपये
आबकारी–कर	१५ लाख रुपये
यात्री–कर	२५ लाख रुपये
मनोरंजन–कर	७ लाख रुपये
बिजली–कर	१५ लाख रुपये
	कुल १२८ लाख रुपये

(श्री बालकृष्ण कौल)

५२. १२८ लाख रुपये की इस कुल मज़ीद आमदनी से आमदनी खाते में १ लाख रुपये की थोड़ी सी बचत होगी। क्योंकि पूंजी खाते की बचत ५ लाख रुपये आंकी गई है, इसलिए कुल बचत सिर्फ ६ लाख रुपये की होगी।

५३. इसमें शक नहीं कि इन टैक्सों से राजस्थान की जनता पर टैक्सों का बोझ पड़ेगा। लेकिन, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, हमारे सामने जो मंजिल है उसके रास्ते के बीच ठहरने का कोई मुकाम नहीं है। हमें लोकतंत्रीय आयोजन और विकास के ज़रिये, जनता के रहन-सहन का दर्जा ऊंचा उठाने के एक ही मकसद के पीछे मिल कर चलना है। इसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और जनता के रहन–सहन का दर्जा ऊंचा उठाने के वास्ते, बेरोज़गारी और कम–रोज़गारी के मसले के साथ माद्दी (भौतिक) व नफ्सी (मनोवैज्ञानिक) दोनों स्तरों पर निहायत ताकीद के साथ जूझना है। जहां हम सारे नागरिकों को पूरा रोज़गार देने की कोशिश कर रहे हैं वहां हमें उस नफ्सी बीमारी को मिटाने की कोशिश भी करनी चाहिए जो पढ़े–लिखे नौजवानों में फैल रही है। ये लोग सरकारी या निजी सेवाओं में आरामदेह नौकरियों की तलाश में दौड़ रहे हैं, बजाय इसके कि कठिन व उत्पादक कामों में लगने की हिम्मत करें। शहर का जादू, युनिवर्सिटियों की डिग्रियों के लिए तरसना, ऊपरी टीमटाम की तरफ झुकाव–ये बुराइयां हमारे नौजवानों में घुसी हुई हैं। सरकार हर मुमकिन तरीके से कोशिश करेगी कि लोगों में सच्चा कल्याणकारी राज्य जल्दी कायम करने के लिए बेदारी पैदा हो। यह काम जबरदस्त है और इसे पूरा करने के लिए धीरज व त्याग की जरूरत है। इसके वास्ते हमको राज्य के सारे दस्तयाब साधनों को निकालना होगा और उनका विकास करना होगा और राजस्थान के अमन, तरक्की व खुशहाली के वास्ते अपना अपना हिस्सा अदा करना होगा। शुरूआत तो हो चुकी है और अगर हमारे अन्दर मुराद हासिल करने के इरादे से मिल कर काम करने की आरज़ू है तो हम राजस्थान को अपने सपनों और तमन्नाओं की भूमि बना सकते हैं। मुझे यकीन है कि इस सदन के सारे माननीय सदस्य, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, इस राजस्थानी जनता की खिदमत की आला ख्वाहिश से प्रेरित होकर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए राज्य के विकास में सरकार जो जतन कर रही है उसमें वे मुस्तैदी के साथ यकीनन हाथ बटायेंगे।

५४. मुझे सदन की नेकनीयती पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि पुरानी कहावत के मुताबिक इस भरोसे का बदला भरोसे से दिया जायेगा।

५५. आखिर में, मैं सदन को उन दिक्कतों व खामियों की फिर याद दिलाना चाहता हूँ जिनकी साया में यह बजट तैयार किया गया है और चन्द रोजा जिन्दगी में हमने मौजूदा हालत के भीतर और दस्तयाब मसाले की रोशनी में हत्तुलइमकान कोशिश की है।

५६. मुझे उम्मीद है कि अगले साल शायद मैं राज्य की माली हालत की बेहतर और मुकम्मिल तस्वीर सदन के सामने रख सकूं।

(श्री बालकृष्ण कौल)

५७. इन शब्दों के साथ मैं आने वाले साल के माली तखमीने सदन को तवज्जोह के लिए पेश करता हूँ।

४.४० म. प.

राजस्थान वित्त विधेयक, १९६२
(पुरः स्थापन)

श्री अध्यक्ष : विधेयकों का पुरःस्थापन।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्त विधेयक, १९६२ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, १९६२ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी (ड्युटी) विधेयक, १९६२

(पुरः स्थापन)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी (ड्युटी) बिल को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी (ड्युटी) बिल, १९६२ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : श्रीमान्, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही आज मध्यान्होत्तर ४ बज कर ५० मिनट पर, कल दिनांक २७ मार्च, १९६२ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त–विवरण

(सोमवार, २६ मार्च, १९६२)

(सायंकालीन बैठक)

	स्कम्भ
आय–व्ययक, १९६२-६३	९९८
श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मन्त्री ने राज्य के आय–व्ययक (बजट), १९६२–६३ का उपस्थापन किया।	
पुरः स्थापित किए गए विधेयक	१०२४

श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मन्त्री ने सदन की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् निम्नलिखित विधेयक पुरः स्थापित किये :

(१) राजस्थान वित्त विधेयक, १९६२

(२) राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक, १९६२

स्कम्भ

सदन की बैठक ४ बज कर ५० मिनट पर मंगलवार, दिनांक २७ मार्च, १९६२ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

मंगलवार, २७ मार्च, १९६२ की कार्य–सूची

(१) राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६२ (पुरः स्थापन)

(२) लेखानुदान (vote on account) पर मत–दान

(३) राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६२ (पुरः स्थापन, विचार एवं पारण)

(४) आय-व्ययक, १९६२-६३ पर सामान्य वाद–विवाद।

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, २६ मार्च, की सायंकालीन बैठक)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
९९८	३-४	४ बज पर	४ बजे
१००० से १०२३	शीर्षक	आय-व्यय का	आय-व्ययक का
१००३	अन्तिम पंक्ति	१९६१-६२ का साल ।	१९६१-६२ का साल
१००६	२५	Miscllaneous	Miscellaneous
१०२०	१	वगैर	वगैरह